

रोज़े से संबंधित अहूकाम एवं फतावे

लेखक

अल्लामा मुहम्मद बिन सालोह अल-उसैमीन
रहिमहुल्लाह

अनुवाद

अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

संशोधन

सलीम साजिद मदनी

www. **islamhouse**.com

1428-2007



अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ जो अति मेहरबान और दयालु है।

प्राक्कथन

الحمد لله رب العالمين ، والصلوة والسلام على نبينا
محمد ، وعلى آله وأصحابه أجمعين ، أما بعد :

रमज़ान का रोज़ा (वृत) इस्लाम धर्म के स्तम्भों में से एक स्तम्भ है, यह हिज्रत के द्वितीय वर्ष अनिवार्य हुआ, जब प्रथम बार अनिवार्य हुआ तो उस समय व्यक्ति को यह अधिकार था कि वह चाहे रोज़ा रखे या फिद्या दे-अर्थात् प्रत्येक दिन के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाये-फिर रोज़ा रखना ही निश्चित और निर्धारित हो गया और किसी भी व्यक्ति को उसे छोड़ने की छूट नहीं

रह गयी सिवाय उस व्यक्ति के जिसे अल्लाह तआला ने इस से दोषमुक्त कर दिया है।

तथा रोज़ा केवल इस उम्मत के साथ विशेष नहीं है, बल्कि इसके लिए और इसके अतिरिक्त अन्य सभी समुदायों के लिए सामान्य है, जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتُبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا
كُتُبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٣].

“ऐ लोगो जो ईमान लाए हो! तुम पर रोज़े रखना अनिवार्य किया गया है जिस प्रकार तुम से पूर्व के लोगों पर अनिवार्य किये गये थे।” (सूरतुल बकरा: १८३)

अल्लाह तआला के फरमान :

﴿كَمَا كُتُبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾

“जिस प्रकार तुम से पूर्व के लोगों पर अनिवार्य किये गये थे।”

के दो लाभ हैं :

प्रथम लाभ : इस समुदाय को यह आश्वासन देना है कि अल्लाह तआला ने उन्हें इस रोज़ा का केवल इस

लिए मुकल्लफ किया है क्योंकि इनके पहले को लोग भी इसके बाध्य किये जा चुके हैं।

द्वितीय लाभ : इस समुदाय की विशेषता का वर्णन है कि अल्लाह तआला ने इस समुदाय के लिए वह समस्त विशेषताएं परिपूर्ण कर दीं हैं जो अन्य समुदायों को प्राप्त नहीं थीं।

फिर यह ज्ञात होना चाहिए कि रोज़ा कहते हैं मनुष्य का अपनी प्रिय चीज़ों से रुक जाना, और ज़कात का अर्थ है मनुष्य का अपनी प्रिय चीज़ों को व्यय करना, और नमाज़ एक शारीरिक कार्य, परिश्रम और संघर्ष है, इस प्रकार इन पांचों स्तम्भों की पूर्ति से हर प्रकार के तक़्लीफ (कर्तव्यों) की पूर्ति होजाती है।

रोज़े का उद्देश्य (नीति) यह नहीं है कि मनुष्य अपने आपको खाने पीने और शादी विवाह से रोक दे, परन्तु उसका उद्देश्य यह है जिसकी ओर अल्लाह तआला ने अपने कथन :

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ [البقرة: ١٨٣].

रोज़े से सम्बन्धित अहङ्काम एवं फतावे

में संकेत किया है, और नबी सल्लल्लाहु अलौहि व सल्लम ने अपने इस कथन में संकेत किया है :

((من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس الله
حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)).

“जो व्यक्ति झूठ बात कहना, झूठ पर अमल करना और और मूर्खता को त्याग न करे तो अल्लाह तआला को इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह अपना खाना पानी करदे।”

अतः जिस व्यक्ति को उसका रोज़ा अल्लाह तआला की निषेध की हुई बातों से सुरक्षित न रखे तो उसका रोज़ा अपूर्ण (खोटा) है और उससे रोज़े का उद्देश्य लुप्त हो गया, इसी प्रकार जो व्यक्ति झूठी बात कहने, उस पर अमल करने और मूर्खता को न छोड़े तो उसका भी रोज़ा अपूर्ण है और उससे रोज़े का उद्देश्य (हिक्मत) छूट गया।

और रसूल सल्लल्लाहु अलौहि व सल्लम के कथनः

((من لم يدع قول الزور))

से तात्पर्य प्रत्येक प्रकार की निषेध बातें हैं और (والعمل به) से अभिप्राय प्रत्येक निषेध कार्य है और (والجهل) का अर्थ लोगों पर अत्याचार करना और सहनशीलता से काम न लेना है, जैसा कि कवि का कहना है :

فنجهل فوق جهل الجاهلين **اَلَا لَا يَجْهَلُنَّ اَحَدٌ عَلَيْنَا**

सवधान ! हम से कोई मूर्खता न करे, अन्यथा हम सब से बढ़ कर मूर्खता करेंगे।

तथा यह भी जानते चलें कि मनुष्य पर रमज़ान का रोज़ा छः शर्तों के साथ अनिवार्य है : इस्लाम, बुद्धि का होना, व्यस्क होना, शक्ति का होना, मुकीम होना और उकावटों (निरोधकों) का न पाया जाना।

प्रथम शर्त : इस्लाम : है और उसका विपरीत कुफ़ (नास्तिकता) है, अतः काफ़िर (नास्तिक) पर रोज़ा अनिवार्य नहीं है अर्थात् हम उसे रोज़ा रखने पर बाघ्य नहीं करेंगे क्योंकि वह इबादतों (उपासनाओं) के योग्य नहीं है, यदि वह रोज़ा रख ले तो उसका रोज़ा स्वीकार नहीं होगा, अल्लाह तआला ने फरमाया:

﴿وَقَدِمْنَا إِلَيْ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْتُوراً﴾ [الفرقان: ۲۳].

“और उन्हों ने जो कार्य किये थे हमने उनकी ओर बढ़ कर उन्हें उड़ाते हुए धूल के समान कर दिया।” (सूरतुल फुरकानः २३)

और फरमाया:

﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ﴾ [التوبة: ۵۴].

“उनके व्यय के स्वीकार न किए जाने का इसके अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं कि उन्हों ने अल्लाह और उसके रसूल को मानना अस्वीकार कर दिया।” (सूरतुत तौबा: ५४)

इसी प्रकार यदि व्यक्ति नमाज़ नहीं पढ़ता है तो उसका रोज़ा उचित नहीं है और न ही उससे स्वीकार किया जायेगा; क्योंकि जो व्यक्ति नमाज़ नहीं पढ़ता है वह काफिर है और काफिर की इबादत को अल्लाह तआला स्वीकार नहीं करता है।

द्वितीय शर्त : बुद्धि का होना: है, और उसका विपरीत पागलपन है, अतः पागल व्यक्ति पर रोज़ा अनिवार्य नहीं है ; क्योंकि रोज़े के सहीह होने के लिए नियत (इच्छा) का पाया जाना शर्त (आवश्यक) है और पागल नियत करने (इच्छा) की योग्यता नहीं रखता है, क्योंकि वह समझ बूझ नहीं रखता है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से हदीस के अन्दर सिद्ध है कि:

((رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ
وعن الصغير حتى يبلغ وعن الجنون حتى يفيق)).

“तीन प्रकार के लोगों से क़लम उठा लिया गया है: सोने वाले से यहाँ तक की वह जाग जाये, अव्यस्क (छोठे बच्चे) से यहाँ तक कि वह व्यस्क (बड़ा) होजाए और पागल से यहाँ तक कि वह सचेत और संज्ञा वान हो जाए।”

और पागलपन ही के समान बुढ़ापे के कारण बुद्धि का समाप्त होजाना भी है ; क्योंकि मनुष्य जब बूढ़ा हो जाता है तो प्रायः वह अपनी बुद्धि खो देता है यहाँ तक कि वह दिन और रात, दूर और निकट के मध्य अन्तर नहीं कर पाता है, और उसकी स्थिति एक बच्चे से भी

गई गुज़री हो जाती है, अतः जब मनुष्य इस सीमा को पहुंच जाए तो उस पर रोज़ा अनिवार्य नहीं है जिस प्रकार कि उस पर नमाज़ और तहारत (पवित्रता) अनिवार्य नहीं है।

तीसरी शर्त : **व्यस्कता :** है और उसका विपरीत अव्यस्कता है और व्यस्कता पुलिंग के लिए तीन चीज़ों में से किसी एक के द्वारा पता चलता है, और स्त्री लिंग के लिए चार चीज़ों में से किसी एक के द्वारा पता चलता है:

- ① पन्द्रह वर्ष का पूरा होना।
- ② नाभि के नीचे का बाल उगना।
- ③ कामुकता के साथ स्वप्न में या बेदारी में वीर्य का निकलना।

जब इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ पाई जाए तो मनुष्य बालिंग (व्यस्क) होजाता है चाहे वह पुरुष हो या स्त्री।

और स्त्री के अन्दर एक चौथी चीज़ भी व्यस्कता का चिह्न है: और वह है मासिक धर्म का आना, चुनांचे जब स्त्री को मासिक धर्म आना आरम्भ हो जाए तो वह

बालिग् (व्यस्क) हो गई, यहाँ तक कि यदि उसे दस साल की आयु ही में मासिक धर्म आने लगे तो वह व्यस्क हो गई और उस पर रोज़ा रखना अनिवार्य होगया ।

यहाँ पर मैं एक समस्या पर चेतावनी करना चाहता हूँ जो अनेक लोगों पर गुप्त रह जाता है, वह यह कि जब स्त्री कम आयु में व्यस्क हो जाती है तो कुछ लोग यह समझते हैं कि उस पर इबादतें अनिवार्य नहीं हैं क्योंकि वह अभी छोटी है, हालांकि यह असत्य है, यदि उसे दस साल की आयु में ही माहवारी आने लगे तो उस पर वह समस्त चीज़ें अनिवार्य हो जाती हैं जो एक तीस वर्ष की स्त्री पर अनिवार्य हैं। कुछ स्त्रियाँ छोटी आयु में व्यस्क हो जाती हैं और इस बात को अपने घर वालों से लज्जा और शर्म के कारण गुप्त रखती हैं और रोज़ा नहीं रखती हैं या माहवारी के दिनों में भी रोज़ा रखती हैं, हालांकि यह दोनों चीज़ें असत्य (गलत) हैं, ऐसी स्त्री पर अनिवार्य है कि वह उन दिनों का रोज़ा रखे जो उसने छोड़ दिये हैं और उन दिनों के रोज़ों को दोहराये जो उसने माहवारी के दिनों में रखे हैं ।

चौथी शर्त : सामर्थ्य और शक्ति : का होना है, और उसका विपरीत असमर्थता और अशक्ति है, रोज़े से असमर्थता के दो प्रकार हैं:

एक सामयिक और अस्थाई असमर्थता जिसके समाप्त होने की आशा हो जैसे कि कोई सामान्य बीमारी।

दूसरी स्थायी और निरंतर रहने वाली असमर्थता जिसके समाप्त होने की आशा न हो जैसे कि वह बीमारियाँ जिनके समाप्त होने की आशा नहीं होती है उदाहरणताः कैंसर की बीमारी और बुढ़ापा, इसलिए कि बुढ़ापे के समाप्त होने की आशा नहीं होती है क्योंकि एक बूढ़े व्यक्ति का पुनः जवान होना सम्भव नहीं है, इस प्रकार की असमर्थता और बेबसी में मनुष्य पर रोज़ा रखना अनिवार्य नहीं है; इसलिए कि वह उसकी शक्ति नहीं रखता है, किन्तु उस पर अनिवार्य यह है कि प्रत्येक दिन के बदले एक मिस्कीन (दरिद्र और धनहीन) को (रमज़ान महीने के) दिनों की संख्या में खाना खिलाए, यदि महीना उन्तीस दिन का है तो उस पर उन्तीस मिस्कीनों का खाना खिलाना अनिवार्य है, और यदि महीना तीस दिन का है तो उस पर तीस मिस्कीनों को खाना खिलाना अनिवार्य है।

खाना खिलाने की दो विधियाँ (प्रकार) हैं :

प्रथम विधि : रमज़ान के दिनों की संख्या में महीने के अन्त में मिस्कीनों को भोजन पर निमन्त्रण दे और उन्हें रात अथवा दूपहर का भोजन कराए।

द्वितीय विधि : उन्हें कोई अनाज और गोश्त प्रदान कर दे, अनाज के साथ सालन भी हो, और उस अनाज की मात्रा एक चौथाई साइ ($\frac{1}{4}$) है; क्योंकि साइ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के काल में चार मुद्द का होता था और जब साइ का माप निकाला गया तो वह दो किलो चालीस ग्राम का हुआ, इस प्रकार प्रत्येक मिस्कीन को आधा किलो और दस ग्राम ($5\text{ }90$ ग्राम) खाना दिया जाएगा, और यदि मनुष्य सतर्कता और सावधानी से काम लेते हुये इस से कुछ अधिक दे दे तो कोई बात नहीं, किन्तु अनिवार्य मात्रा यही है।

असमर्थता का दूसरा प्रकार अस्थायी (सामयिक) असमर्थता है, जिसके समाप्त होने की आशा होती है जैसेकि अस्थायी बीमारी उदाहरणतः जुकाम, बुखार और इनके समान अन्य बीमारियाँ, ऐसी स्थिति में उस पर अनिवार्य यह है कि जिन दिनों का उसने रोज़ा नहीं

रखा है उतने दिनों का रोज़ा रखे, इस लिए कि अल्लाह
तआला का फरमान है:

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّهُ مِنْ أَيَّامٍ
أُخْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]

“और जो बीमार हो या यात्रा पर हो तो वह
दूसरे दिनों में उसकी गिन्ती पूरी करे।”

(सूरतुल बकरा: ٩٥)

अतः उस व्यक्ति से जिसकी बीमारी के समाप्त होने
की आशा है हम कहेंगे कि यदि तुम पर रोज़ा कठिन
पड़ता है तो रोज़ा तोड़ दो और जिन दिनों का रोज़ा
तुम ने तोड़ दिया है बाद में उसकी क़ज़ा कर लो।

पाँचवीं शर्त : मुक़ीम होना है, और उसका विपरीत
यात्रा (में होना) है, अतः यात्री पर अभी ऊपर वर्णित
आयत की बिना पर रोज़ा रखना अनिवार्य नहीं है,
बल्कि उसके लिए श्रेष्ठ वह काम है जो उसके लिए
अधिक सरल हो, यदि उसके लिए अधिक सरल रोज़ा
तोड़ना हो तो वह रोज़ा तोड़ दे, और यदि रोज़ा रखना
और न रखना दोनों बराबर हो तो इस विषय में
विद्वानों के मध्य मतभेद है कि रोज़ा रखना श्रेष्ठ है या

रोज़ा तोड़ देना? और राजेह (ऊच्च) बात यह है कि रोज़ा रखना उत्तम है क्योंकि यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत (परम्परा, व्यवहार) रही है, क्योंकि आप (यात्रा में) रोज़ा रखते थे, और जिस समय आप से यह कहा गया कि लोगों पर रोज़ा कठिन पड़ रहा है और वह प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप क्या करते हैं, तो उस समय आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रोज़ा तोड़ दिया, तथा इस लिए भी कि ऐसी अवस्था में मनुष्य शीघ्र ही भार मुक्त (बरीउज़िज़म्मा) हो जाता है।

तीसरा कारण यह है कि यह मनुष्य के लि अधिक सरल है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब मनुष्य पर किसी चीज़ की क़ज़ा अनिवार्य होती है तो वह उस पर भारी और कठिन पड़ती है, यहाँ तक कि कुछ लोगों पर रमज़ान के केवल एक दिन की क़ज़ा होती है फिर भी वह टाल मटोल करते हैं और उसे शाबान के अन्तिम दिन तक विलम्ब कर देते हैं, क्योंकि उस समय क़ज़ा भरी पड़ती है, किन्तु यदि वह लोगों के साथ रोज़ा रखे तो उस पर यह सरल हो जाता है।

यहाँ पर मैं एक प्रश्न उठाता हूँ : जो व्यक्ति उमरा करने के लिए मक्का में आया हुआ है क्या वह रोज़ा तोड़ देगा? या नहीं?

उत्तर : जब वह व्यक्ति यात्रा पर हो - और वह यात्रा ही पर है-तो उसके लिए रोज़ा तोड़ना वैध है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सन आठ हिज्री में मक्का पर विजय प्राप्त किया और उन्नीस या बीस रमजान को मक्का में प्रवेश किया और अवशेष महीना वहीं रहे और रोज़ा नहीं रखा, जैसाकि सहीह बुखारी में सिद्ध है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अवशेष महीना रोज़ा नहीं रखा और मक्का में उन्नीस दिन ठहरे रहे और नमाज़ कस्त्र करते रहे, इसीलिए हम मक्का मे ऐसे लोगों को देखते हैं जिन पर उमरा करने के कारण रोज़ा बहुत कठिन पड़ता है, यहाँ तक कि हम ने कुछ लोगों को ऐसा भी देखा है जो बेहोश होने के निकट थे, ऐसे व्यक्ति से हम कहेंगे कि तुम रोज़ा तोड़ दो क्योंकि तुम यात्रा में हो।

फिर यदि हम से कोई प्रश्न करने वाला प्रश्न करे कि: क्या श्रेष्ठ यह है कि जब कोई व्यक्ति दिन के समय मक्का पहुँचे तो वह रोज़े की हालत में बाकी रहे और उमरा को रात तक विलम्ब कर दे ? या उसके लिए श्रेष्ठ यह है कि रोज़ा तोड़ दे ताकि वह पहुँचते ही दिन ही में उमरा कर सके?

इसका उत्तर यह है कि: उसके लिए श्रेष्ठ दूसरा विकल्प (अर्थात् रोज़ा तोड़ना) है ताकि वह उमरा की अदायगी शीघ्र कर सके; क्योंकि उसके मक्का आने का उद्देश्य उमरा ही है, और नबी सल्लल्लाहु अलौहि व सल्लम उसकी अदायगी में शीघ्रता करते थे यहाँ तक कि आप अपनी सवारी (ऊंटनी) को मस्जिद के द्वार ही पर बैठा देते थे और उमरा अदा करने के लिए अन्दर प्रवेश कर जाते थे।

छठी शर्त : अवरोधकों और रुकावटों का न पाया जाना: यह शर्त स्त्रियों के साथ विशेष है इस प्रकार कि वह हैज़ (मासिक धर्म) और निफास (प्रसव) वाली ना हों; क्योंकि हैज़ और निफास रोज़े के सहीह (शुद्ध) होने में रुकावट है, नबी सल्लल्लाहु अलौहि व सल्लम ने फरमाया:

((أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم))

“क्या ऐसी बात नहीं है कि स्त्री मासिक धर्म के अन्तर काल ना नमाज़ पढ़ती है और ना रोज़ा रखती है।”

और समस्त मुसलमानों की इस बात पर सर्व सहमति है कि हैज़ वाली स्त्री का रोज़ा सहीह नहीं है, बल्कि उस पर रोज़ा रखना हराम (निषेध) है, और यही आदेश निफास वाली (प्रसवती) स्त्री का भी है।

रोज़ा का समय :

रोज़ा का समय फज्र के उदय होने से लेकर सूर्यास्त तक है, इसका प्रमाण अल्लाह तआला का यह फरमान है:

﴿فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَيْبَ اللَّهُ لَكُمْ
وَكُلُّوا وَاشْرِبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ
مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ
إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧].

“अब तुम्हें उनसे सम्भोग करने की और अल्लाह की लिखी हुई चीज़ को ढूँढ़ने की अनुमति है, तुम खाते पीते रहो यहाँ तक कि प्रभात का सफेद धागा रात के काले धागे से प्रत्यक्ष हो जाए। फिर रात तक रोज़े को पूरे करो।” (सूरतुल बकरा: ١٨٧)

दूसरा प्रमाण नबी सल्लल्लाहु अलौहि व सल्लम का
यह फरमान है :

((كُلُوا وَاشْرِبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أذانَ أَبْنَ أَمْ

مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ لَا يَؤْذِنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ))

“खाओ और पियो यहाँ तक कि इन्हे उम्मे मक्तूम
की अज्ञान सुन लो; क्योंकि वह अज्ञान नहीं देते
यहाँ तक कि फज्र उदय हो जाए।”

और आप सल्लल्लाहु अलौहि व सल्लम ने फरमाया:

((إِذَا أَقْبَلَ الظَّلَلُ مِنْ هَاهُنَا وَأَشَارَ إِلَى الْمَشْرِقِ

وَأَدْبَرَ النَّهَارَ مِنْ هَاهُنَا وَأَشَارَ إِلَى الْمَغْرِبِ

وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ))

“जब रात यहाँ से आजाए और आपने पूरब की
ओर संकेत किया और दिन यहाँ से चला जाए
और आपने पश्चिम की ओर संकेत किया, और
सूर्य ढूब जाए तो रोज़ेदार के रोज़ा खोलने का
समय होगया।”

रोजा तोड़ने वाली चीजें :

१. खाना।
२. पीना।
३. संभोग करना।

इन तीनों चीजों का प्रमाण अल्लाह तआला का यह फरमान है:

﴿فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ
أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧].

“अब तुम्हें उनसे सम्भोग करने की और अल्लाह की लिखी हुई चीज़ को ढूँढ़ने की अनुमति है, तुम खाते पीते रहो यहाँ तक कि प्रभात का सफेद धागा रात के काले धागे से प्रत्यक्ष हो जाए। फिर रात तक रोज़े को पूरे करो।” (सूरतुल बकरा: १८७)

खाने पीने के संबंध में इस बात में कोई अन्तर नहीं है कि खाई जाने वाली चीज़ लाभदायक है या

हानिकारक, हलाल है या हराम। इस आधार पर यदि किसी व्यक्ति ने तस्बीह का दाना निगल लिया तो उसका रोज़ टूट जाएगा, इसलिए कि उसने खाया है, और यदि कोई व्यक्ति बीड़ी सिगरेट पी ले तो उसका रोज़ टूट जाएगा; क्योंकि उसने पिया है। तथा इसमें भी कोई अन्तर नहीं कि वह खाना पानी मुख के द्वारा पहुँचा है अथवा नाक के रास्ते से पहुँचा है, इस लिए कि नबी سल्लल्लाहु अलौहि व सल्लम ने लकीत बिन सबिरा से फरमाया:

((بَالْغُ يُنْهَا إِلَّا أَنْ تَكُونْ صَائِمًا))

“नाक में पानी चढ़ाने में मुबालगा (अधिकता) से काम लो, सिवाय इसके कि तुम रोज़ो से हो।”

इस हदीस से ज्ञात हुआ कि जो चीज़ नाक के रास्ते से अन्दर प्रवेष करे (पहुँचे) उसका वही हुक्म है जो हुक्म मुख के द्वारा अन्दर जाने वीली चीज़ का है।

चौथा: जो चीज़ खाने पीने के अर्थ में है :

उदाहरण स्वरूप ताक़त का (शक्तिप्रद) इन्जेक्शन् जो खाने पीने का काम करता है, इसका प्रमाण यह है कि

अल्लाह तआला ने अपनी पुस्तक कुरआन करीम में फरमाया है:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا إِلَيْنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ
الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُولَّ النَّاسُ بِالْقُسْطِ﴾

[الحديد: ٢٥]

“निःसंदेह हम ने अपने संदेष्टाओं को स्पष्ट निशानियाँ प्रदान करके भेजा तथा उनके साथ पुस्तक और न्याय (तुला) अवतरित किया ताकि लोग न्याय पर स्थित रहें।” (सूरतुल हदीद: २५)

और अल्लाह तआला का यह फरमान है:

﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ﴾

[الشورى: ١٧]

“अल्लाह तआला ने सत्य के साथ किताब अवतरित की है और तराजू भी (उतारी है)।” (सूरतुश्शूरा: ٩٧)

और मीज़ान (तराजू) कहते हैं उस पैमाने को जिसके द्वारा चीज़ों का भार ज्ञात किया जाता है (अनुमान लगाया जाता है) और उनके बीच तुलना किया जाता है,

और जब हम इन इन्-जेक्शनों के मध्य जो खाने पीने का काम करते हैं और खाने पीने के बीच तुलना करते हैं तो दोनों को हुक्म के अन्दर समान पाते हैं, अतः यह कहना कि ताक़त के इन्-जेक्शन् से रोज़ा टूट जाता है कियास (अनुमान) पर आधारित है - अर्थात् उसे खाने पीने पर कियास किया गया है।

यदि कोई आपत्तिकर्ता कहे: यह कियास अपूर्ण है क्योंकि शक्तिप्रद इन्-जेक्शन् और खाने पीने के बीच व्यापक अन्तर है और वह यह कि खाने पीने से जो लाभ प्राप्त होता है वह इन शक्तिप्रद इन्-जेक्शनों से अधिकतर है, तथा खाने पीने से जो स्वाद (आनन्द) प्राप्त होता है वह इन शक्तिप्रद इन्-जेक्शनों से नहीं प्राप्त होता है।

उत्तर: इसका उत्तर यह है कि लकीत बिन सविरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह फरमान कि ”नाक में पानी चढ़ाने में मुबालगा करो सिवाय इसके कि तुम रोज़े से हो”, इस बात पर तर्क है कि जिस चीज़ से रोज़ा टूट जाता है उसके लिए यह शर्त नहीं है कि उससे मनुष्य स्वाद प्राप्त करे; क्योंकि इन्जेक्शन् के द्वारा जो चीज़ पेट में पहुँचती है उससे वही स्वाद प्राप्त होता है जो (स्वाद)

उस चीज़ के मुख के द्वारा (पेट में) जाने से प्राप्त होता है। इससे हमें ज्ञात होजाता है कि यह कियास पूर्ण है (नाकिस नहीं है) और वह इन्-जेकशन् जो खाने पीने का काम करता है उससे रोज़ा टूट जाता है, और इसलिए कि इसमें एहतियात (सावधानी) का पक्ष भी है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया है:

((دعا ما يربك على ما لا يربك))

“जो चीज़ तुम्हें शंका (सन्देह) में डालने वाली हो उसे छोड़ दो और जिस चीज़ में शंका न हो उसे चयन कर लो।”

और इस लिए भी कि प्रायः व्यक्ति को इन इन्-जेकशनों की उसी समय आवश्यकता पड़ती है जब वह इतना बीमार होता है कि उसके लिए रोज़ा तोड़ना जायज़ होता है।

पांचवाँ: रोज़े दार का ईच्छापूर्वक कामुकता के साथ वीर्य निकालना: यदि कोई व्यक्ति ईच्छापूर्वक (स्वयं अपने कर्म से) कामुकता के साथ वीर्य निकाल दे तो उसका रोज़ा फासिद (व्यर्थ) होजाएगा, इसका प्रमाण नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह कथन है:

((وَفِي بَضْعٍ أَحَدُكُمْ صَدَقَةً قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْأَتِيَ أَحَدُنَا شَهُوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعْهَا فِي الْحَرَامِ أَكَانَ عَلَيْهِ وَزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعْهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ)).

“और तुम्हारे शरमगाह (सम्भोग करने) में भी सदका (पुण्य) है, सहाबा ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल हम में से कोई व्यक्ति अपने कामवासना की पूर्ति करता है और उसे उसमें पुण्य भी मिलेगा ? आप ने कहा: तुम्हारा क्या विचार है यदि वह अपनी कामवासना को निषेध (हराम) चीज़ों में पूरा करे, क्या उसे उस पर पाप न मिलेगा ? इसी प्रकार जब उसने उसे वैध (हलाल) चीज़ों में पूरा किया तो उसे उस पर पुण्य मिलेगा।”

और जो शहवत पूरी की जाती है वह वीर्य है और अल्लाह तअला ने हदीस कुदसी में रोज़ेदार के बारे में फरमाया है:

((يَدْعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهُوَتَهُ مِنْ أَجْلِي))

“वह अपने खाने पीने और शहवत (कामवासना) को मेरे कारण छोड़ देता है।”

और यदि वीर्य बिना शहवत (कामुकता) के निकल जाए, उदाहरणतः मनुष्य के अन्दर कोई बीमारी हो जिसके साथ वीर्य निकलता रहता हो तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा।

और हमारे कथन (بفعل منه) “अपने कर्म (इच्छा) से हो” इसका अर्थ यह है कि वह अपने अधिकार और इच्छा से वीर्य पात करे, यदि अपने अधिकार और इच्छा से वीर्य पात न करे तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा, जैसेकि कोई व्यक्ति अधिक कामुकता और शीघ्रपतन वाला हो, कि उसके केवल सम्भोग के विषय में विचार करने से ही वीर्य पतन होजाए, उसने किसी भी चीज़ को हरकत न दी हो, न तो उसने अपने शिशन से छेड़-छाड़ किया हो और न ही धरती पर लोटा हो और न ही इसके अतिरिक्त और कुछ किया है तो उसका रोज़ा फासिद (व्यर्थ) नहीं होगा, इसलिए कि नबी سल्लल्लाहु अलौहि व सल्लम फरमाते हैं:

((إن الله تجاوز عن أمتي ما حديث به أنفسها ما
لم تعمل أو تتكلم))

अल्लाह तआला ने मेरी उम्मत के हृदयों में जो कल्पनाएं पैदा होती हैं उन्हें क्षमा कर दिया है जब तक कि वह उस पर अमल न करें या उसे मुख से बाहर न निकालें।

और इस व्यक्ति ने न तो कोई कार्य किया है और न ही मुख से कोई बात निकाली है।

छटा: जान बूझकर उल्टी (कथ, वमन) करना: यदि मनुष्य जानबूझ कर उल्टी करदे इस प्रकार कि अपने पेट (मेदे) से खाना निकाल दे तो इससे रोज़ा टूट जाएगा, और यदि उसकी इच्छा के बिना उस पर कथ ग़ालिब आगई है तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा, इसका प्रमाण अबु-हुरैरह रजियल्लाहु अन्हु की हडीस है कि नबी سल्लल्लाहु अलौहिं व सल्लम ने फरमाया:

((من ذرעה القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء
عمدا فليقض))

“जिस पर क़य ग़ालिब आगई उस पर कोई क़ज़ा
नहीं और जिसने जानबूझ कर क़य किया वह
(रोज़े की) क़ज़ा करे।”

यहाँ पर एक नज़री (काल्पनिक, विचार योग्य) तर्क भी है: वह यह है कि उल्टी करना शरीर को दुर्बल कर देता है, क्योंकि इससे मेदे (आमाशय) में जो कुछ खाना पानी होता है निकल जाता है, और जब मेदा खाने और पानी से खाली हो तो शरीर रोज़ा सखने से दुर्बल होजाता है, अतः अल्लाह तआला की हिक्मत का तक़ाज़ा यह है कि उल्टी से रोज़ा टूट जाए, इसलिए हम रोज़ेदार से कहेंगे कि फर्ज़ रोज़े में उल्टी न करें और यदि इसके लिए विवश होजाएं तो ऐसी स्थिति में आपका रोज़ा टूट जाएगा और आपके लिए खाना पीना वैध हो जाएगा ताकि शरीर की खोई हुई शक्ति को वापस लौटा सकें।

सातवाँ : सिंधी लगाना: जब रोज़ेदार सिंधी लगवाए और उससे रक्त स्राव होजाए तो उसका रोज़ा टूट जाएगा, इसका प्रमाण शदाद बिन औस रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि नबी ﷺ ने फरमाया:

((أَفْطِرُ الْحَاجِمَ وَالْمَحْجُومَ))

“सिंधी लगाने वाले का और सिंधी लगवाने वाले का रोज़ा टूट गया।”

यहाँ भी एक नज़री दलील (काल्पनिक तर्क) है और वह यह कि सिंधी लगवाने वाला सिंधी लगवाने से दुर्बल होजाता है, क्योंकि सिंधी लगवाने वाले का अधिक मात्रा में रक्त निकल जाता है, और जब अधिक मात्रा में रक्त निकल जाता है तो उसका शरीर दुर्बल होजाता है, और जो शरीर अधिक मात्रा में खून निकलने के कारण दुर्बल होगया हो रोज़ा उसको प्रभावित करता है।

इसलिए हम कहते हैं कि जिसका रोज़ा वाजिब हो उसके लिए सिंधी लगवाना जायज़ नहीं है, यदि उसका खून भड़क (जोश मार) रहा हो और उसे सिंधी लगवाने की आवश्यकता हो तो वह सिंधी लगवाए और रोज़ा तोड़ दे और उसके लिए अपने शरीर की शक्ति लौटाने के लिए खाना पीना जायज़ है।

सिंधी लगवाने पर उस चीज़ को भी कियास किया जाएगा जो उसके अर्थ में हो जैसेकि मनुष्य के शरीर से अधिक मात्रा में खून निकालना, यह कभी कभार उस समय पेश आता है जब किसी व्यक्ति के शरीर में रक्त चढ़ाने के लिए दूसरे मनुष्य के खून की आवश्यकता

होती है, उस समय उसके शरीर से अधिक मात्रा में रक्त निकाला जाता है, जिस से उसका शरीर दुर्बल हो जाता है और डॉक्टर लोग उसे जूस आदि देते हैं ताकि खून निकालने के कारण उसके अन्दर जो दुर्बलता उत्पन्न हो गई है वह समाप्त होजाए।

किन्तु जो चीज़ सिंधी लगाने से कमतर हो उदाहरण स्वरूप जाँच करने के लिए खून निकालना तो इसमें कोई हानि (हर्ज) नहीं है, यद्यपि जान बूझकर ही क्यों न निकलवाया हो, इसी प्रकार यदि आदमी के नाक से खून निकल आये (विनास फूट जाए) तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है, यद्यपि अधिक मात्रा में खून निकल जाए, क्योंकि यह उसने अपनी इच्छा से नहीं किया है।

आठवाँ : हैज़ और निफास का खून निकलना:

यदि रोजे की अवस्था में स्त्री को मासिक धर्म आजाए तो उसका रोज़ा फासिद (व्यर्थ) हो जाएगा, चाहे दिन के समाप्त होने में केवल पाँच मिनट शेष रह गया हो, और यदि सूर्यास्त के पाँच मिनट पश्चात उसे मासिक धर्म आए तो उसका रोज़ा फासिद नहीं होगा। जबकि अधिकांश महिलाओं में यह बात प्रसिद्ध है कि यदि स्त्री को सूर्यास्त के पश्चात और मग्नारिब की नमाज़ से पूर्व

मासिक धर्म आजाए तो उसका रोज़ा फासिद होजाएगा, यह बात असत्य (गलत) है, अतः स्त्रियों को इस मसूअला से अवगत कराना चाहिए, बल्कि कुछ स्त्रियों में इतनी अधिक सावधानी पाई जाती है कि वह कहती हैं कि यदि स्त्री को इशा की नमाज़ से पूर्व माहवारी आजाए तो उसका उस दिन का रोज़ा फासिद होजाएगा, यह बात पहले से भी अधिक असत्य (गलत) है।

सत्य बात यह है कि यदि स्त्री का मासिक धर्म चल पड़े और उसे खून के चलने का अनुभव हो किन्तु वह सूर्यास्त के पश्चात बाहर निकलता है तो उसका रोज़ा सहीह और उचित है, और खून के चलने का कोई मान नहीं है यहाँ तक कि वह बाहर निकल आए, इसका प्रमाण यह है कि नबी ﷺ से प्रश्न किया गया कि जो कुछ पुरुष सपने में देखता है वही चीज़ स्त्री भी सपने में देखे तो क्या उस पर स्नान अनिवार्य है? तो आप ﷺ ने फरमाया: ”हाँ, जब वह पानी (वीर्य) देख ले”। इससे ज्ञात हुआ कि जिन चीज़ों के निकलने से स्नान अनिवार्य होजाता है या रोज़ा टूट जाता है उनके लिए बाहर निकलना और दिखाई देना आवश्यक है।

रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों से रोज़ा टूटने की शर्तेः

उपरोक्त वर्णित रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों से उसी समय रोज़ा टूटता है जब उनके अन्दर तीन शर्तें पाई जायें : ज्ञान का होना, स्मर्ण (ध्यान) का होना और ईच्छा व इरादा का होना ।

पहली शर्त : ज्ञान : इसका विपरीत मूर्खता और अज्ञानता है, अतः जाहिल और अनजाना व्यक्ति इन रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों को प्रयोग कर ले तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा, चाहे उसे हुक्म का ही ज्ञान ना हो उदाहरण स्वरूप वह यह समझता हो कि इससे रोज़ा नहीं टूटता है जैसे कि कोई व्यक्ति सिंधी लगवाले और उसे यह ज्ञात न हो कि सिंधी लगवाने से रोज़ा टूट जाता है ।

या उसे स्थिति (हालत) का ज्ञान न हो जैसे कि वह यह गुमान करे कि यह खाने पीने का समय है, उदाहरणतः यह समझते हुए खा ले कि अभी फज्जर उदय नहीं हुआ है, उसने घड़ी में देखा कि तीन बजकर बीस मिनट हो रहा है और फज्जर का समय चार बजकर बीस मिनट पर है, फिर उसने खाना पीना

आरम्भ कर दिया हालांकि उसकी घड़ी पूरे एक घण्टा विलम्ब थी और उसे पता चला कि इस समय चार बजकर बीस मिनट हो रहा है, अर्थात् फज्र उदय होचुका है, तो यह व्यक्ति वर्तमान स्थिति से अवगत नहीं है इसलिए उसका रोज़ा फासिद नहीं होगा, इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति ने दिन के अन्तिम समयः अल्लाहु अकबर की आवाज़ सुनी और उसे मुअज्जिन की आवाज़ समझा और यह गुमान करते हुए कि सूर्य डूब गया है उसने रोज़ा खोल दिया फिर उसे ज्ञात हुआ कि सूर्य डूबा नहीं है तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा।

दूसरी शर्त : स्मरण (ध्यान) का होना : इसका विपरीत भूल चूक है, यदि कोई व्यक्ति इस बात को भूलकर कि वह रोज़ा से है खाले या पी ले या अपनी पत्नी से सम्भोग कर ले तो उसका रोज़ा सहीह है क्योंकि हम शर्त लगाते हैं कि वह उसको याद रखने वाला हो।

ज्ञान और स्मरण (ध्यान) की शर्त लगाने और यह कि भूल जाने वाले या अनजाने व्यक्ति का रोज़ा फासिद नहीं होता, इसका प्रमाण दो प्रकार का है : सामान्य प्रमाण और विशेष प्रमाण।

९-सामान्य प्रमाण :

अल्लाह तआला का यह फरमान है:

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]

. [۲۸۶]

ऐ हमारे रब, यदि हम भूल गए हों या गलती की हो तो हमारी पकड़ न करना। (सूरतुल बकरः २८६)

और अल्लाह तआला का यह फरमान है:

﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكُنْ مَا تَعْمَدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥].

तुम से भूल चूक में जो कुछ होजाए उसमें तुम्हारे ऊपर कोई पाप नहीं, किन्तु पाप वह है जिसका तुम हृदय से इरादा करो। (सूरतुल अहज़ाबः ५)

२-विशेष प्रमाण :

यह है कि भूल चूक के विषय में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहीह हदीस के अन्दर जिसे अबु-हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत किया है फरमाया :

((من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم))

صومه فإنما أطعمه الله وسقاه))

“जिस व्यक्ति ने रोज़े की हालत में भूल चूक कर खा पी लिया वह अपना रोज़ा पूरा करे; क्योंकि उसे अल्लाह तआला ने खिलाया और पिलाया है।”

यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि रोज़ा फासिद नहीं होगा और केवल खाने पीने का उल्लेख किया जाना इसके अतिरिक्त चीज़ों की नफी नहीं करता है, क्योंकि वह दोनों उदाहरण के तौर पर उल्लेख किए गए हैं।

हुक्म से अनवगत होने का प्रमाण: अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है जब उन्होंने रोज़े का इरादा किया तो उन्होंने दो रस्सियां लीं एक काली और दूसरी सफेद और उन्हें अपने तकिए के नीचे रख लिया और खाना पीना आरम्भ करदिया और दोनों रस्सियों को देखते रहे यहाँ तक कि सफेद डोरी काली डोरी से स्पष्ट होगई, जब भोर हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इसकी सूचना दी तो आपने फरमाया:

((إن وسادك لعريض أن وسع الخيط الأبيض
والأسود ثم قال: إنما ذلك بياض النهار وسودان الليل))

“तुम्हारा तकिया तो बहुत लम्बा चौड़ा है कि उसमें सफेद धागा और काला धागा दोनों समागया, फिर आप ने फरमायाः इससे तात्पर्य दिन की सफेदी और रात की ताराकी है।”

और नबी سल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनको कज़ा का हुक्म नहीं दिया; क्योंकि उन्हें हुक्म का पता नहीं था।

स्थिति से अनवगत होने का विशेष प्रमाणः अस्मा बिन्त अबु बक्र रजियल्लाहु अन्हा की वह हदीस है जिसे इमाम बुखारी ने उल्लेख किया है वह कहती हैः

((أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس))

“नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के समयकाल में एक बदली वाले दिन में हम ने रोज़ा इफतार कर लिया, फिर सूर्य निकल आया।”

और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें कज़ा का आदेश नहीं दिया, इसलिए कि यदि उन्हें कज़ा का आदेश दिया होता तो हम तक अवश्य नक़ल किया जाता, क्योंकि यह -कज़ा- शरीअत का आदेश है और शरीअत के आदेश का नक़ल किया जाना और उसका सुरक्षित होना आवश्यक है, और जब यह नक़ल नहीं किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें कज़ा का आदेश दिया था तो इससे ज्ञात हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें कज़ा का आदेश नहीं दिया था और जब उन्हें आदेश नहीं दिया था तो कज़ा अनिवार्य नहीं है इसलिए कि यदि वह अनिवार्य होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उन्हें उसका आदेश अवश्य देते।

तीसरी शर्तः इच्छा और इरादा:

यदि रोज़ा तोड़ने वाली यह चीज़ें मनुष्य के इच्छा और अधिकार के बिना घटित हो जाएं तो उसका रोज़ा सहीह और उचित है, यदि रोज़े की अवस्था में उसे स्वपनदोष हो जाए तो उसका रोज़ा सहीह है, क्योंकि वह उसके अधिकार और इच्छा के बिना घटित हुआ है, यदि मनुष्य वजु करे और कुल्ली करते समय कुछ पानी

उसके पेट में चला जाए तो उसका रोज़ा सहीह है क्योंकि उसने ऐसा जान बूझकर नहीं किया है।

इसका प्रमाण अल्लाह तआला का यह फरमान है :

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكُنْ مَا تَعْمَدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴿٥﴾ [الأحزاب: ٥].

तुम से भूल चूक में जो कुछ हो जाये उसमें तुम पर कोई पाप नहीं, परन्तु पाप वह है जिसका निश्चय तुम हृदय से करो। (सूरतुल अहजाबः ५)

और इस व्यक्ति ने इसका निश्चय नहीं किया है।

और अल्लाह तआला का यह फरमान भी प्रमाण है:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ وَلَكُنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾ [النحل: 106].

“जो अपने ईमान के पश्चात अल्लाह से कुफ्र करे सिवाय उसके जिसे बाध्य किया गया है और उसका हृदय ईमान पर सन्तुष्ट हो, परन्तु जो लोग

खुले दिल से कुफ्र करें तो उन पर अल्लाह
तआला का प्रकोप है और उन्हीं के लिए बड़ी
यातना है।” (सूरतुन नह्ल: ९०६)

इस आयत से तर्क इस प्रकार है कि जब मनुष्य को
कुफ्र पर बाध्य किए जाने के संबंध में छमा योग्य समझा
गया है तो जो चीज़ कुफ्र से कमतर है उसमें उसे
अधिक छमा का योग्य समझा जाएगा।

जान बूझकर रोज़ा तोड़ देनाः

यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त वर्णित शर्तों की पूर्ति के
उपरान्त अर्थात् ज्ञान और ध्यान (स्मरण) रखते हुए
अपनी इच्छा और अधिकार से रोज़ा तोड़ देता है तो
उस पर निम्नलिखित बातें निष्कर्षित होती हैं:

प्रथम : उसे पाप मिलता है यदि रोज़ा वाजिब हो।

द्वितीय : रोज़ा फासिद हो जाता है।

तीसरा : यदि रमज़ान का महीना हो तो अवशेष दिन
खाने पीने से खकना अनिवार्य होजाता है।

चौथा : यदि वाजिब रोज़ा था तो कज़ा करना वाजिब
होजाता है, परन्तु यदि उसका रोज़ा नफ़्ली (ऐच्छिक) हो
और उसने उसको फासिद कर दिया है तो उस पर

केवल एक चीज़ निष्कर्षित होती है और वह है उसके रोज़े का फासिद हो जाना।

रमज़ान के दिन में सम्भोग करना :

विशेष रूप से रमज़ान के महीने में दिन के समय सम्भोग कर लेने से एक पाँचवीं चीज़ भी निष्कर्षित होती है और वह है : कफ्फारा (परायश्चित), अतः जो व्यक्ति रमज़ान के दिन में सम्भोग कर ले और रोज़ा उस पर वाजिब हो तो उस पर पाँच चीज़ें निष्कर्षित होती हैं:

- ①- पाप।
- ②- रोज़े का फासिद होना।
- ③- अवशेष दिन खाने पीने से रुक जाना।
- ④- कज़ा करना।
- ⑤- कफ्फारा अनिवार्य होना।

और वह कफ्फारा मुगल्लज़ा (कठोर कफ्फारा) है, और वह है : एक गुलाम (दास या दासी) आज़ाद करना, यदि वह न मिले तो निरंतर दो महीना रोज़ा

रखना, यदि उसका भी सामर्थ्य न रखता हो तो साठ मिस्कीनों को खाना खिलाना।

इसका प्रमाण यह है:

प्रथम : पाप

इसका प्रमाण स्पष्ट है क्योंकि उसने एक वाजिब रोज़े को फासिद कर दिया है और हर वह व्यक्ति जो वाजिब चीज़ को फासिद कर दे वह पापी है।

द्वितीय : अवशेष दिन खाने पीने से रुकना अनिवार्य होना: और यह उसके लिए यातना के तौर पर है; क्योंकि रमज़ान के दिन में रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें वैध नहीं हैं सिवाय इसके कि कोई शरई कारण पाया जाए।

तीसरा : कज़ा का अनिवार्य होना: क्योंकि उसने एक अनिवार्य रोज़ा फासिद कर दिया है जिसकी क़ज़ा (छतिपूर्ति) करना आवश्यक है।

चौथा : कफ़ारा

जो व्यक्ति सम्भोग कर ले और उस पर रोज़ा वाजिब हो उसके लिए कफ़ारा के अनिवार्य होने का प्रमाण अबु हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है वह कहते हैं: एक व्यक्ति नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम

के पास आया और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल मेरा सर्वनाश होगया। आप ने पूछा: “तुझे किस चीज़ ने सर्वनाश कर दिया?” उसने उत्तर दिया: मैं ने रमज़ान के दिन में रोज़े की हालत में अपनी पत्नी से सम्भोग कर लिया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसे आदेश दिया कि एक गुलाम (दास या दासी) मुक्त करे, तो उसने कहा कि उसके पास नहीं है, तो आपने उसे निरंतर दो महीने का रोज़ा रखने का आदेश दिया, तो उसने कहा कि वह इसका सामर्थ्य नहीं रखता है तो आपने उसे साठ मिस्कीनों को भोजन कराने का आदेश दिया, तो उसने कहा कि वह इसका भी सामर्थ्य नहीं है, फिर आदमी बैठ गया, उसी बीच में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास खजूरें आईं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उससे कहा: “इसे लेजाकर दान कर दो”, किन्तु उस व्यक्ति ने कहा: क्या अपने से भी अधिक दरिद्र पर दान कर दूँ? अल्लाह की सौगन्ध मदीना की दोनों पहाड़ियों के बीच मुझसे अधिक निर्धन कोई घराना नहीं है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: “उसे अपने घर वालों को खिला दो”।

ज्ञात रहे कि यह कफ्फारा जैसाकि पूर्व उल्लेख किया जाचुका उस समय अनिवार्य है जब उस पर रमज़ान के अन्दर रोज़ा वाजिब हो, यदि वह रमज़ान के अतिरिक्त अन्य दिनों में अपनी पत्नी से सम्भोग कर लेता है चाहे वह रमज़ान के रोज़े की कज़ा ही क्यों न कर रहा हो उस पर कफ्फारा नहीं है।

यदि रमज़ान के दिन में सम्भोग करले और रोज़ा उस पर अनिवार्य नहीं है, उदाहरण स्वरूप वह और उसकी पत्नी दोनों यात्रा पर हों और रोज़े से हों फिर वह रमज़ान में अपनी पत्नी से सम्भोग करले तो उस पर कफ्फारा नहीं है ; क्योंकि उसके लिए यात्री होने के कारण रोज़ा तोड़ना वैध है, और इस लिए भी कि कफ्फारा के लिए रोज़ा का वाजिब होना शर्त है और यात्री पर रोज़ा वाजिब नहीं है।

तथा सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता है, इसी प्रकार कान में दवा डालने से और विक्स सूंघने से भी रोज़ा नहीं टूटता है; क्यों उसके अन्दर ऐसे भाग (कण) नहीं होते हैं जो ऊपर उठ कर पेट तक पहुँच जाएं।

इसी प्रकार आँख में दवा की बूँदें (eye drops) डालने तथा धूनी लेने से भी रोज़ा नहीं टूटता है इस

शर्त के साथ कि वह पेट तक न पहुँचे, यदि पेट में
पहुँच गया तो इससे रोज़ा दूट जायेगा, अतः इससे दूर
रहना श्रेष्ठ है।



रोज़े से संबंधित फतावे

प्रश्न ९ : रोज़ा के अनिवार्य किये जाने की क्या हिक्मत (उद्देश्य) है?

उत्तर : जब हम अल्लाह तआला का यह फरमानः

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتُبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتُبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾
[البقرة: ١٨٣].

“ऐ ईमान वालो! तुम पर रोज़े रखना अनिवार्य किया गया है जिस प्रकार तुम से पूर्व लोगों पर अनिवार्य किया गया था, ताकि तुम सयंम और भय अनुभव करो।” (सूरतुल बक़रा: १८३)

पढ़ते हैं तो हमें ज्ञात हो जाता है कि रोज़ा के अनिवार्य किये जाने की हिक्मत क्या है? वह तक़्वा और अल्लाह तआला की उपासना है, और तक़्वा का अर्थ है समस्त प्रकार की धर्म निषेध चीज़ों को त्याग कर देना,

और तक्वा का शब्द सामान्य रूप से आदेशों के पालन करने और वर्जित तथा निषेध चीज़ों के त्याग करने को सम्मिलित है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है:

((مَنْ لَمْ يَدْعُ قِوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلْ بِهِ وَالْجَهَلْ

فَلِيَسْ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدْعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ)).

“जो व्यक्ति झूठ बात कहने, झूठ पर अमल करने और मूर्खता से न बचे तो अल्लाह तआता को इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह अपना खाना पानी त्याग कर दे।”

इसलिए रोज़ेदार पर अवश्य हो जाता है कि वह कर्तव्यों का पालन करे तथा निषेध बातों और कर्मों से बचाव करे, चुनांचे लोगों की ग़ीबत (पिशुनता) न करे, झूठ न बोले, उनकी चुग्लखोरी न करे (एक की बात दूसरे से न लगाए), अवैध क्रय-विक्रय न करे और समस्त हराम और निषेध कार्यों से बचाव करे, यदि मनुष्य यह सब पूरे एक महीने तक कर लेगा तो उसकी आत्मा साल के अवशेष दिनों में भी शुद्ध और स्वस्थ रहेगी।

परन्तु खेद की बात है कि अधिकांश रोज़ेदार अपने रोज़े के दिनों और अन्य दिनों के मध्य कोई अन्तर नहीं करते हैं, चुनांचे वह कर्तव्यों को छोड़ने और हराम चीज़ों के करने की अपने पूर्व व्यवहार और स्वभाव पर ही अटल रहते हैं, और आप उन पर रोज़े के वक़ार का कोई चिन्ह नहीं पायेंगे। इन कार्यों से रोज़ा व्यर्थ और अमान्य तो नहीं होता, किन्तु वह उसके पुण्य में अभाव पैदा कर देते हैं, और प्रायः दोनों की तुलना करने पर वह रोज़े के प्रतिफल पर भारी हो जाता है और उसका पुण्य नष्ट हो जाता है।

प्रश्न २: कुछ लोग रमज़ान के महीने के प्रवेश करने (प्रारम्भ होने) आदि में उम्मत की एकता और अखण्डता की रक्षा करने के लिए इस बात का मुतालबा करते हैं कि समस्त मताले (चौँद के उदय होने के समय) को मक्का के मताले से संबंधित कर दिया जाए, इस विषय में आपका क्या विचार है?

उत्तर : अन्तरिक्ष विज्ञान के दृष्टिकोण से यह असम्भव है, क्योंकि चौँद के मताले (उदय होने के समय एवं स्थल) जैसाकि शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिय्या -रहिमहुल्लाह- का कहना है इस विज्ञान के गुरुवों की सर्वसहमति के साथ विभिन्न होते हैं, और जब मताले

विभिन्न होते हैं तो शरई और अकली प्रमाणों का तकाज़ा यह है कि प्रत्येक देश का हुक्म विभिन्न हो।

शरई प्रमाण यह है कि अल्लाह तआला ने फरमाया है:

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلِيَصُمِّهُ﴾ [البقرة: ١٨٥]

“तुम में से जो व्यक्ति इस महीने को पाए उसे रोज़ा रखना चाहिए।” (सूरतुल बक़रा: ٩٥)

मान लो कि धरती के अन्तिम छोर में कुछ लोगों ने इस महीने को नहीं पाया-चाँद नहीं देखा-और मक्का वालों ने चाँद देख लिया-महीना पालिया-तो इस आयत का सम्बोध्य (मुखातब) उन लोगों को कैसे बनाया जासकता है जिन्होंने इस महीने को नहीं पाया?! तथा नबी सल्लल्लाहु अलौहि व सल्लम ने फरमाया:

((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)). متفق عليه.

“चाँद देख कर रोज़ा रखो और चाँद देखकर रोज़ा तोड़ो।” (बुखारी व मुस्लिम)

उदाहरण स्वरूप यदि मक्का वालों ने चाँद देख लिया तो हम पाकिस्तान वालों और उनके पीछे अन्य पूरबी

देशों के लोगों को कैसे वाध्य कर सकते हैं कि वह रोज़ा रखें, हालाँकि हमें ज्ञात है कि उनके छितिज (उफुक़) में चाँद उदय नहीं हुआ है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसे देखने पर लंबित किया है।

अक़्रीली प्रमाण से तात्पर्य सहीह कियास है जिसका प्रतिरोध करना असम्भव है, चुनांचे हम जानते हैं कि संसार के पूरबी दिशा में फज्ज पश्चिमी दिशा से पहले उदय होती है, प्रश्न यह है कि जब पूरबी दिशा में फज्ज उदय हो गयी तो क्या हम पर अनिवार्य है कि खाने पीने से रुक जायें जबकि हमारे यहाँ अभी रात ही है? इसका उत्तर नहीं में होगा। और जब सूर्य पूरबी दिशा में डूब गया किन्तु हमारे यहाँ अभी दिन ही है तो क्या हमारे लिये रोज़ा इफ्तार करना वैध है? इसका उत्तर है कि नहीं। अतः चाँद पूर्ण रूप से सूर्य ही के समान है, अन्तर इतना है कि चाँद का समय-सारणी मासिक है और सूर्य की समय सारणी दिवसीय है। तथा जिस अस्तित्व का यह फरमान है कि:

﴿أَحِلٌ لَكُمْ لِيَلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِهُنَّ عَلَمَ اللَّهُ أَذْكُمْ كُنْثُمْ﴾

تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَإِلَّا
بَاشْرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا
وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ
الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى
اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾ [البقرة: ١٨٧]

“रोज़े की रातों में अपनी पत्नियों से सम्भोग करना तुम्हारे लिए वैध किया गया, वह तुम्हारी पोशाक हैं और तुम उनके पोशाक हो, तुम्हारी गुप्त खियानतों को अल्लाह तआला जानता है, उसने तुम्हारी क्षमा याचना स्वीकार करके तुम्हें क्षमा कर दिया, अब तुम्हें उनसे सम्भोग करने की और अल्लाह की लिखी हुई चीज़ को ढूँढ़ने की अनुमति है, तुम खाते पीते रहो यहाँ तक कि प्रभात का सफेद धागा रात के काले धागे से प्रत्यक्ष हो जाए। फिर रात तक रोज़े पूरे करो, और स्त्रियों से उस समय सम्भोग न करो जब तुम मस्जिदों में ऐतिकाफ़ में हो। यह अल्लाह

तआला की सीमाएँ हैं, तुम इनके निकट भी न जाओ। इसी प्रकार अल्लाह तआला अपनी आयतें लोगों के लिए वर्णन करता है ताकि वह बचें।”

(सूरतुल बकरा: १८७)

उसी अस्तित्व का यह फरमान है:

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلِيَصُمِّمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥]

“तुम में से जो व्यक्ति इस महीने को पाए उसे रोज़ा रखना चाहिए।” (सूरतुल बकरा: १८५)

चुनांचे शरई और अक़ली प्रमाणों का तकाज़ा यह है कि हम रोज़ा और इफ़्तार से संबंधित प्रत्येक स्थान का एक विशेष आदेश निर्धारित करें, और उसे एक प्रत्यक्ष चिन्ह से जोड़ दिया जाए जिसे अल्लाह तआला ने अपनी किताब में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी सुन्नत में निर्धारित किया है और वह है चाँद का देखना और सूर्य अथवा फज्ज का उदय होना।

प्रश्न ३ : जब रोज़ेदार एक देश से दूसरे देश में जाए और पूर्व देश में शब्वाल के महीने के चाँद देखने की घोषणा कर दी जाए तो क्या वह व्यक्ति उनके

अधीन अपना रोज़ा तोड़ देगा? ज्ञात रहे कि दूसरे देश में शव्वाल का चाँद नहीं देखा गया है।

उत्तर : जब कोई व्यक्ति एक इस्लामी देश से दूसरे इस्लामी देश में जाए और जिस देश में गया है वहाँ इफ्रतार (अर्थात् रोज़े का अन्त) विलम्ब होगया है, तो वह उनके साथ रोज़े की अवस्था में बाकी रहेगा यहाँ तक की वह रोज़ा तोड़ दें ; क्योंकि रोज़ा कहते हैं उस दिन को जिसमें लोग रोज़ा रखते हैं और फिर (रोज़ा तोड़ने या रोज़े से न होने) का दिन वह है जिस दिन लोग रोज़ा तोड़ दें या रोज़े से न हों और कुरबानी का दिन वह है जिस दिन लोग कुरबानी करें।

इस व्यक्ति ने यदि एक या अधिक दिन की वृद्धि कर दी है किन्तु उसकी स्थिति बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि वह किसी दूसरे देश की यात्रा करे जहाँ सूर्य विलम्ब से डूबता है, तो वह सामान्य दिन पर दो घण्टा या तीन घण्टा या उससे भी अधिक घण्टों की वृद्धि कर देता है।

और इसलिए भी कि जब वह दूसरे देश में गया तो वहाँ चाँद नहीं देखा गया था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने आदेश दिया है कि हम चाँद देख कर ही रोज़ा रखें।

इसी प्रकार आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह भी फरमाया है:

((أَفْطِرُوا لِرَوْيَتِهِ))

“चाँद देखकर रोज़ा तोड़ो अर्थात् रोज़ा रखना बंद करो।”

इसके विपरीत यदि उदाहरण स्वरूप वह एक ऐसे देश से जहाँ रमज़ान का महीना विलम्ब से प्रवेश किया है ऐसे देश में जाता है जहाँ रमज़ान का महीना पहले ही आरम्भ हो चुका है तो वह वहाँ के लोगों के साथ रोज़ा तोड़ देगा और रमज़ान के जिन दिनों का रोज़ा छूट गया है उसकी पूर्ति करेगा, यदि एक दिन का रोज़ा छूटा है तो एक दिन पूरा करेगा और यदि दो दिन का रोज़ा छूट गया है तो दो दिन की कज़ा करेगा।

दूसरी स्थिति में हम ने रोज़े की कज़ा करने को कहा है क्योंकि महीना उन्तीस दिन से कम नहीं हो सकता और न ही तीस दिन से अधिक हो सकता है। और हमने उसे रोज़ा तोड़ देने को कहा है अगरचे उन्तीस दिन पूरा नहीं हुआ है ; क्योंकि चाँद दिखाई पड़ गया है, और जब चाँद दिखाई पड़ गया तो रोज़ा तोड़ना अनिवार्य है।

और जब आप ने उन्तीस दिन से कम रोज़ा रखा है और महीना उन्तीस कदन से कम नहीं होता है तो आपके लिए अनिवार्य है कि उन्तीस दिन पूरा करें।

पहला मसूअला इसके विपरीत है क्योंकि आप उस समय तक रोज़ा नहीं तोड़ सकते जब तक चाँद न देख लिया जाए, यदि चाँद दिखाई न दे तो आप अभी तक रमज़ान ही के महीने में हैं तो फिर कैसे रोज़ा तोड़ सकते हैं?

अतः आप पर रोज़ा अनिवार्य है और यदि आप पर महीना अधिक हो जाए तो यह दिन में कुछ घण्टों की वृद्धि के समान है।

प्रश्न ४ : जिस व्यक्ति का कार्य कष्टप्रद है और उसे रोज़ा रखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो क्या ऐसे व्यक्ति के लिए रोज़ा न रखना वैध है? इस विषय में आपका क्या विचार है?

उत्तर : इस मसूअले में मेरा विचार यह है कि उस व्यक्ति का काम के कारण रोज़ा न रखना निषेध (हराम) है वैध (जायज़) नहीं है, और यदि वह काम और रोज़े को एक साथ नहीं एकत्र कर सकता तो वह रमज़ान में अवकाश (छुट्टी) ले ले ताकि उसके लिए

रमज़ान में रोज़ा रखना सरल हो जाए; क्योंकि रमज़ान का रोज़ा इस्लाम के स्तम्भों में से एक स्तम्भ है जिसमें आधात करना वैध नहीं है।

प्रश्न ५ : एक छोटी बालिका को मासिक धर्म आगया और वह अनजाने में माहवारी के दिनों में रोज़ा रखा करती थी, तो उस पर क्या आवश्यक है?

उत्तर : उस पर अनिवार्य यह है कि उन दिनों के रोज़ों की कज़ा करे जो वह अपने मासिक धर्म के दिनों में रखा करती थी, क्योंकि मासिक धर्म के दिनों में रोज़ा न तो स्वीकार हेता है और न ही उचित और शुद्ध होता है यद्यपि वह अनजानी थी; क्योंकि कज़ा की कोई समय सीमा नहीं है।

यहाँ पर इसके विपरीत एक मसुअला है : एक स्त्री को मासिक धर्म आना प्रारम्भ होगया और वह अभी छोटी है, उसने लज्जा के कारण अपने घर वालों को सूचित नहीं किया और वह रोज़ा नहीं रखती थी, तो ऐसी स्त्री पर अनिवार्य है कि उस महीने की कज़ा करे जिसका रोज़ा उसने नहीं रखा है; क्योंकि स्त्री को जब मासिक धर्म आना प्रारम्भ होजाए तो वह मुकल्लफ

(व्यस्क) हो जाती है क्योंकि मासिक धर्म बालिग् होने (व्यस्कता) के प्रमाणों में से एक प्रमाण है।

प्रश्न ६: एक व्यक्ति ने अपनी और अपने अधीन संतान की जीविका (रोज़ी रोटी) कमाने के लिए रमज़ान का रोज़ा नहीं रखा तो इसका क्या हुक्म है?

उत्तर : यह व्यक्ति जिसने इस कारण रमज़ान के महीने का रोज़ा छोड़ दिया ताकि वह अपनी और अपने बाल बच्चों की जीविका का प्रबन्ध करे, यदि उसने ऐसा तावील करते हुए किया है उसका गुमान यह था कि जिस प्रकार बीमार के लिए रोज़ा न रखना जायज़ है उसी प्रकार उस व्यक्ति के लिए भी रोज़ा न रखना जायज़ है जो बिना रोज़ा तोड़े हुए जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, तो ऐसा व्यक्ति तावील (कष्ट कल्पना) करने वाला है और यदि वह जीवित है तो रमज़ान के रोज़ों की कज़ा करेगा, और यदि मर गया है तो उसकी ओर से रोज़ा रखा जाएगा, और यदि उसके वली (उत्तराधिकारी) ने उसकी ओर से रोज़ा नहीं रखा तो उसकी ओर से प्रत्येक दिन के बदले एक दरिद्र (मिस्कीन) को खाना खिलाया जाएगा।

यदि उसने बिना किसी तावील के रोज़ा छोड़ दिया है तो विद्वानों का राजेह (श्रेष्ठ) कथन यह है कि प्रत्येक इबादत जिसका एक समय निर्धारित है यदि मनुष्य जान बूझ कर उसे उसके समय से निकाल देता है (विलम्ब कर देता है) तो वह इबादत उससे स्वीकार नहीं की जाएगी, बल्कि उसके बदले सत्कर्मों, अधिकाधिक नवाफिल (ऐच्छिक नमाज़ों) और क्षमायाचना पर निर्भर करेगा, इसका प्रमाण नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह फरमान है जो आपसे सहीह हदीस में सिद्ध है:

((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))

“जिसने कोई ऐसा कार्य किया जो हमारे आदेश के अनुसार नहीं है तो वह मर्दूद (अस्वीकृति) है।”

(बुखारी, मुस्लिम हदीस नं. ۱۷۹)

जिस प्रकार कि किसी समय के साथ निर्धारित इबादत को उसके समय से पूर्व नहीं किया जाता उसी प्रकार किसी इबादत को उसके समय के पश्चात भी नहीं किया जाएगा, किन्तु यदि कोई कारण (उज्ज़) हो जैसे कि जहालत और भूल-चूक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने भूल-चूक के बारे में फरमाया है:

((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها،
لا كفارة لها إلا ذلك))

जे व्यक्ति किसी नमाज़ से सो जाए या उसे भूल जाए तो उसे चाहिए कि जैसे ही याद आए उसे पढ़ ले, उसका इसके अतिरिक्त कोई अन्य कफारा (प्रायश्चित) नहीं है। (मुस्लिम हदीस न० ३१४)

हालाँकि अज्ञानता (जहालत) के विषय में कुछ विस्तार की आवश्यकता है जिसके उल्लेख करने का यह स्थान नहीं है।

प्रश्न ७ : रोज़ा तेड़ने के लिए वैध कारण क्या हैं?
(वह कौन से कारण हैं जो रोज़ा तोड़ना अर्थात् रोज़ा न रखना वैध कर देते हैं?)

उत्तर : रोज़ा न रखने को वैध कर देने वाले कारण: बीमारी और यात्रा हैं जैसा कि कुरूआन में इसका उल्लेख हुआ है, तथा एक कारण यह भी है कि गर्भवती स्त्री को अपने प्राण अथवा अपने गर्भाशय पर (हानि का) भय हो, इसी प्रकार एक कारण यह भी है कि दूध पिलाने वाली स्त्री को यदि वह रोज़ा रखती है तो उसे अपने प्राण पर अथवा दूध पीते बच्चे पर (हानि का)

भय हो, तथा एक कारण यह भी है कि मनुष्य को किसी मासूम को मरने से बचाने के लिए रोज़ा तोड़ने की आवश्यकता हो, उदाहरण के तौर पर समुद्र में किसी डूबते हुए व्यक्ति को देखे, या किसी व्यक्ति को ऐसे स्थान पर पाए जहाँ वह चारों ओर से आग में घिरा हुआ हो, तो उसको मुक्त कराने के लिए उसे रोज़ा तोड़ने की आवश्यकता पड़ जाए तो उसके लिए जायज़ है कि रोज़ा तोड़ दे और उसकी जान बचाए, और रोज़ा तोड़ने को वैध करार देने वाले कारणों में से यह भी है कि मनुष्य को अल्लाह के मार्ग में जिहाद करने के लिए शक्ति प्राप्त करने के लिए रोज़ा तोड़ने की आवश्यकता हो, चुनांचे यह भी रोज़ा न रखने को जायज़ करार देने वाले कारणों में से है, क्योंकि फत्हे मक्का के अवसर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने साथियों से फरमाया था:

((إِنَّكُمْ لَا تُقْوِيُ الْعَدُوَّ غَدًا، وَالْفَطْرَأُقْوِيُ لَكُمْ

((فَافْتَرُوا))

“कल तुम शत्रुओं का सामना करने वाले हो, और रोज़ा न रखना तुम्हारे लिए अधिक शक्तिप्रद है, अतः तुम रोज़ा तोड़ दो।” (मुस्लिम हदीस नं. ११२०)

जब रोज़ा तोड़ देने का वैध कारण पाया जाए और मनुष्य उसके कारण रोज़ा तोड़ दे तो उस पर उस अवशेष दिन खाने पीने से रुके रहना अनिवार्य नहीं है, मान लो कि एक व्यक्ति ने किसी मासूम को मरने से बचाने के लिए रोज़ा तोड़ दिया तो उसे बचाने के पश्चात भी वह रोज़ा तोड़ने ही की अवस्था में बाकी रहेगा, क्योंकि उसने एक ऐसे कारण से रोज़ा तोड़ा है जो उसके लिए रोज़ा तोड़ना वैध कर देता है इसलिए उस समय उस पर खाने पीने से रुके रहना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि उस दिन की हुरमत रोज़ा तोड़ने को वैध कर देने वाले कारण से समाप्त हो गया, अतः हम कहते हैं कि इस मसउले में श्रेष्ठ कथन यह है कि:

यदि बीमार दिन के बीच स्वस्थ होजाए और उसने रोज़ तोड़ रखा था तो अब उस पर खाने पीने से रुक जाना अनिवार्य नहीं है, और यदि यात्री दिन के बीच अपने देश लौट कर आए और वह रोज़े से नहीं था तो अब उस पर खाने पीने से रुक जाना अनिवार्य नहीं है, और यदि स्त्री दिन के बीच पवित्र हो जाए तो अवशेष दिन खाने पीने से रुके रहना अनिवार्य नहीं है ; क्योंकि इन सब लोगों ने रोज़ा तोड़ देने को वैध कर देने वाले कारण से रोज़ा तोड़ा है, इसलिए वह दिन उनके हक् मे

रोज़े की हुरमत नहीं रखता है क्योंकि शरीअत ने उस दिन उनके लिए रोज़ा तोड़ देना वैध कर दिया है, सो उन पर खाने पीने से रुके रहना अनिवार्य नहीं है।

इसके विपरीत यदि दिन के बीच रमज़ान के महीने का प्रवेश करना (आरम्भ होना) सिद्ध हो जाए तो ऐसी अवस्था में खाने पीने से रुक जाना अनिवार्य हो जाता है, दोनों के बीच अन्तर स्पष्ट है; क्योंकि यदि दिन के बीच गवाही सिद्ध होजाती है तो यह सिद्ध होगया कि उस दिन उन पर खाने पीने से रुक जाना अनिवार्य है, किन्तु गवाही के सिद्ध होने से पूर्व वह अज्ञानता (जहालत) के कारण छमा योग्य थे।

इसी कारण यदि वह लोग जानते होते कि आज का दिन रमज़ान का दिन है तो उन पर खाने पीने से रुक जाना अनिवार्य होता, किन्तु वह दूसरे लोग जिनकी ओर हम संकेत कर चुके हैं उनके लिए रोज़ा तोड़ना उनके ज्ञान के होते हुए वैध करार दिया गया है, इस प्रकार दोनों के बीच अन्तर स्पष्ट है।

प्रश्न ८ : एक व्यक्ति रमज़ान की पहली रात को महीने के सिद्ध होने से पूर्व ही सोगया और रात को रोज़े की नियत नहीं की, फज्ज के निकलने के पश्चात

उसे ज्ञात हुआ कि आज का दिन रोज़े का दिन है, तो ऐसी स्थिति में वह क्या करे? और क्या वह उस दिन की कज़ा करेगा?

उत्तर: यह व्यक्ति जो रमज़ान की पहली रात को महीने के सिद्ध होने के पूर्व ही सो गया और रात को रोज़े की नियत नहीं की, फिर वह सोकर उठा और फज्ज के निकलने के पश्चात उसे ज्ञात हुआ कि आज का दिन रमज़ान का दिन है, तो जब उसे ज्ञात हो गया तो उस पर अनिवार्य है कि वह खाने पीने से रुक जाए और जम्हूर उलमा (धर्मज्ञानियों) के निकट उस पर कज़ा करना अनिवार्य है, और मेरे ज्ञान के अनुसार इस विषय में केवल शैखुल-इस्लाम इब्ने तैमिया-रहिमहुल्लाह-ने मतभेद किया है, उनका कथन है: नियत ज्ञान के अधीन है और इसको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, अतः वह क्षमा योग्य है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात उसने नियत त्याग नहीं की है, बल्कि वह जाहिल (अनजाना) था और जाहिल क्षमा योग्य (माजूर) है, इसलिए जब उसने ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात खाना पीना बंद कर दिया तो उसका रोज़ा सहीह है, और इस कथन के अनुसार उस पर कज़ा नहीं है।

किन्तु जम्हूर उलमा का कहना है कि उस पर खाने पीने से रुक जाना अनिवार्य है और कज़ा भी अनिवार्य है, और उसका कारण यह बताया है कि उससे दिन का एक भाग बिना नियत के छूट गया है।

मेरा विचार यह है कि उसके लिए सावधानी इसी में है कि वह उस दिन की कज़ा कर ले।

प्रश्नः ६ : यदि कोई व्यक्ति किसी कारण रोज़ा तोड़ दे और दिन के बीच ही में कारण समाप्त होजाए तो क्या वह अवशेष दिन खाने पीने से रुका रहेगा ?

उत्तर : उस पर खाने पीने से रुका रहना अनिवार्य नहीं है, और यह इसलिए कि उसने इस दिन को शरई दलील के द्वारा वैध किया है, चुनांचे शरीअत ने दवा प्रयोग करने के लिए विवश व्यक्ति को दवा प्रयोग करना वैध कर दिया है, किन्तु जब वह दवा प्रयोग कर लेगा तो रोज़ा टूट जाएगा। इस प्रकार उसके हक में उस दिन की हुरमत (धर्मनिषेधता और सम्मान) सिद्ध नहीं है ; क्योंकि उसके लिए रोज़ा तोड़ना वैध कर दिया गया है, किन्तु उस पर कज़ा अनिवार्य है, और हमारा उसे बिना किसी शरई लाभ के इस चीज़ का बाध्य करना कि वह खाने पीने से रुका रहे उचित नहीं है। अतः जब उस

व्यक्ति को खाने पीने से बाज़ रहने से कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है तो हम उसे उसके लिए बाध्य नहीं करेंगे।

इसका उदाहरण यह है कि : एक आदमी ने किसी को पानी में डूबता हुआ देखा और सोचा कि यदि मैं पानी पी लेता हूं तो उसको डूबने से बचा सकता हूं और अगर नहीं पीता हूं तो उसको डूबने से बचाने में असमर्थ रहूंगा, ऐसी अवस्था में वह पानी पी लेगा और उसको डूबने से बचाएगा और अवशेष दिन खाये पिये गा, क्योंकि इस आदमी के लिए यह दिन सम्मान योग्य (हुरमत वाला) नहीं है क्योंकि उसने इसे शरीअत के अनुसार हलाल (वैध) किया है, इसलिए उस पर खाने पीने से रुका रहना अनिवार्य नहीं है। अतः यदि कोई व्यक्ति बीमार हो तो क्या हम उस से यह कहेंगे कि: जब भूख लगे तभी खाओ और जब प्यास लगे तभी पियो? अर्थात् -दूसरे शब्दों में- आवश्यकता की सीमा तक ही खाओ पियो, हम उस से ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि बीमार के लिए रोज़ा तोड़ना जायज़ है, जिसने भी रमज़ान में शरई दलील के अनुसार रोज़ा तोड़ दिया उस पर खाने पीने से रुका रहना अनिवार्य नहीं है, और इसके विपरीत कर्म का आदेश इसके विपरीत है,

चुनांचे जिसने किसी कारण के बिना रोज़ा तोड़ दिया उस पर खाने पीने से रुका रहना अनिवार्य है, क्योंकि उसके लिए रोज़ा तोड़ना वैध नहीं है और उसने बिना शरीअत की अनुमति के उस दिन की हुर्मत (सम्मान) का अपमान किया है, अतः हम उसे खाने पीने से रुके रहने और क़ज़ा करने पर बाध्य करेंगे। और अल्लाह तआला ही सर्वाधिक ज्ञान रखने वाला है।

प्रश्न १० : एक स्त्री रुधिर की ग्रन्थि (खून की नालियों में खून का जमाव THROMBUS) से पीड़ित है और डॉक्टरों ने उसे रोज़ा रखने से रोक दिया है, उसका क्या हुक्म है?

उत्तर : अल्लाह तआला ने फरमाया:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ
وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ
الشَّهْرَ فَلِيَصُمُّهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ
بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (البقرة: १८५)

“रमज़ान का महीना वह है जिसमें कुरआन उतारा गया जो लोगों के लिए मार्गदर्शक है और जिसमें मार्गदर्शन की और सत्य तथा असत्य के बीच अन्तर की निशानियाँ हैं, तुम में से जो व्यक्ति इस महीना को पाए उसे रोज़ा रखना चाहिए। और जो बीमार हो या यात्रा पर हो तो वह दूसरे दिनों में उसकी गिन्ती पूरी करे, अल्लाह तआला तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, तुम्हारे साथ सख्ती नहीं चाहता है।” (सूरतुल बकरा: १८५)

और जब व्यक्ति ऐसी बीमारी से पीड़ित हो जिस से स्वस्थ होने की आशा न हो तो वह प्रत्येक दिन के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाए गा। खाना खिलाने की विधि (तरीक़ा) यह है कि उन पर खाने का अनाज (चावल) बांट दे, और श्रेष्ठ यह है कि उसके साथ गोश्त आदि का सालन भी दे। अथवा वह मिस्कीनों को दूपहर या रात के खाने पर बुलाये और उन्हें दूपहर या रात का खाना खिलाये, यह उस बीमार का हुक्म है जिसके बीमारी के ठीक होने की आशा नहीं है। और यह स्त्री जिस बीमारी से पीड़ित है वह इसी प्रकार की है। अतः उस पर अनिवार्य है कि वह प्रत्येक दिन के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाए।

प्रश्न ९९ : मुसाफिर की नमाज़ और उसका रोज़ा किस प्रकार होगा ?

उत्तर : मुसाफिर की नमाज़ जब वह अपने नगर से निकलता है उस समय से लेकर फिर वहाँ वापस लौटने तक दो रिकअतें हैं, इसका प्रमाण आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का यह फरमान है:

((أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر)).

وفي رواية: ((وزيد في صلاة الحضر)).

“सर्वप्रथम जब नमाज़ अनिवार्य हुई तो दो रिकअत थी, फिर यात्रा की नमाज़ बरक़रार रखी गई और हज़र की नमाज़ पूरी कर दी गई”।

और एक रिवायत में है कि: “हज़र की नमाज़ में वृद्धि कर दी गई।” (बुखारी हदीस नं. १०६०, मुस्लिम हदीस नं. ६८५)

और अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं:

“ हम नबी सल्लल्लाहु अलौहि व सल्लम के साथ मदीना से मक्का की ओर निकले तो आप मदीना वापस लौटने तक दो-दो रिकअत नमाज़ पढ़ते रहे” । (बुखारी हदीस नं. १०८९, मुस्लिम हदीस नं. ६६३)

किन्तु अगर वह ईमाम के साथ नमाज़ पढ़ेगा तो पूरी नमाज़ पढ़ेगा, चाहे उसने इमाम के साथ पूरी नमाज़ पाई हो या कुछ रिकअतें छूट गई हों; इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलौहि व सल्लम का यह फरमान सामान्य है:

((إِذَا سَمِعْتُمُ اِلَّا قَامَةٍ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُم
السَّكِينَةُ وَالوَقَارُ، وَلَا تَسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُوْا،
وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتَمُوا))

“जब तुम इकामत सुनो तो नमाज़ के लिए चल पड़ो, इस स्थिति में कि तुम पर शान्ति और गम्भीरता प्रकट हो और दौड़ते हुए न चलो, जो कुछ मिले उसे पढ़ लो और जो छूट जाए उसे पूरा कर लो ।”

(बुखारी हदीस नं. ६३६, मुस्लिम हदीस नं. १५९)

आप सल्लल्लाहु अलौहि व सल्लम का फरमान ”जो कुछ मिले उसे पढ़ लो और जो छूट जाए उसे पूरा कर

लो” सामान्य रूप से चार रिकअत नमाज़ पढ़ाने वाले इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने वाले मुसाफिरों को सम्मिलित है और उनके अतिरिक्त अन्य लोगों को भी।

इन्हे अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से प्रश्न किया गया कि क्या बात है कि यात्री जब अकेले नमाज़ पढ़ता है तो दो रिकअत पढ़ता है और जब किसी मुकीम के पीछे नमाज़ पढ़ता है तो चार रिकअत पढ़ता है? उन्होंने ने उत्तर दिया:“ यही सुन्नत है”।

जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ना मुसाफिर के लिए क्षमा नहीं है, इसलिए कि अल्लाह तआला ने युद्ध की अवस्था में भी इसका आदेश दिया है। अल्लाह तआला ने फरमाया :

﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقْمِتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقْمِمُ
طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلَاحَهُمْ فَإِذَا
سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى
لَمْ يُصْلِلُوا فَلْيُصْلِلُوا مَعَكَ﴾ [النساء: ١٠٢]

“जब तुम उन में हो और उनके लिए नमाज़ खड़ी करो तो चाहिए कि उनकी एक जमाअत तुम्हारे साथ अपने हथ्यार लिए खड़ी हो, फिर जब

यह सज्जा कर चुके तो यह हट कर तुम्हारे पीछे
आजाएं और वह दूसरी जमाअत जिसने नमाज़
नहीं पढ़ी वह आजाए और तेरे साथ नमाज़ अदा
करे ।” (सूरतुन-निसाः १०२)

इसलिए यदि यात्री अपने नगर के अतिरिक्त किसी
अन्य नगर में हो और अज्ञान की आवाज़ सुनता हो तो
उस पर मस्जिद में जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने के
लिए उपस्थित होना अनिवार्य है, किन्तु यदि वह अतिदूर
हो, या उसे अपने साथियों से बिछड़ जाने का भय हो
तो अनिवार्य नहीं है, इसलिए कि अज्ञान या इकामत
सुनने वाले पर जमाअत अनिवार्य होने पर दलालत
करने वाले प्रमाण सामान्य हैं (उसमें यात्री भी दाखिल
है) ।

जहाँ तक नफली नमाज़ों का प्रश्न है तो यात्री जुह्र,
मग्रिब और इशा की सुन्नतों को छोड़ कर समस्त प्रकार
की नफली नमाज़ों को पढ़ेगा। इस प्रकार वह वित्र, रात
की नमाज़ (तहज्जुद) चाश्त की नमाज़, फज्र की सुन्नत
और इसके अतिरिक्त अन्य नफली नमाज़ें सिवाय
मुअक्किदा सुन्नतों के पढ़ेगा ।

जहाँ तक दो नमाज़ों को एक साथ पढ़ने का संबंध है तो यदि वह यात्रा में चल रहा है (किसी स्थान पर ठहरा हुआ नहीं है) तो उसके लिए श्रेष्ठ यह है कि वह जुहर और अस्त्र को एक साथ तथा मग्निरिब और इशा को एक साथ पढ़े, चाहे वह जमा तक़दीम करके (अर्थात् दोनों नमाज़ों को पहली नमाज़ के समय पर) पढ़े या जमा ताखीर करे (अर्थात् दोनों नमाज़ों को दूसरी नमाज़ के समय पर पढ़े) जो उसके लिए सरल हो वही करे, और उसके लिए जो जितना ही सरल है वही उसके लिए श्रेष्ठ है।

और अगर यात्रा के मध्य वह किसी स्थान पर पड़ाव डाले हो तो श्रेष्ठ यह है कि वह दो नमाज़ों को एक साथ जमा न करे, और यदि जमा कर लेता है तो कोई बात नहीं है, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलौहि व सल्लम से दोनों बातें सहीह सिद्ध हैं।

जहाँ तक यात्री के रमज़ान में रोज़ा रखने का सवाल है तो उसके लिए श्रेष्ठ रोज़ा रखना ही है, यदि वह रोज़ा तोड़ देता है तो कोई गुनाह नहीं, वह जिन दिनों का रोज़ा नहीं रखा है उनकी क़ज़ा करेगा, परन्तु अगर उसके लिए रोज़ा न रखना ही सरल है तो उसके लिए श्रेष्ठ रोज़ा तोड़ देना ही है; इसलिए कि अल्लाह तआला

इस बात को परस्पर करता है कि उसकी स्वरूपताओं को अपनाया जाए। और हर प्रकार की प्रशंसा अल्लाह रब्बुल-आलमीन के लिए है।

प्रश्न १२ : कठिनाई के होते हुए मुसाफिर के रोज़ा रखने का क्या हुक्म है ?

उत्तर : यदि यात्री पर रोज़ा रखना इतना कठिन हो कि वह सहनशील हो तो रोज़ा रखना मकरुह (अनेच्छिक) है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलौहि व सल्लम ने एक व्यक्ति को देखा कि उस पर छाया किया गया था और लोग उसके चारों ओर भीड़ लगाये हुए थे, आप ने पूछा: यह क्या है? लोगों ने कहा: यह रोज़े से है। आप सल्लल्लाहु अलौहि व सल्लम ने फरमाया:

((لِيْسَ مِنَ الْبَرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ)).

“यात्रा में रोज़ा रखना पुण्य (नेकी) नहीं है।”

(बुखारी हदीस न. १६४६, मुस्तिम हदीस न. ९९९५)

किन्तु यदि रोज़ा उस पर अधिक कठिन हो तो उसके लिए रोज़ा तोड़ देना अनिवार्य है, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलौहि व सल्लम से जब लोगों ने यह शिकायत की कि उन पर रोज़ा कठिन पड़ रहा है तो आप ने रोज़ा तोड़ दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलौहि

व सल्लम से बतलाया गया कि कुछ लोग रोज़े से हैं, तो उस समय आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: “वही लोग अवज्ञाकारी (नाफरमान) हैं, वही लोग अवज्ञाकारी हैं”। (मुस्लिम हदीस नं. ९९९४)

लेकिन जिस पर रोज़ा कठिन नहीं है उसके लिए श्रेष्ठ यह है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अनुपालन करते हुये रोज़ा रखे क्योंकि आप रोज़ा रखते थे, जैसा कि अबु दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं : “हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ सख्त गर्मी के ज़माने में रमज़ान के महीने में यात्रा पर थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और अब्दुल्लाह बिन रवाहा के अतिरिक्त हम में से कोई रोज़ा नहीं था ”। (बुखारी हदीस नं. १६४५, मुस्लिम हदीस नं. ९९२२)

प्रश्न १३ : यात्री के रोज़े का क्या हुक्म है जबकि वर्तमान युग में ट्रॉन्स्पोर्ट के नवीन साधन उपलब्ध होने के कारण रोज़ेदार पर रोज़ा रखना कठिन और कष्ट दायक नहीं हैं?

उत्तर : यात्री के लिए अधिकार है कि वह रोज़ा रखे या रोज़ा तोड़ दे, इसलिए कि अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعَدَّهُ مِنْ أَيَّامِ أُخْرَ﴾ (البقرة: ١٣٥).

“और जो बीमार हो या यात्रा पर हो तो वह दूसरे दिनों में उसकी गिन्ती पूरी करे।”

(सूरतुल बकरा: १८५)

सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ यात्रा करते थे और उनमें से कुछ रोज़े से होते थे और कुछ रोज़े से नहीं होते थे, तो रोज़ेदार, रोज़ा न रखने वाले पर और रोज़ा न रखने वाला, रोज़ा रखने वाले पर कोई आपत्ति व्यक्ति नहीं करता था। स्वयं नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम यात्रा में रोज़ा रखते थे। अबु दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं : “ सख्त गर्भी के मौसम में हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ सफर किया और हम में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और अब्दुल्लाह बिन रवाहा के सिवाय कोई रोज़े से नहीं था। (बुखारी हदीस नं. १६४५, मुस्लिम हदीस नं. ११२२)

मुसाफिर के विषय में नियम (सिद्धान्त) यह है कि उसे रोज़ा रखने और न रखने के बीच अधिकार प्राप्त है, किन्तु यदि रोज़ा रखना उसके लिए कष्टदायक नहीं है तो उसके लिए रोज़ा रखना ही श्रेष्ठ है; इसलिए कि इसमें तीन लाभ हैं:

प्रथम : रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अनुपालन और अनुसरण करना।

द्वितीय : सरलता और सुविधा, मनुष्य पर रोज़े का सरल और आसान होना; इसलिए कि जब आदमी लोगों के साथ रोज़ा रखता है तो उसके लिए वह अधिक सरल होजाता है।

तीसरा लाभ : वह शीघ्रता से भार-मुक्ति (ज़िम्मेदारी से बरी) होजाता है।

यदि रोज़ा उसके लिए कठिन और कष्टप्रद है तो वह रोज़ा नहीं रखेगा, और ऐसी स्थिति में यात्रा के दौरान रोज़ा रखना पुण्य का कार्य नहीं है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक व्यक्ति को देखा कि उस पर छाया किया गया था और लोग उसके चारों ओर भीड़ लगाये हुए थे, आप ने पूछा: “यह क्या

है”? लोगों ने कहा: यह रोज़े से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया:

((لَيْسَ مِنَ الْبَرِ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ))

“यात्रा में रोज़ा रखना पुण्य (नेकी) नहीं है।” (बुखारी हदीस नं. १६४६, मुस्लिम हदीस नं. १११५)

सो, इस सामान्य हदीस को उस व्यक्ति पर भी लागु किया जाएगा जिसकी स्थिति इस व्यक्ति के समान हो, उस पर रोज़ा रखना कठिन हो।

इस आधार पर हम कहते हैं: वर्तमान युग में -जैसा कि प्रश्नकर्ता ने कहा- यात्रा सरल होगया है, सामान्यता उसमें रोज़ा रखना कठिन नहीं होता है। अतः यदि उसमें रोज़ा रखना कठिन नहीं है तो रोज़ा रखना ही श्रेष्ठ है।

प्रश्न १४ : यात्री यदि रोज़े की अवस्था में मक्का पहुँचे तो क्या वह उमरा करने के लिए शक्ति जुटाने के लिए रोज़ा तोड़ देगा ?

उत्तर : हम कहेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मक्का विजय होने के साल बीस रमज़ान को मक्का में प्रवेश किया और आप रोज़े से नहीं थे, और

मक्का वालों को दो रिकअत नमाज़ पढ़ाते थे और उनसे कहते थे: ‘‘ऐ मक्का वालो ! तुम पूरी नमाज़ पढ़ो, क्योंकि हम यात्रा में हैं,,।

तथा सहीह बुखारी में साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलौहि व सल्लम अवशेष महीना रोज़ा से नहीं थे, इसलिए कि आप यात्री थे, और उमरा करने वाले की यात्रा मक्का पहुँच कर समाप्त नहीं होजाती है, और न ही उस पर खाने पीने से रुक जाना अनिवार्य है यदि वह रोज़ा तोड़े हुए आया है। कुछ लोग यात्रा में भी अपना रोज़ा जारी रखते हैं, इस दृष्टकोण से कि वर्तमान युग में यत्रा में रोज़ा रखना उम्मत पर कठिन नहीं है। सो वह अपनी यात्रा में अपने रोज़े को जारी रखता है, फिर थका हारा मक्का पहुँचता है और दिल में सोचता है कि क्या मैं अपने रोज़े को बरक़रार रखूँ और रोज़ा खोलने तक उमरा को विलम्ब कर दूँ ? अथवा मैं रोज़ा तोड़ दूँ ताकि मक्का पहुँचते ही तुरन्त उमरा कर सकूँ ?

ऐसी स्थिति में हम उस से कहेंगे : श्रेष्ठ यह है कि तुम रोज़ा तोड़ दो ताकि तुम मक्का पहुँचने के तुरन्त पश्चात स्फूर्ति के साथ उम्रा कर सको; इसलिए कि किसी नुसुक अर्थात उम्रा या हज्ज की अदायगी के लिए

मक्का आने वाले के लिए सुन्नत का तरीका यह है कि वह अपने उस नुसुक (इबादत) की अदायगी के लिए जल्दी करे। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब किसी नुसुक (हज्ज या उम्रा) के इरादे से मक्का में प्रवेश करते थे तो मस्जिद की ओर जल्दी करते थे, यहाँ तक कि आप अपनी सवारी को मस्जिद के (द्वार के) पास ही बैठा देते थे और उस नुसुक की अदायगी के लिए मस्जिद में प्रवेश कर जाते थे जिसके लिए आप इहराम बाँधे होते थे। अतः ऐ उम्रा करने वाले तेरा रोज़े को तोड़ देना ताकि तू स्फूर्ति के साथ दिन में उम्रा कर सके इस बात से उत्तम है कि तू रोज़े की हालत में बाकी रहे, फिर रात को रोज़ा खोलने के पश्चात उम्रा पूरा करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के विषय में साबित है कि आप फत्हे मक्का की लड़ाई के अवसर पर अपनी यात्रा के दौरान रोज़े से थे, कि कुछ लोग आप के पास आये और कहा: ऐ अल्लाह के पैग़म्बर ! लोगों पर रोज़ा कठिन सिद्ध हो रहा है और वह इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप क्या करते हैं, यह अम्म के बाद का समय था, चुनाँचे आप ने पानी मंगाया और उसे पी लिया इस हालत में कि लोग आप को देख रहे थे। (मुस्लिम हदीस नं. १११४)

इससे ज्ञात हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यात्रा के दौरान रोज़ा तोड़ दिया, बल्कि दिन के अन्तिम भाग में रोज़ा तोड़ दिया। यह सब कुछ केवल इस कारण किया ताकि आप उम्मत के लिए स्पष्ट कर दें कि यह जायज़ है। तथा कुछ लोगों का कष्ट और कठिनाई के होते हुये यात्रा के दौरान रोज़ा रखना निःसन्देह सुन्नत के विरुद्ध है, और उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह फरमान सत्य सिद्ध होता है:

((لِيْسَ مِنَ الْبَرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ))

“यात्रा में रोज़ा रखना पुण्य (नेकी) नहीं है।”

(बुखारी हदीस नं. १६४६, मुस्लिम हदीस नं. १११५)

प्रश्न १५ : क्या दूध पिलाने वाली स्त्री के लिए रोज़ा तोड़ना जायज़ (वैध) है? तथा वह उसकी क़ज़ा क्या करेगी? और क्या वह खाना खिला सकती है?

उत्तर : यदि दूध पिलाने वाली स्त्री को अपने शिशु पर इस बात का डर है कि रोज़े के कारण उसका दूध कम हो जायेगा जिस से बच्चे को हानि पहुंचे गा तो उसके लिए रोज़ा तोड़ना जायज़ है। किन्तु बाद में वह उसकी क़ज़ा करेगी, इसलिए कि वह उस बीमार के

समान है जिसके संबंध में अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعَدَّهُ مِنْ أَيَّامِ
أُخْرَى يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

[البقرة: ۱۸۵]

“और जो बीमार हो या यात्रा पर हो तो वह दूसरे दिनों में उसकी गिन्ती पूरी करे। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, तुम्हारे साथ सख्ती नहीं चाहता है।” (सूरतुल बक्रा: ۹۵)

अतः जब भी आपत्ति (समस्या) समाप्त हो जाए तो वह रोज़े की क़ज़ा करेगी, या तो जाड़े के मौसम में क्योंकि दिन छोटा और वातावरण ठण्डा होता है, या अगर जाड़े के मौसम में न हो तो अगले साल में क़ज़ा करेगी। किन्तु जहाँ तक (हर दिन के बदले) खाना खिलाने का प्रश्न है तो यह केवल उसी परिस्थिति में वैध है जब आपत्ति या रुकावट निरंतर हो उसके समाप्त होने की आशा न हो, यही एक हालत है जिसमें रोज़े के बदले खाना खिलाना जायज़ है।

प्रश्न १६ : यदि रोजेदार दिन का अधिकांश भाग सख्त भूख और प्यास के कारण लेट कर विश्राम में गुज़ारता है तो क्या इससे उसके रोज़े के सहीह होने पर कोई प्रभाव पड़ेगा ?

उत्तर : उसके रोज़े के सहीह होने पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तथा उसे उसमें और अधिक सवाब मिलेगा, इसलिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलौहि व सल्लम ने आईशा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया:

((أَجْرُكَ عَلَىٰ قَدْرِ نَصْبِكَ))

“तुझे तेरी थकावट और कष्ट के अनुसार अब्र व सवाब मिलेगा।” (बुखारी हदीस नं. १७८७, मुस्लिम हदीस नं. १२२९)

चुनाँचे जितना ही अधिक मनुष्य अल्लाह तआला के आज्ञापालन में कष्ट और परिश्रम उठायेगा उसे उतना ही अधिक सवाब (पुण्य) मिलेगा। तथा उसके लिए ऐसी चीज़ें करना जायज़ है जो उस पर उसके रोज़े को सरल करदे, जैसे कि पानी से ठंडक प्राप्त करना और ठंडे पानी में बैठना।

प्रश्न १७ : क्या रमज़ान में रोज़े के प्रत्येक दिन की नियत करना आवश्यक है या पूरे महीने के रोज़े की एक ही नियत कर लेना पर्याप्त (काफी) है ?

उत्तर : रमज़ान के रोज़े के लिए उसके प्रारम्भ ही में एक नियत कर लेना पर्याप्त है, क्योंकि रोज़ेदार ने यद्यपि प्रत्येक दिन उस दिन के रोज़े की नियत रात ही से नहीं की, किन्तु उसका रोज़ा रखने की नियत उसके दिल में महीने के शुरू ही से थी। लेकिन यदि वह महीने के बीच में यात्रा, या बीमारी, या किसी और कारणवश रोज़े के क्रम (सिलसिले) को काट दे तो ऐसी स्थिति में नये सिरे से नियत करना आवश्यक है; क्योंकि उसने यात्रा और बीमारी आदि के कारण रोज़ा बन्द करके नियत को समाप्त कर दिया।

प्रश्न १८ : क्या बिना कुछ खाए या पिए केवल रोज़ा तोड़ने का दृढ़ संकल्प कर लेने से रोज़ेदार का रोज़ा टूट जाता है ?

उत्तर : ज्ञात होना चाहिए कि रोज़ा नियत और रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों को त्याग करने का नाम है, चुनांचे आदमी अपने रोज़े के द्वारा रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों को त्याग करके अल्लाह तआला की समीपता और निकटता

प्राप्त करने की नियत करता है, और जब उसने यह दृढ़ संकल्प कर लिया कि निश्चित रूप से उसने रोज़ा तोड़ दिया तो उसका रोज़ा बातिल (व्यर्थ) हो जाएगा। लेकिन यदि वह रमज़ान के महीने में है तो सूरज ढूबने तक उस पर खाने पीने से रुका रहना अनिवार्य है, इसलिए कि जिसने रमज़ान के महीने में बिना वैध कारण के रोज़ा तोड़ दिया उस पर खाने पीने से रुका रहना और कज़ा करना अनिवार्य है।

किन्तु यदि उसने दृढ़ संकल्प नहीं किया है बल्कि उसे तरदुद (असमंजस) है तो उलमा के मध्य इसके बारे में मतभेद है:

कुछ लोगों का कहना है: उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा; इसलिए कि तरदुद (अनिश्चिता) दृढ़ संकल्प के विरुद्ध है।

और कुछ लोगों का कहना है : उसका रोज़ा बातिल (अस्वीकृति) नहीं होगा ; इसलिए कि असल रोज़े की नियत का बाकी रहना है यहाँ तक कि उसके समाप्त करने और काटने की नियत कर ले।

मेरे निकट यही उचित है, इसलिए कि इसमें शक्ति और दम पाया जाता है, और अल्ला तअलाला सर्वाधिक ज्ञान रखने वाला है।

प्रश्न १६ : यदि रोज़ेदार भूल कर खा (पी) ले तो उसका क्या हुक्म है ? और उसको देखने वाले पर क्या अनिवार्य है?

उत्तर : जो व्यक्ति रोज़े की हालत में भूल कर खा ले या पी ले तो उसका रोज़ा उचित है, किन्तु जब याद आजाए तो उस पर तुरन्त रुक जाना अनिवार्य है, यहाँ तक कि यदि खाने का लुक़मा या पानी का घूँट उसके मुँह में हो तो उस पर वाजिब है कि वह उसे थूक दे, उसके रोज़े के परिपूर्ण होने की दलील नबी ﷺ का यह फरमान है जो अबु हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की हडीस से सिद्ध है :

((من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه،
فإنما أطعنه الله وسقاه)).

“जो व्यक्ति रोज़े से हो और भूल कर खा ले या पी ले तो उसे चाहिए कि अपना रोज़ा पूरा करे ; क्योंकि उसे अल्लाह तआला ने खिलाया और

पिलाया है।” (बुखारी हदीस नं. १६३३, मुस्लिम हदीस नं. ११५५)

तथा इसलिए भी कि भूल चूक कर किसी निषेध काम के कर लेने पर मनुष्य की पकड़ नहीं होती है, इसलिए कि अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾

(البقرة: ٢٨٦)

“ऐ हमारे रब! यदि हम भूल गए हों या गलती की हो तो हमें न पकड़ना।” (सूरतुल बक्रः २८६)

इस पर अल्लाह तआला ने फरमाया: मैं ने स्वीकार किया।

जो व्यक्ति उसे (रोज़े की हालत में खाते पीते) देखे उस पर वाजिब है कि उसे याद दिलाये; इसलिए कि यह बुराई से रोकने और उसका निवारण करने में दाखिल है। और नबी سल्लल्लाहु अलौहि व सल्लम का फरमान है:

((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع

فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه))

“तुम में से जो व्यक्ति किसी मुनूकर (निषेध) चीज़ को देखे तो उसे चाहिए कि उसको अपने हाथ से रोके, यदि इसकी शक्ति नहीं रखता है तो अपनी जुबान से रोके, यदि यह भी नहीं कर सकता तो उसे अपने दिल में बुरा समझे।”
(मुस्लिम हडीस न० ४६)

और इस में कोई सन्देह नहीं कि रोज़ेदार का रोज़े की अवस्था में खना और पीना मुनूकर और निषेध चीज़ों में से है, किन्तु भूल चूक की हालत में क्षमा योग्य है; क्योंकि उस पर पकड़ नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति उसे ऐसी हालत में देखे उसके लिए उसे न टोकने का कोई कारण और बहाना नहीं है।

प्रश्न २० : रोज़ेदार के लिए सुर्मा लगाने का क्या हुक्म है ?

उत्तर : रोज़ेदार के लिए सुर्मा लगाने में कोई हर्ज (आपत्ति) नहीं है, इसी प्रकार आँख और कान में दवा की बूँदें (**Eye/Ear drops**) डालने में कोई आपत्ति नहीं है, यहाँ तक कि अगर रोज़ेदार उसका स्वाद अपने गले में अनुभव करे फिर भी उससे रोज़ा नहीं टूटता है; क्योंकि वह न तो खाना और पीना है और न ही खाने

और पीने के अर्थ में है, और दलील (तर्क) केवल खाने और पीने के निषेध होने के विषय में आई है, अतः जो चीज़ उनके अर्थ में नहीं है उस पर उनका हुक्म नहीं लागू होगा।

यह मैं ने जो उल्लेख किया है इसी को शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिय्यह -रहिमहुल्लाह- ने चयन और पसन्द किया है और यही उचित है। किन्तु यदि रोज़ेदार अपनी नाक में दवा की बूँदें टिपकाता है और वह उसके पेट के अन्दर चली जाती है तो अगर उसने ऐसा जान बूझ कर किया है तो इस से रोज़ा टूट जाएगा ; इसलिए कि नबी ﷺ का फरमान है:

((بَالْعَدْلِ لَا سُتْنَاقٌ إِلَّا أَنْ تَكُونْ صَائِمًا)).

“नाक में पानी छढ़ाने में मुबालग़ा से काम लो, सिवाय इसके कि तुम रोजे से हो।” (अबु दाऊद हदीस नं. १४२, तिरमिज़ी हदीस नं. ३८, नसाई हदीस नं. ८७, इब्ने माजा हदीस नं. ४८)

प्रश्न २९ : रोज़ेदार के लिए मिस्वाक करने और सुगन्ध लगाने का क्या हुक्म है ?

उत्तर : सहीह (उचित) बात यह है कि रोज़ेदार के लिए दिन के शुरू भाग में और अन्तिम भाग में मिस्वाक

करना सुन्नत है, इसलिए कि नबी سल्लल्लाहु अलौहि व सल्लम का यह फरमान सामान्य है :

((السؤال مطهرة للفم مرضة للرب)).

“मिस्वाक करना मुंह की सफाई (पवित्रता) और रब (अल्लाह) की प्रसन्नता का कारण है।”
(बुखारी)

और आप सल्लल्लाहु अलौहि व सल्लम का यह कथन भी :

((لولا أن أشقي على أمتي لأمرتهم بالسؤال مع كل صلاة)).

“यदि मुझे अपनी उम्मत पर कष्ट और कठिनाई का भय न होता तो मैं उन्हें प्रत्येक नमाज़ के साथ मिस्वाक करने का आदेश देता।” (बुखारी, मुस्लिम हदीस न० २५२)

जहाँ तक सुगन्ध लगाने की बात है तो यह भी रोज़ेदार के लिए दिन के प्रारम्भिक और अन्तिम दोनों भाग में जायज़ है, चाहे यह सुगन्ध धूनी हो, या तेल हो, या इसके अतिरिक्त कोई अन्य पदार्थ हो। किन्तु धूनी को नाक के द्वारा सूँघना (चढ़ाना) जायज़ नहीं है,

इसलिए कि धूनी के प्रत्यक्ष और दिखाई देने वाले कण होते हैं, उसे जब सूँधा जाता है तो नाक के अन्दर प्रवेश करके पेट तक पहुँच जाते हैं। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने लकीत बिन सविरह से फरमाया था:

((بالغ في استنشاق إلا أن تكون صائمًا))

“नाक में पानी चढ़ाने में मुबालगा से काम लो, सिवाय इसके कि तुम रोज़े से हो।” (अबु दाऊद हदीस नं. १४२, तिरमिज़ी हदीस नं. ३८, नसाई हदीस नं. ८७, इब्ने माजा हदीस नं. ४४८)

प्रश्न २२ : रोज़े को फासिद करने वाली चीज़ें क्या क्या हैं?

उत्तर : रोज़े को फासिद करने वाली वीज़े वही हैं जिन से रोज़ा टूट जाता है, वह निम्नलिखित हैं:

१. सम्भोग करना।
२. खाना।
३. पीना।
४. शहवत (कामवासना) के साथ वीर्य निकालना।

५. जो खाने और पीने के अर्थ में है।
६. जान-बूझ कर उल्टी करना।
७. सिंधी द्वारा खून निकलना।
८. हैज़ (मासिक धर्म) और निफास (प्रसव) का खून निकलना।

खाने और पीने तथा सम्भोग करने का प्रमाण अल्लाह तआला का यह फरमान है:

﴿فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُّوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبِيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧]

“अब तुम्हें उनसे सम्भोग करने की और अल्लाह की लिखी हुई चीज़ को ढूँढ़ने की अनुमति है, तुम खाते पीते रहो यहाँ तक कि प्रभात का सफेद धागा रात के काले धागे से प्रत्यक्ष हो जाए। फिर रात तक रोज़े पूरे करो।” (सूरतुल बकरा: ٩٨)

शहवत के साथ वीर्य निकालने का प्रमाण हृदीस कुदरी में रोज़ेदार के संबंध में अल्लाह तआला का यह फरमान है:

((يَدْعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتِهِ مِنْ أَجْلِي))

वह अपने खाने पानी और शहवत (कामवासना) को मेरे कारण छोड़ देता है। (इब्ने माजा हृदीस न० १६३८)

और वीर्य का निकालना शहवत है, इसलिए कि नबी سल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है :

((وَفِي بَضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ

أَيْ أَيْتَنِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ

أَرَأَيْتَمْ لَوْ وَضَعْهَا فِي الْحَرَامِ - أَيْ كَانَ عَلَيْهِ وَزْرٌ -

فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ)).

“और तुम्हारे सम्भोग करने में भी सदका (पुण्य) है, लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल हम में से एक व्यक्ति अपने कामवासना की पूर्ति करता है और उसे उसमें पुण्य भी मिलेगा ? आप ने कहा: तुम्हारा क्या विचार है यदि वह अपनी कामवासना को निषेध चीज़ों में पूरा करता ? - अर्थात् क्या उसे उस पर पाप मिलता? - इसी प्रकार जब उसने

उसे वैध चीज़ों में रखा तो उसे उस पर पुण्य
मिलेगा।” (मुस्लिम हडीस नं. 9006)

और जो चीज़ रखी जाती है वह कूद कर निकलने
वाली वीर्य ही है, इसी कारण राजेह कथन यह है कि
मज़ी से रोज़ा फासिद नहीं होता है यद्यपि वह शहवत
और बिना सम्भोग किए अलिंग के साथ ही क्यों न हो।

पांचवाँ: जो खाने पीने के अर्थ में हो, इस से मुराद
शक्ति वर्धक इन्जेक्शन है जो खाने पीने का काम देता
है; इसलिए कि यह अगरचे खाना और पीना नहीं है
किन्तु खाने और पीने के अर्थ में है क्योंकि वह खाने
पीने का काम देता है, और जो चीज़ किसी जीज़ के
अर्थ में होती है उसका हुक्म भी वही होता है। इसी
कारण शरीर का स्वस्थ बाक़ी रहना इन्हीं इन्जेक्शनों के
प्रयोग करने पर निर्भर करता है अर्थात् शरीर को इन
इन्जेक्शनों से खुराक मिलता रहता है चाहे किसी और
चीज़ का खुराक न मिले, किन्तु जो इन्जेक्शन शरीर को
खुराक नहीं पहुँचाता है और न खाने पीने का काम
करता है उससे रोज़ा नहीं टूटता है, चाहे मनुष्य उसे
रगों में लगवाए, या पट्ठों में या शरीर के किसी अन्य
अंग में।

छठा : जान बूझ कर उल्टी (क़य) करना, अर्थात् आदमी के पेट में जो कुछ है उसे क़य करदे यहाँ तक कि वह उसके मुंह से बाहर निकल जाए, इसलिए कि अबु हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलौहि व सल्लाम ने फरमाया:

((من استقاء عمداً فليقض، ومن ذرعه القيء فلا
قضاء عليه)).

“जिसने जानबूझ कर (इच्छापूर्वक) क़य किया वह क़ज़ा करे। और जिस पर क़य ग़ालिब आजाए उस पर कोई क़ज़ा नहीं है।” (अबु दाऊद हदीस न० २३८०, तिरमिज़ी हदीस न० ७२०)

इसके अन्दर हिक्मत (रहस्य) यह है कि जब रोज़ेदार ने उल्टी कर दिया तो उसका पेट खाने से खाली हो गया, और उसके शरीर को उस चीज़ की आवश्यकता पड़ गई जो उसके उस कमी की पूर्ति करसके, इसलिए हम कहेंगे : यदि रोज़ा फर्ज़ हो तो मनुष्य के लिए जायज़ नहीं है कि वह क़य करे; इसलिए कि अगर वह क़य करेगा तो उसका वाजिब रोज़ा फासिद होजाएगा।

सातवाँ : सिंधी के द्वारा खून का निकलना, इसका प्रमाण नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह फरमान है:

((أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم))

“व्या ऐसी बात नहीं है कि जब उसे मासिक धर्म आ जाता है तो वह न नमाज़ पढ़ती है और न रोज़ा रखती है।” (बुखारी हदीस न० ३०४, मुस्लिम हदीस न० ७६)

विद्वानों की इस बात पर सहमति है कि मासिक धर्म वाली स्त्री का रोज़ा सहीह नहीं है, और उसी के समान निफास वाली स्त्री भी है।

उपरोक्त रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें अर्थात् रोज़ा फासिद करने वाली चीज़ों से उसी समय रोज़ा टूटता है जब उसके अन्दर तीन शर्तें पाई जाएं और वह यह हैं :

१. ज्ञान ।

२. ध्यान (याद दाश्त) ।

३. इच्छा ।

रोज़ेदार का रोज़ा इन रोज़ा फासिद करने वाली चीज़ों से उसी समय फासिद होगा जब उसमें यह तीन शर्तें पाई जाएँ :

पहला : वह शरई हुक्म को जानता हो, और उसे रोज़े की हालत अर्थात् समय का पता हो। यदि उसे शरई हुक्म या समय का ज्ञान न हो तो उसका रोज़ा सहीह है, इसलिए की अल्लाह तआला का फरमान है:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴿البقرة:﴾

. [۲۸۶]

“ऐ हमारे रब, यदि हम भूल गए हों या गलती की हो तो हमारी पकड़ न करना ।”

(सूरतुल बक्रः ۲۷۶)

इस पर अल्लाह तआला ने फरमाया: “मैं ने स्वीकार किया ।”

और इस लिए कि अल्लाह तआला ने फरमाया:

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكُنْ مَا تَعْمَدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴿الأحزاب: ۵﴾

“और जो कुछ तुम से गलती हुई है उसमें तुम्हारे ऊपर कोई पाप नहीं है, किन्तु जिसका तुम्हारे हृदय ने इरादा किया हो।” (सूरतुल अहज़ाबः ५)

यह दों सामान्य (आम) दलीलें हैं।

तथा इसलिए भी कि इस संबंध में रोज़े के विषय में सुन्नत से विशेष दलीलें भी हैं, चुनांचे सहीह (बुखारी व मुस्लिम) में अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में है कि उन्हों ने रोज़ा रखा तो अपने तकिए के नीचे दो रस्सियाँ -अर्थात् वह दो रस्सियाँ जिनके द्वारा ऊँट के अगले पैर को बैठते समय बांधा जाता है- रख लीं, एक काली और दूसरी सफेद, और वह खाने पीने लगे यहाँ तक कि सफेद डोरी काली डोरी से स्पष्ट होगई, तब उन्हों ने खाना पीना बन्द किया, फिर जब भोर हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आए और उन्हें इसकी सूचना दी, तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें बतलाया कि आयत के अन्दर सफेद धागे और काले धागे से मुराद दो प्रसिद्ध धागे नहीं हैं, बल्कि सफेद धागे से मुराद दिन की सफेदी (उजाला) और काले धागे से मुराद रात की अँधेरी है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें रोज़े की कज़ा का आदेश नहीं दिया। (बुखारी हदीस

न० ९६९६, मुस्लिम हदीस न० १०६०) क्योंकि उन्हें हुक्म का ज्ञान नहीं था, उनका गुमान था कि आयत का अर्थ यही है।

जहाँ तक समय का ज्ञान न होने का संबंध है तो सही ह बुखारी में अस्मा बिन्त अबु-बक्र रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया:

((أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
يَوْمِ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَ الشَّمْسُ))

“नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जमाने में एक बदली वाली रात में हम ने रोज़ा इफ्तार कर लिया, फिर सूरज निकल आया।” (बुखारी हदीस न० ९६५६)

इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें क़ज़ा करने का आदेश नहीं दिया, यदि क़ज़ा अनिवार्य होता तो आप उन्हें उसका अवश्य आदेश देते, और यदि आप उन्हें क़ज़ा का आदेश देते तो उम्मत तक उसे अवश्य नक़ल किया (पहुँचाया) जाता। इसलिए कि अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الدِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩]

हम ने ही इस कुरआन को उतारा है और हम ही
इसकी सुरक्षा करने वाले हैं। (सूरतुल-हिज्रः ६)

चुनांचे जब उसके नक़ल किए जाने के कारण के पूरी तरह मौजूद होने के उपरान्त भी नक़ल नहीं किया गया तो इस से ज्ञात हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें कज़ा करने का आदेश नहीं दिया था, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें-कज़ा का-हुक्म नहीं दिया तो पता चला कि वह वाजिब नहीं है।

इसी प्रकार यदि आदमी नींद से उठे और यह समझते हुए कि अभी वह रात ही में है कुछ खा ले या पी ले, फिर उसे पता चले कि उस ने फज्ज उदय होने के पश्चात खाया और पिया है तो उस पर कज़ा वाजिब नहीं है; इसलिए कि वह जाहिल (अनजाना) था।

दूसरी शर्त : यह है कि उसे ध्यान (स्मरण) हो, ध्यान का विपरीत भूल जाना है, यदि वह भूल कर खा ले या पी ले तो उसका रोज़ा सहीह है, उस पर कज़ा-वाजिब- नहीं है, इसलिए कि अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿رَبَّنَا لَا تُؤْخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾

(البقرة: ٢٨٦)

“ऐ हमारे रब! यदि हम भूल गए हों या गलती की हो तो हमें न पकड़ना।” (सूरतुल बक़र: २८६)

इस पर अल्लाह तआला ने फरमाया: “मैं ने स्वीकार किया।”

और इसलिए कि अबु-हुरैरह रजियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि रसूल सल्लल्लाहु अलौहि व सल्लम ने फरमाया:

((من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه

فإنما أطعمه الله وسقاه))

जिस व्यक्ति ने रोज़े की हालत में भूल चूक कर खा लिया या पी लिया वह अपना रोज़ा पूरा करे; क्योंकि उसे अल्लाह तआला ने खिलाया और पिलाया है। (बुखारी हदीस नं. ١٦٣٣, मुस्लिम हदीस नं. ٩٩٤٥)

तीसरी शर्त : इच्छा और इरादा है, और वह यह कि मनुष्य ने उस रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ का प्रयोग

अपनी इच्छा और पसंद से किया हो, यदि वह उसके उपभोग में स्वेच्छा और स्वयंवंश नहीं था तो उसका रोज़ा सहीह है, चाहे उसे उसके करने पर बाध्य (मजबूर) किया गया हो या बाध्य (मजबूर) न किया गया हो, इसलिए कि कुफ्र पर बाध्य (मजबूर) किये जाने वाले व्यक्ति के बारे में अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ
وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ
صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

[النحل: ١٠٦]

“जो अपने ईमान के पश्चात अल्लाह से कुफ्र करे सिवाय उसके जिसे बाध्य किया गया है और उसका हृदय ईमान पर सन्तुष्ट हो, परन्तु जो लोग खुले दिल से कफ्र करें तो उन पर अल्लाह तआला का प्रकोप है और उन्हीं के लिए बड़ी यातना है।” (सूरतुन नहूः ٩٠٦)

जब कुफ्र का मामला मजबूर किए जाने की अवस्था में क्षमा के योग्य है तो जो चीज़ उससे कमतर है वह मजबूर किए जाने की अवस्था में और अधिक क्षमा के

योग्य है। इसी प्रकार वह हदीस भी है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम से रिवायत की जाती है:

«إِنَّ اللَّهَ رَفَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَا وَالنَّسِيَانَ وَمَا
اسْتَكْرِهُوا عَلَيْهِ».

“अल्लाह तआला ने मेरी उम्मत से गलती, भूल-चूक और जिस पर वह बाध्य (मजबूर) किए गए हों, क्षमा कर दिया है।” (इन्हे माजा हदीस नं. २०४३)

इस आधार पर यदि रोज़ेदार के नाक में धूल-गर्द उड़ कर पहुँच जाए और वह अपने गले में उसका स्वाद अनुभव करे और वह उसके मेदे (आमाशय) में चला जाए तो इस से उसका रोज़ा नहीं टूटेगा; क्योंकि उसने इसे अपनी इच्छा और इरादे से नहीं किया है।

इसी प्रकार यदि उसे रोज़ा तोड़ने पर बाध्य (मजबूर) किया जाए और वह बाधा को समाप्त करने के लिए रोज़ा तोड़ दे तो उसका रोज़ा सहीह है; इसलिए कि इसमें उसकी इच्छा और पसन्द का दखल नहीं है।

इसी प्रकार यदि आदमी को स्वपनदोष होजाए और सोने की हालत में वीर्य निकल जाए तो उसका रोज़ा

सही है; इसलिए कि सोने वाले की कोई इच्छा नहीं होती है।

इसी प्रकार यदि आदमी अपनी पत्नी से रोज़े की हालत में ज़बरदस्ती सम्भोग कर ले तो उस स्त्री का रोज़ा शुद्ध (उचित) है; इसलिए कि उसने अपनी इच्छा और पसंद से नहीं किया है।

यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य मसूअला है जिसे समझना आवश्यक है: वह यह कि यदि किसी व्यक्ति ने रमज़ान के दिन में सम्भोग किया है और रोज़ा उस पर अनिवार्य है तो उसके सम्भोग करने पर पाँच चीज़ें मुरत्तब (निष्कर्षित) होती हैं :

१. पाप (गुनाह)।

२. दिन के अवशेष भाग में खाने पीने से रुक जाना अनिवार्य होजाता है।

३. उसका रोज़ा फासिद होजाता है।

४. क़ज़ा।

५. कफ़ारा।

इस में कोई अन्तर नहीं है कि आदमी को इस बात का ज्ञान है कि उस पर इस सम्भोग करने में क्या

अनिवार्य है या उसे इसका ज्ञान नहीं है, अर्थात् जब आदमी रमज़ान के रोज़े में सम्भोग करले और रोज़ा उस पर वाजिब हो, किन्तु उसे इस बात का ज्ञान न हो कि उस पर कफारा वाजिब होजाता है, तब भी उस पर सम्भोग के उपरोक्त अहकाम मुरत्तब (लागू) होंगे; इसलिए कि उसने रोज़ा फासिद करने वाली चीज़ को जान बूझ कर किया है, और रोज़ा फासिद करने वाली चीज़ को जान बूझ कर करने से उस पर मुरत्तब (निष्कर्षित) होने वाले अहकाम लाज़िम हो जाते हैं।

बल्कि अबु-हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में है कि एक व्यक्ति नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आया और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल ! मेरा सर्वनाश होगया, आप ने कहा: “तुझे किस चीज़ ने सर्वनाश कर दिया?” (बुखारी हदीस न० १६३६, मुस्लिम हदीस न० ९९९)

उसने कहा: रमज़ान में रोज़े की हालत में अपनी पत्नी से सम्भोग कर लिया। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसे कफारा का आदेश दिया। हालाँकि उस आदमी को यह पता नहीं था कि उस पर कफारा है या नहीं।

और हम ने जो यह कहा है कि: “और रोज़ा उस पर वाजिब हो” इस से वह हालत निकल जाती है जब रोज़ेदार उदाहरण स्वरूप यात्रा के दौरान अपनी बीवी से सम्भोग कर ले, ऐसी अवस्था में उस पर कफारा अनिवार्य नहीं है, उदाहरण के तौर पर यदि कोई आदमी अपनी पत्नी के साथ रमज़ान के महीने में यात्रा पर हो और वह दोनों रोज़े से हों, फिर वह अपनी बीवी से सम्भोग कर लेता है तो उस पर कफारा अनिवार्य नहीं है, और यह इसलिए कि जब यात्री रोज़ा आरम्भ करे तो उस पर उस रोज़े को पूरा करना अनिवार्य नहीं है, यदि उसकी इच्छा हो तो पूरा करे, और अगर चाहे तो रोज़ा तोड़ दे और बाद में उसकी क़ज़ा करे।

प्रश्न २३ : रोज़ेदार के लिए साँस के रोग (दमा) संबंधी इन्-हेलर प्रयोग करने का क्या हुक्म है, क्या इस से रोज़ा टूट जाता है ?

उत्तर : यह इन्-हेलर भाप बन जाता है और मेदे तक नहीं पहुँचता है, ऐसी अवस्था में हम कहेंगे कि रोज़े की हालत में इस इन्-हेलर का प्रयोग करने में कोई हर्ज (आपत्ति) नहीं है, इस से रोज़ा नहीं टूटे गा, इस लिए कि जैसा कि हम पहले कह चुके हैं इसके कण

मेदा तक नहीं पहुँचते हैं; क्योंकि वह ऐसा पदार्थ है जो भाप बन कर उड़ जाता है और समाप्त हो जाता है, और उसका कोई कण (भाग) मेदा में नहीं प्रवेश करता है। अतः रोज़े की हालत में आप के लिए इसका प्रयोग करना जायज़ है, इस से रोज़ा बातिल (व्यर्थ) नहीं होगा।

प्रश्न २४ : क्या उल्टी करने से रोज़ा टूट जाता है?

उत्तर : यदि मनुष्य जान बूझ कर क़य (उल्टी) करे तो उस से रोज़ा टूट जाए गा, और यदि बिना इच्छा और इरादा के उल्टी करे तो रोज़ा नहीं टूटे गा, इसका प्रमाण अबू-हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि नबी سल्लल्लाहु अलौहि व सल्लम ने फरमाया:

((مِنْ ذرَعِهِ الْقِيَءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَمِنْ اسْتِقَاءِ

عَمَدًا فَلِيَقْضِي))

जिस पर क़य ग़ालिब आजाए उस पर कोई क़ज़ा नहीं है और जिसने जानबूझ कर क़य किया वह क़ज़ा करे। (अबु दाऊद हदीस नं. २३८०, तिरमिज़ी हदीस नं. ७२०)

यदि उल्टी अप पर गालिब आजाए तो आपका रोज़ा नहीं टूटेगा, अगर किसी मनुष्य को ऐसा प्रतीक हो कि उसका मेदा उमड़ रहा है और उसके भीतर जो कुछ है वह बाहर निकल आएगा, तो हम ऐसे व्यक्ति से कहेंगे कि: न तो तुम उसे रोको और न ही उसे खींचने (बाहर निकालने) का प्रयत्न करो, बल्कि निष्पक्ष रवैया अपनाओ, न तो स्वतः उल्टी करने की कोशिश करो और न उसे रोको (दबाओ), इसलिए कि यदि आप ने स्वयं उल्टी कर लिया तो आप का रोज़ा टूट जाएगा, और अगर उसे रोकने का प्रयत्न किया तो आप को नुकसान पहुँचे गा। अतः उसे छोड़ दो, अगर वह आपकी इच्छा के बिना बाहर निकल गया तो आप को कोई हानि नहीं पहुँचाएगा और न इससे आपका रोज़ा टूटेगा।

प्रश्न २५ : क्या रोज़ेदार के मसूढ़ों से खून निकलने से रोज़ा टूट जाता है ?

उत्तर : मनुष्य के दाँतों से निकलने वाले खून से उसके रोज़े पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किन्तु वह यथासम्भव उसे निगलने से बचेगा, इसी प्रकार यदि उसकी नक्सीर फूट जाए (नाक से खून निकल आए) और उसके निगलने से बचाव कर ले, तो उस पर कोई

चीज़ अनिवार्य नहीं है और न ही उस पर कज़ा वाजिब है।

प्रश्न २६ : यदि मासिक धर्म वाली स्त्री फज्ज से पहले पवित्र होजाए और फज्ज निकलने के पश्चात् स्नान करे तो उसके रोज़े का क्या हुक्म है ?

उत्तर : यदि फज्ज उदय होने से पूर्व वह निश्चित रूप से पवित्र होजाए तो उसका रोज़ा सहीह है, महत्वपूर्ण यह है कि उसे पवित्र होने का विश्वास होजाए, क्योंकि कुछ महिलाएं यह समझ बैठती हैं कि वह पवित्र होगई हालांकि वह वास्तव में पवित्र नहीं होती हैं, इसीलिए औरतें आयशा रजियल्लाहु अन्हा के पास रुई लेकर आती थीं और उसे पवित्र होने के चिन्ह के तौर पर दिखाती थीं, तो आयशा रजियल्लाहु अन्हा उनसे फरमाती थीं :

“शीघ्रता न करो यहाँ तक कि सफेद टुकड़ा देख लो”।

इसलिए स्त्री पर आवश्यक है कि वह स्थिरता से काम ले यहाँ तक कि उसे विश्वास होजाए कि वह पवित्र होगई। जब वह पवित्र होजाये तो रोज़े की नियत करे, चाहे वह स्नान फज्ज के बाद ही करे, किन्तु उस पर यह

अनिवार्य है कि वह नमाज़ का ध्यान रखे, उसे चाहिए कि स्नान करने में शीघ्रता करे ताकि फज्ज की नमाज़ उसके समय पर पढ़ सके।

हमें सूचना मिली है कि कुछ महिलाएं फज्ज के बाद पवित्र होती हैं, या फज्ज से पहले पवित्र होती हैं किन्तु स्नान को सूर्य निकलने के पश्चात तक विलम्ब कर देती हैं, इस हुज्जत के आधार पर कि वह अधिक सम्पूर्ण, स्वच्छ और सफाई व सुथराई के साथ स्नान करना चाहती हैं, हालांकि यह ग़लत और अनुचित है चाहे वह रमज़ान में हो या अन्य दिनों में, क्योंकि उस पर अनिवार्य है कि वह स्नान करने में शीघ्रता करे ताकि फज्ज की नमाज उसके समय पर पढ़ सके, और उसके लिए जायज़ है कि वह नमाज़ पढ़ने के लिए केवल वाजिब स्नान पर निर्भर (बस) करे, और यदि वह सूर्य निकलने के पश्चात अधिक सफाई व सुथराई के लिये स्नान करना चाहे तो कर सकती है।

मासिक धर्म वाली स्त्री के समान वह स्त्री भी है जो जनाबत वाली हो और फज्ज निकलने के बाद स्नान करे, तो उस पर कोई हर्ज नहीं है और उसका रोज़ा सहीह है, जिस प्रकार कि कोई व्यक्ति यदि जुनूबी हो जाए और फज्ज के बाद स्नान करे हालांकि वह रोजे से हो

तो उस पर भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि नबी ﷺ से सिद्ध है कि आपको फज्ज का समय आ पहुँचता था और आप अपनी पत्नी से सम्भोग करने के कारण जनाबत की हालत में होते थे, फिर आप रोज़ा रखते थे और फज्ज के बाद स्नान करते थे। (बुखारी हदीस नं. १६३०, मुस्लिम हदीस नं. ११०६)

और अल्लाह तआला सर्वाधिक ज्ञान रखने वाला है।

प्रश्न २७ : रोज़ेदार के लिए दाँत उखड़वाने का क्या हुक्म है, क्या इससे रोज़ा टूट जाता है ?

उत्तर : दाँत आदि उखाड़ने से निकलने वाले खून से रोज़ा नहीं टूटता है, क्योंकि उसका प्रभाव सिंधी लगवाने के प्रभाव के समान नहीं है, इसलिए उस से रोज़ा नहीं टूटेगा।

प्रश्न २८ : रोज़ेदार के लिए खून जाँच करवाने का क्या हुक्म है, और क्या इस से रोज़ा टूट जाता है?

उत्तर : जाँच करवाने के लिए रोज़ेदार का खून निकालने से रोज़ा नहीं टूटता है, कभी कभार डॉक्टर को जाँच के लिए बीमार का खून निकालने की आवश्यकता पड़ती है, तो इस से रोज़ा नहीं टूटता है; क्योंकि वह थोड़ा सा खून होता है जो शरीर पर सिंधी

के समान प्रभाव नहीं डालता है, इसलिए उस से रोज़ा नहीं टूटेगा, और असल रोज़े का बाकी रहना है जिसे हम किसी शरई दलील के आधार पर ही फासिद घोषित कर सकते हैं, और यहाँ पर इस बात की कोई दलील नहीं है कि इस प्रकार के थोड़े से खून से रोज़ेदार का रोज़ा टूट जाता है।

किन्तु रोज़ेदार के शरीर से अधिक मात्रा में खून निकालना ताकि उसे उदाहरण स्वरूप किसी खून की आवश्यकता वाले व्यक्ति को चढ़ाया जा सके, तो यदि उसके शरीर से इतनी अधिक मात्रा में खून निकाला गया है जो उसके शरीर को उसी प्रकार प्रभावित करता है जिस प्रकार सिंधी प्रभावित करता है तो इस से उसका रोज़ा टूट जाएगा। इस आधार पर यदि फर्ज़ रोजा है तो किसी के लिए वैध नहीं है कि वह इतने अधिक मात्रा में किसी के लिए रक्त दान करे, हाँ यदि ऐसी समस्या आजाए कि वह व्यक्ति जिसके लिए रक्त दान किया जा रहा है इतनी गम्भीर स्थिति में हो कि उसके लिए सूर्य डूबने के पश्चात तक धैर्य करना सम्भव न हो और डाक्टरों ने यह निर्णय लिया हो कि इस रोज़ेदार का खून उसके लिए लाभ प्रद है और उसकी आवश्यकता को पूरी कर देगा, तो इस हालत में उसके

लिए अपना रक्त दान करने में कोई आपत्ति की बात नहीं है, वह रोज़ा इफ्तार कर लेगा और खाए पिए गा ताकि उसकी शक्ति लौट आए और इस दिन की जिसका रोज़ा उसने तोड़ दिया है कज़ा करेगा। और अल्लाह तआला सर्वाधिक ज्ञान रखने वाला है।

प्रश्न २६ : यदि रोज़ेदार हस्तमैथुन द्वारा वीर्य पात करता है तो क्या इस से उसका रोज़ा टूट जाए गा? और क्या उस पर कफ़ारा अनिवार्य है?

उत्तर : यदि रोज़ेदार हस्तमैथुन करता है और उस से वीर्य निकल आता है तो रोज़ा टूट जाएगा, और उस पर उस दिन की कज़ा वाजिब है जिस दिन उसने हस्तमैथुन करके वीर्य पात किया है, उस पर कफ़ारा वाजिब नहीं है; इसलिए कि कफ़ारा केवल सम्भोग करने से अनिवार्य होता है, उस पर वाजिब यह है कि उसने जो कुछ किया है उस से क्षमा याचना (तौबा) करे।

प्रश्न ३० : रोज़ेदार के लिए सुगन्ध सूँघने का क्या हुक्म है?

उत्तर : रोज़ेदार के लिए सुगन्ध सूँघने में हर्ज नहीं है चाहे वह तेल हो या धूनी, किन्तु यदि वह धूनी है तो

उसके धुवाँ को नाक से नहीं लेगा; इसलिए कि धुवाँ में कुछ ऐसे कण (भाग) होते हैं जो पेट तक पहुँच जाते हैं जिस से रोज़ा टूट जाएगा जिस प्रकार कि पानी और उसके समान चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, किन्तु बिना नाक से खींचे हुए केवल सूँघने से पेट तक पहुँच जाता है तो कोई हर्ज (आपत्ति) नहीं है।

प्रश्न ३१ : धूनी सूँघने और दवा की बूँद डालने में क्या अन्तर है? कि धूनी सूँघने से रोज़ा टूट जाता है और दवा की बूँदें डालने से रोज़ा नहीं टूटता है?

उत्तर : दोनों के बीच अन्तर यह है कि जो नाक से धूनी लेता है वह जान बूझ कर उसे अपने पेट में प्रवेश करता है, किन्तु जो दवा की बूँदें (**Drops**) टिपकाता है उसका इरादा उसे पेट में पहुँचाना नहीं होता है, उसका उद्देश्य केवल अपनी नाक के बाँसे में दवा की बूँदें डालना होता है।

प्रश्न ३२ : रोज़ेदार के लिए आँख, कान और नाक के ड्रॉप्स (बूँदें) प्रयोग करने का क्या हुक्म है?

उत्तर : नाक का ड्रॉप् (**Nasal Drop**) यदि मेदे तक पहुँच जाए तो इस से रोज़ा टूट जाएगा, इसलिए कि

लकीत बिन सबिरह की हदीस में है कि उन से नबी سल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम ने फरमाया :

((بَالْغُ يُفْسَدُ إِذَا سُنْشَاقَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا))

नाक में पानी चढ़ाने में मुबालगा (अधिकता) से काम लो, सिवाय इसके कि तुम रोज़ो से हो। (अबु दाऊद हदीस नं. १४२, तिरमिज़ी हदीस नं. ३८, नसाई हदीस नं. ८७, इब्ने माजा हदीस नं. ४४८)

अतः रोज़ेदार के लिए जायज़ नहीं है कि वह अपनी नाक में ऐसी दवा की बूँद डाले जो उसके मेदे तक पहुँच जाए, किन्तु वह नाक की ड्रॉप् जो मेदे तक न पहुँचे उस से रोज़ा नहीं टूटेगा।

जहाँ तक आँख के ड्रॉप् (**Eye Drop**) और उसी के समान सुर्मा लगाना भी है, तथा कान के ड्रॉप् (**Ear Drop**) का संबंध है तो इनसे रोज़ा नहीं टूटता है, क्योंकि इनके बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण (नस) नहीं है, और न ही यह उस के अर्थ में हैं जिसके बारे में विशेष स्पष्ट प्रमाण (नस) हैं, तथा आँख और कान खाने पीने का रास्ता भी नहीं हैं, यह शरीर के अन्दर अन्य पसीने के बारीक रास्तों (सुराखों) के समान हैं, और उलमा (धर्म-ज्ञानियों) ने उल्लेख किया है कि यदि मनुष्य अपने

पैर के भीतरी भाग में कोई चीज़ लेप कर ले और उसका स्वाद अपने गले में अनुभव करे तो उस से रोज़ा नहीं टूटे गा; इसलिए कि यह खाने पीने का रास्ता नहीं है, इस आधार पर जो व्यक्ति सुर्मा लगा ले, या अपनी आँख में दवा डाल ले, या अपने कान में दवा डाल ले, तो इस से उसका रोज़ा नहीं टूटेगा यद्यपि वह उसका स्वाद अपने गले में अनुभव करे। इसी प्रकार अगर रोज़ेदार इलाज के लिए या बिना इलाज के तेल का प्रयोग करे तो इस से उसके रोज़े को हानि नहीं पहुँचे गा। इसी प्रकार यदि उसे साँस का रोग (दमा) हो और वह यह गैस प्रयोग करे जिसे साँस लेने में आसानी पैदा करने के लिए मुँह के अन्दर खींचा जाता है, तो उस से रोज़ा नहीं टूटे गा; इसलिए कि वह मेदा तक नहीं पहुँचता है, अतः उसे खाना और पीना नहीं समझा जाएगा।

प्रश्न ३३ : जिस व्यक्ति को रोज़े की हालत में स्वप्न दोष होगया, क्या उसका रोज़ा उचित है?

उत्तर : हाँ, उसका रोज़ा सहीह है, क्योंकि स्वप्न दोष रोज़ा को फासिद नहीं करता है; इसलिए कि उसमें मनुष्य का कोई अधिकार (इच्छा) नहीं है, जबकि सोने

की अवस्था में उस (के किसी कार्य को लिखने) से क़लम उठा लिया गया है।

यहाँ पर मैं एक ऐसी चीज़ पर चेतावनी देना उचित समझता हूँ जिस से इस युग में अधिकांश लोग पीड़ित हैं, वह यह कि वह रमज़ान की रातों में पूरी रात जाग कर बिताते हैं, और सम्भावतः वह ऐसी चीज़ों में रात भर जागते हैं जिस से उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता या उलटा उन्हें हानि पहुँचाता है, फिर जब दिन होता है तो पूरे दिन नींद के खराटे लेते हैं, यह कदापि उचित नहीं, बल्कि उचित यह है कि मनुष्य अपने रोज़े को नेकियों, ज़िक्र, कुरआन का पाठ करने और इनके अतिरिक्त अन्य ऐसी चीज़ों को करने का गृह बनाये जिनसे अल्लाह तआला की निकटता प्राप्त होती है।

प्रश्न ३४ : रोज़ेदार के लिए ठंडक प्राप्त करने का क्या हुक्म है?

उत्तर : रोज़ेदार के लिए ठंडक प्राप्त करना जायज़ है उसमें कोई आपत्ति नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलौहि व सल्लम गर्मी या प्यास के कारण रोज़े की हालत में अपने सिर पर पानी डालते थे। (अबु दाऊद हदीस नं० २३६५)

तथा अब्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाहु अन्हुमा रोज़े की हालत में गर्मी या प्यास की तीव्रता और सख्ती को कम करने के लिए अपने कपड़े को पानी से भिगो लिया करते थे। और नमी (तरी) से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है; क्योंकि वह पानी नहीं है जो मेदे तक पहुँच जाए।

प्रश्न ३५ : यदि रोज़ेदार के कुल्ली करते हुए या नाक में पानी चढ़ाते हुए पानी उसके पेट तक पहुँच जाए तो क्या इस से उसका रोज़ा टूट जाएगा ?

उत्तर : यदि रोज़ेदार कुल्ली कर रहा हो या नाक में पानी चढ़ा रहा हो और पानी उसके पेट तक प्रवेश करजाए तो इस से उसका रोज़ा नहीं टूटे गा; इसलिए कि उसने जान बूझ कर ऐसा नहीं किया है, जबकि अल्लाह तआला का फरमान है:

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكُنْ مَا

تَعْمَدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴿١﴾ [الْأَحْزَاب: ٥].

“तुम से भूल चूक में जो कुछ हो जाये उसमें तुम पर कोई पाप नहीं, परन्तु पाप वह है जिसका निश्चय तुम हृदय से करो।” (सूरतुल अहज़ाब: ५)

प्रश्न ३६ : रोजेदार के लिए सुगन्धित चीजों को प्रयोग करने का क्या हुक्म है?

उत्तर : रमज़ान के दिनों में उसके प्रयोग करने और उसे सूँधने में कोई हर्ज नहीं है, किन्तु धूनी को नहीं सूँधे गा; क्योंकि उसमें ऐसा कण (अर्थात् धुवाँ) होता है जो पेट तक पहुँच जाता है।

प्रश्न ३७ : क्या नकसीर फूटने से रोज़ा टूट जाता है?

उत्तर : नकसीर फूटने से रोज़ा नहीं टूटता है चाहे वह अधिक ही क्यों न हो, क्योंकि वह आदमी के बिना इच्छा और अधिकार के होता है।

प्रश्न ३८ : हम देखते हैं कि रमज़ान के महीने में कुछ जन्त्रियों में एक खाना ‘इम्साक’ (अर्थात् सेहरी खाने से रुकने का समय) का होता है, जो फज्ज की नमाज़ से लग भग दस या पन्द्रह मिनट पहले रखा जाता है, क्या सुन्नत (हदीस) से इसका कोई असल (सत्यता) है या यह बिदअत है? हमें इसके आदेश से अवगत करायें, पुण्य मिलेगा।

उत्तर : यह बिदअत है, सुन्नत से इसका कोई असल (आधार) नहीं है, बल्कि सुन्नत इसके विपरीत है,

इसलिए कि अल्लाह तआला ने अपनी किताबे अज़ीज़ में फरमाया है :

﴿وَكُلُوا وَاشْرِبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾

[البقرة: ١٨٧]

“तुम खाते पीते रहो यहाँ तक कि प्रभात का सफेद धागा रात के काले धागे से प्रत्यक्ष हो जाए।” (सूरतुल बक़रा: ٩٧)

और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया :

((إن بلالا يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا
اذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر))

“बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु रात के समय अज़ान देते हैं, इसलिए खाओ पियो यहाँ तक कि इन्हे उस्मे मक्तूम की अज़ान सुन लो, क्योंकि वह उस समय तक अज़ान नहीं देते हैं जब तक कि फज्र न उदय होजाए।” (बुखारी हदीस नं. ١٦٩٢, मुस्लिम हदीस नं. ٩٥٢)

यह इस्साक जिसे कुछ लोग तैयार करते हैं यह उस चीज़ पर ज़ियादती (वृद्धि) है जो अल्लाह तआला ने फर्ज़ करार दिया (निर्धारित किया) है, इसलिए यह बातिल (अनाधार) है, और यह अल्लाह के धर्म में हठ और कट्टरपंथ में से है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है:

((هَلْكَ الْمُنْطَعُونَ، هَلْكَ الْمُنْطَعُونَ، هَلْكَ
الْمُنْطَعُونَ)).

“दीन के अन्दर तशहुद करने वाले बर्बाद होगए,
दीन के अन्दर हठ करने वाले सर्वनाश होगए,
दीन के अन्दर सख्ती करने वाले मिट गए।”
(मुस्लिम हडीस नं. २६७०)

प्रश्न ३६ : जो व्यक्ति हवाई अड्डे पर ही था कि सूर्य डूब गया और मोअज्ज़िन ने अज्ञान दे दी, और उसने रोज़ा खोल दिया, फिर हवाई जहाज़ के उड़ान भरने के पश्चात उसे सूर्य दिखाई दिया, तो क्या वह खाने पीने से रुक जाए गा ?

उत्तर : इस प्रश्न का हमारा उत्तर यह है कि उस व्यक्ति पर खाने पीने से रुकना अनिवार्य नहीं है; इसलिए कि वह ज़मीन ही पर थे तभी रोज़ा खोलने का

समय होगया, क्योंकि जिस समय सूर्य डूबा है उस समय वह उसी स्थान पर थे जहाँ सूर्य डूबा है, और अल्लाह के रसूल سल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है कि:

((إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا

وغربت الشمس فقد أفتر الصائم))

“जब रात यहाँ से आजाए और दिन यहाँ से चला जाए, और सूर्य डूब जाए तो रोज़ेदार के इफ्तार का समय होगया।” (बुखारी हदीस न° १६४९)

जब उस व्यक्ति ने जिस पर हवाई अड्डे की ज़मीन पर ही सूरज डूब गया था अपना रोज़ा खोल दिया तो उसका दिन समाप्त हो गया, और जब उसका दिन समाप्त होगया तो उस पर अगले दिन ही खाने पीने से रुकना अनिवार्य है।

इस आधार पर ऐसी स्थिति में खाने पीने से रुकना अनिवार्य नहीं है; इसलिए कि उसका रोज़ा इफ्तार करना शरई दलील के अनुसार था सो उसका खाने पीने से रुक जाना भी शरई दलील के कारण ही अनिवार्य हो सकता है।

प्रश्न ४० : रोज़ेदार के लिए बलग्रम या कफ निगलने का क्या हुक्म है?

उत्तर : बलग्रम या कफ यदि मुंह तक न पहुंचे तो इस से रोज़ा नहीं टूटे गा, हम्बली मस्लक में इस पर सर्व सहमति है, किन्तु यदि मुंह तक पहुंच जाए फिर वह उसे निगल ले तो इसके बारे में उलमा के दो कथन हैं :

कुछ विद्वानों का कहना है: इस से रोज़ा टूट जाएगा, उन्होंने इसे खाने और पीने पर कियास किया है। (अर्थात् जिस प्रकार खाने पीने से रोज़ा टूट जाता उसी प्रकार बलग्रम निगलने से भी रोज़ा टूट जाएगा)

जबकि दूसरे विद्वानों का कथन है : इस से रोज़ा नहीं टूटे गा, उन्होंने इसे थूक पर कियास किया है, (अर्थात् जिस प्रकार थूक के निगलने से रोज़ा नहीं टूटता है उसी प्रकार बलग्रम के निगलने से भी नहीं टूटे गा) क्योंकि थूक से रोज़ा बातिल नहीं होता है, यहाँ तक कि यदि मनुष्य अपने थूक को इकट्ठा कर ले और उसे निगल जाए तब भी उसका रोज़ा फासिद नहीं होगा।

जब उलमा के बीच मतभेद पैदा होजाए तो उसके निवारण के लिए अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत की ओर लौटना होगा, जब हमें इस बात में सन्देह होगया कि क्या यह इबादत (रोजा) को फासिद कर देता है या फासिद नहीं करता है? तो इस बारे में असल यह है कि फासिद नहीं होता है, और इस आधार पर बलग़म निकलने से रोज़ा नहीं टूटेगा।

महत्व पूर्ण बात यह है कि मनुष्य बलग़म (कफ़) को छोड़ दे और उसे अपने गले के नीचे से अपने मुँह में खींचने का प्रयास न करे, किन्तु यदि मुख तक चला जाए तो उसे बाहर निकाल दे चाहे वह रोज़े से हो या रोज़े से न हो, जहाँ तक उस से रोज़ा टूटने का संबंध है तो इसके लिए ऐसे प्रमाण की आवश्यकता है जो मनुष्य के लिए अल्लाह के सामने उसके रोज़े को फासिद क़रार देने में तर्क (हुज्जत) बन सके।

प्रश्न ४९ : क्या खाना चखने से रोज़ा बातिल हो (टूट) जाता है?

उत्तर : खाना चखने से रोज़ा बातिल नहीं होता है यदि उसे निगला न जाए, किन्तु आप ऐसा आवश्यकता पड़ने ही पर करेंगे, और ऐसी स्थिति में यदि बिना

इच्छा के उसका कुछ भाग आपके पेट में चला गया तो आप का रोज़ा बातिल नहीं होगा।

प्रश्न ४२ : क्या रमज़ान के दिन में हराम बातें करने से मनुष्य का रोज़ा फासिद होजाता है?

उत्तर : जब हम अल्लाह तआला का यह फरमानः

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتُبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا
كُتُبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾
[البقرة: ١٨٣].

“ऐ ईमान वालो! तुम पर रोज़े रखना अनिवार्य किया गया जिस प्रकार तुम से पूर्व लोगों पर अनिवार्य किया गया था ताकि तुम तक़्वा और भय अनुभव करो।” (सूरतुल बक़रा: ٩٢)

पढ़ते हैं तो हमें ज्ञात हो जाता है कि रोज़ा के अनिवार्य किये जाने का अर्थ क्या है और वह है अल्लाह तआला की उपासना और तक़्वा का प्राप्त होना, और तक़्वा का अर्थ है समस्त प्रकार की धर्म निषेध चीज़ों को त्याग कर देना, और तक़्वा का शब्द सामान्य रूप से आदेशों के पालन करने और वर्जित तथा निषेध

चीज़ों के त्याग करने को सम्मिलित है, नबी सल्लल्लाहु
अलैहि व सल्लम ने फरमाया है:

((مِنْ لَمْ يَدْعُ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهَلُ فَلِيَسْ

الله حاجة أَنْ يَدْعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ))

“जो व्यक्ति झूठ बात कहने और झूठ पर अमल करने और मूर्खता से न बचे तो अल्लाह तआला को इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह अपना खाना पानी त्याग कर दे।”

इसलिए रोज़ेदार के लिए अवश्य हो जाता है कि वह कर्तव्यों का पालन करे तथा निषेध बातों और कर्मों से बचाव करे, चुनांचे लोगों की ग़ीबत (पीठ पीछे बुराई) न करे, झूठ न बोले, उनकी चुग्लखोरी न करे (एक की बात दूसरे से न लगाए), अवैध क्रय-विक्रय न करे और समस्त हराम और निषेध कार्यों से बचाव करे, यदि मनुष्य यह सब पूरे एक महीने तक करलेगा तो उसकी आत्मा साल के अवशेष दिनों में भी शुद्ध और स्वस्थ रहेगी।

परन्तु खेद की बात है कि अधिकांश रोज़ेदार अपने रोज़े के दिनों और अन्य दिनों के मध्य कोई अन्तर

नहीं करते, चुनांचे वह कर्तव्यों को छोड़ने और हराम चीज़ों के करने की अपने पूर्व व्यवहार और स्वभाव पर ही अटल रहते हैं, और आप उनपर रोज़े के वकार का कोई चिन्ह नहीं पायेंगे। इन कार्यों से रोज़ा व्यर्थ और फासिद तो नहीं होता, किन्तु यह उसके पुण्य में अभाव पैदा कर देते हैं, और प्रायः दोनों की तुलना करने पर वह रोज़े के प्रतिफल पर भारी होजाते हैं और उसका अज्ञ व सवाब नष्ट होजाता है।

प्रश्न ४३ : झूठी गवाही क्या है? क्या उस से रोज़ा दूट जाता है?

उत्तर : झूठी गवाही बड़े गुनाहों में से एक है, झूठी गवाही यह है कि: आदमी उस चीज़ की गवाही दे जिसे वह नहीं जानता है, या जो जानता है उसके विपरीत गवाही दे। इस से रोज़ा तो बातिल नहीं होता किन्तु उसके सवाब (पुण्य) में कमी हो जाती है।

प्रश्न ४४ : रोज़े के आदाब क्या हैं ?

उत्तर : रोज़े के आदाब में से यह है कि अल्लाह तआला के आदेशों का पालन करके और उसकी निषेध की हुई बातों से दूर रह कर उसके तक्वा (डर और

सयंम) को लाजिम पकड़ा जाए, इसलिए कि अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتُبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتُبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾
[البقرة: ١٨٣].

“ऐ ईमान वालो! तुम पर रोज़े रखना अनिवार्य किया गया जिस प्रकार तुम से पूर्व लोगों पर अनिवार्य किया गया था ताकि तुम तक्वा और भय अनुभव करो।” (सूरतुल बक़रा: ٩٢)

तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन है :

((من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه))

“जो व्यक्ति झूठी बात कहने और झूठ पर अमल करने और मूर्खता से न बचे तो अल्लाह तआला को इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह अपना खाना पानी त्याग कर दे।” (बुखारी हदीस नं. ٩٦٠٣.)

तथा रोज़े के आदाब में से यह है कि मनुष्य अधिक से से अधिक दान, सत्कर्म और लोगों के साथ भलाई (एहसान) करे, विशेष रूप से रमज़ान के महीने में, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम लोगों में सबसे अधिक सखावत (दानशीलता) करने वाले थे, और आप सबसे अधिक सखावत रमज़ान में करते थे जब जिब्रील से आप की मुलाक़ात होती थी और वह आप को कुरआन का पाठ कराते थे। (बुखारी हदीस नं. १६०२)

इसी प्रकार रोज़े के आदाब में से यह है कि मनुष्य उन समस्त चीज़ों से दूर रहे जिसे अल्लाह तआला ने उस पर निषेध और वर्जित कर दिया है, जैसे झूठ बोलना, गाली गलोज बकना, धोखा देना, खियानत करना, हराम चीज़ों को देखना, हराम चीज़ों को सुनना और इसके अतिरिक्त अन्य हराम चीज़ें जिन से दूर रहना रोज़ेदार और गैर रोज़ेदार हर एक के लिए अनिवार्य है, किन्तु रोज़ेदार के हक में अधिक आवश्यक है।

रोज़े के आदाब में से सेहरी खाना भी है और यह कि सेहरी को विलम्ब किया जाए, इसलिए कि नबी سल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है:

((تَسْحِرُوا فِي السَّحُورِ بِرَبْكَةٍ .))

“सेहरी करो, क्योंकि सेहरी में बरकत है।” (बुखारी
हदीस नं. १६२३, मुस्लिम हदीस नं. १०६५)

तथा रोज़े के आदाब में से यह भी है कि सुतब (गादा खजूर) से रोज़ा इफ्तार किया जाए, यदि वह न मिले तो खजूर से, और वह भी न हो तो पानी से। तथा जैसे ही निश्चित रूप से सूरज डूब जाए या उसके डूबने का भारी गुमान होजाए तो तुरन्त रोज़ा इफ्तार कर लेना चाहिए, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है:

((لَا يَرْأَى النَّاسُ بَخِيرًا مَا عَجَلُوا إِلَيْهِ))

“लोग सदैव भलाई में रहेंगे जब तक वह रोज़ा इफ्तार करने में जल्दी करेंगे।” (बुखारी हदीस नं. १६५७, मुस्लिम हदीस नं. १०६८)

प्रश्न ४५ : क्या रोज़ा खोलने के समय कोई मासूर (नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रमाणित) दुआ है? और क्या रोज़ेदार मुअज्जिन का जवाब देगा या अपना रोज़ा खोलने में व्यस्त रहेगा?

उत्तर : रोज़ा खोलने के समय दुआ करना, दुआ के क़बूल होने के स्थानों में से है, क्योंकि उस समय आदमी इबादत के अन्त में होता है, और इसलिए भी कि मनुष्य सम्भवतः सबसे अधिक विनीत (निंबल) अपने रोज़ा खोलने के समय होता है, और जितना ही अधिक मनुष्य विनीत और नम्र हृदय होगा उतना ही वह अल्लाह की ओर समर्पण करने और उसकी ओर विनय करने वाला होगा।

इफ्तार के समय मासूर दुआ यह है:

((اللَّهُمَّ لِكَ صَمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ))

“ऐ अल्लाह ! मैं ने तेरे ही लिए रोज़ा रखा,
और तेरी ही प्रदान की हुई रोज़ी से रोज़ा
खोला।”

और उसी में से रोज़ा खोलते समय नबी سल्लल्लाहु
अलैहि व सल्लम की यह दुआ भी है:

((ذَهَبَ الظَّمَاءُ، وَابْتَلَتِ الْعَرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ

.)) اللَّهُ

“‘च्यास चली गई, रगें तर होगई और यदि अल्लाह तआला ने चाहा तो पुण्य निश्चित हो गया।’” (अबु दाऊद हडीस न० २३५७)

इन दोनों हडीसों के अन्दर अगरचे कुछ कमज़ोरी है किन्तु कुछ उलमा ने इन्हें हसन कहा है, बहरहाल यदि आप ने यह दुआ की या इसके अतिरिक्त जो भी दुआ रोजा खोलते समय आप के मन में आया किया, वह दुआ के स्वीकार किए जाने का स्थान है।

जहाँ तक आदमी के रोज़ा खोलते समय मुअज्जिन के अज्ञान का जवाब देने का प्रश्न है तो वह मश्ऱुअ है; इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलौहि व सल्लम का फरमान:

((إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤْذِنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ))

“‘जब मुअज्जिन को अज्ञान देते सुनो तो उसी तरह कहो जैसे मुअज्जिन कहता है।’” (बुखारी हडीस न० ६११, मुस्लिम हडीस न० ३८४)

प्रत्यके स्थिति को शामिल है, सिवाय इसके कि दलील किसी हालत को इस से अलग कर दे।

प्रश्न ४६ : उस व्यक्ति के लिए शब्दाल के छः रोज़े रखने के बारे में आप का क्या विचार है जिस पर कज़ा वाजिब है?

उत्तर : इस प्रश्न का उत्तर नबी सल्लल्लाहु अलौहि व सल्लम के इस फरमान में है:

((من صام رمضان ، ثم أتبعه بست من شوال كان
كصيام الدهر .))

“जिस व्यक्ति ने रमज़ान का रोज़ा रखा, फिर उसके पश्चात ही शब्दाल महीने के छः रोज़े रखे तो वह ज़माने भर रोज़ा रखने के समान है।”
(मुस्लिम हडीस नं. ११६४)

प्रश्न यह है कि यदि किसी मनुष्य पर (रमज़ान के रोज़े की) क़ज़ा अनिवार्य है और वह शब्दाल के छः रोज़े रखता है तो क्या उसने उन रोज़ों को रमज़ान से पहले रखा है या रमज़ान के पश्चात ?

उदाहरण : एक व्यक्ति ने रमज़ान के चौबीस (२४) रोज़े रखे, और उस पर छः दिन के रोज़े शेष रह गए, अब यदि वह रमज़ान के छः रोज़े क़ज़ा के रखने से पूर्व शब्दाल के छः रोज़े रखता है तो यह नहीं कहा

जाएगा कि: उसने रमज़ान के रोज़े रखे, फिर उसके पश्चात ही शव्वाल के छः रोज़े रखे; इसलिए कि यह नहीं कहा जा सकता कि उसने रमज़ान के रोज़े रखे मगर केवल इस स्थिति में कि उसने रमज़ान के पूरे रोज़े रखे हों, इस आधार पर उस व्यक्ति के लिए शव्वाल के छः रोज़े रखने का सवाब सिद्ध नहीं होगा जिसने अपने ऊपर रमज़ान के कज़ा के अनिवार्य होते हुए उसके रोज़े रखे।

इस मसूउले का संबंध इस अध्याय से नहीं है कि “जिस पर रोज़े की कज़ा वाजिब हो उसके लिए नफूली रोज़ा रखने के जायज़ होने के बारे में उलमा के मध्य मतभेद है”, इसलिए कि यह मतभेद शव्वाल के छः रोज़ों के अतिरिक्त में है, जहाँ तक शव्वाल के छः रोज़ों का प्रश्न है तो वह रमज़ान के अधीन हैं, और उनका सवाब उसी के लिए सिद्ध हो सकता हैं जिसने रमज़ान के पूरे रोज़े रख लिए हैं।

प्रश्न ४७ : एक बीमार व्यक्ति ने रमज़ान में रोज़ा नहीं रखा और महीने के प्रवेश करने के चार दिन बाद उसका देहान्त होगया, क्या उसकी ओर से कज़ा किया जाए गी?

उत्तर : यदि वह बीमारी जिस से यह व्यक्ति पीड़ित हुआ है सामयिक (वकृती) बीमारी थी तो उसकी ओर से रोज़े की कज़ा नहीं की जाए गी अगर उसकी बीमारी उसके मरने तक बाक़ी थी; इसलिए कि अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعَدَّهُ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَ﴾ [البقرة: ۱۸۵]

“और जो बीमार हो या यात्रा पर हो तो वह दूसरे दिनों में उसकी गिन्ती पूरी करे।”

(सूरतुल बकरा: ۹۷۵)

इस आयत के आधार पर उस बीमार पर अनिवार्य यह है कि वह दूसरे दिनों में उसकी गिन्ती के बराबर रोज़ा रखे, और जब उसे रखने पर क़ादिर (सामर्थी) होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई तो वह उस से भार मुक्त होगया; क्योंकि उसने वह समय नहीं पाया जिसमें उस पर रोज़ा रखना अनिवार्य है, इस प्रकार वह उस व्यक्ति के समान है जो शाबान के महीने ही में मर गया, तो उस पर अगले रमज़ान का रोज़ा रखना अनिवार्य नहीं है।

किन्तु यदि उसकी बीमारी ऐसी है जिसके ठीक होने की आशा नहीं है, तो असूल यह है कि उस पर हर दिन के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाना अनिवार्य है।

प्रश्न ४८ : एक व्यक्ति पर रमज़ान के महीने के एक दिन की कज़ा वाजिब थी और उसने कज़ा नहीं की यहाँ तक कि दूसरा रमज़ान आगया, अब वह क्या करे?

उत्तर : यह बात मालूम (ज्ञात) है कि अल्लाह सुन्हानहु व तआला फरमाता है :

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلِيَصُمُّهُ وَمَنْ كَانَ

مَرِيضًا أَوْ عَالَىٰ سَفَرٍ فَعَدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَىٰ﴾

[البقرة: ١٨٥]

“तुम में से जो व्यक्ति इस महीने को पाए उसे रोज़ा रखना चाहिए। और जो बीमार हो या यात्रा पर हो तो वह दूसरे दिनों में उसकी गिन्ती पूरी करे।” (सूरतुल बकरा: १८५)

अतः इस व्यक्ति पर जिसने किसी शरई उज्ज़ के कारण रोज़ा नहीं रखा था अनिवार्य है कि अल्लाह तआला के आदेश का पालन करते हुए उसकी कज़ा

करे, तथा उस पर यह भी अनिवार्य है कि वह उसी साल क़ज़ा करे, दूसरे रमज़ान के पश्चात तक उसे विलम्ब न करे; इसलिए कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं:

“मेरे ऊपर रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा होती थी और मैं उसे शाबान में क़ज़ा करने का अवसर पाती थी।” (बुखारी हदीस नं. १६५०,)

और यह इस कारण था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उनके पास होते थे। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का यह फरमान कि: “मैं उसे शाबान ही मैं क़ज़ा कर पाती थी” इस बात की दलील है कि दूसरे रमज़ान के आने से पूर्व उसकी क़ज़ा अनिवार्य है, किन्तु यदि उसने उसे दूसरे रमज़ान के बाद तक विलम्ब कर दिया है तो उस पर वाजिब है कि अल्लाह तआला से क्षमा याचना करे और उस से तौबा करे, और जो कुछ किया है उस पर लज्जित और शर्मिन्दा हो, और इस दिन की क़ज़ा करे; इसलिए कि विलम्ब के कारण क़ज़ा समाप्त नहीं होजाता है, इसलिए वह इस दिन की क़ज़ा करेगा चाहे दूसरे रमज़ान के पश्चात ही क्यों न हो। और अल्लाह तआला ही तौफीक प्रदान करने वाला है।

प्रश्न ४६ : शब्दाल के छः रोज़ों के विषय में सर्वश्रेष्ठ चीज़ क्या है?

उत्तर : सर्वश्रेष्ठ यह है कि शब्दाल के छः रोज़े ईद के तुरन्त पश्चात और लगातार रखे जाएं, जैसा कि उलमा ने इसे विशेष रूप से उल्लेख किया है, इसलिए कि यह उस अनुसरण (पैरवी) की पूर्ति के अधिक योग्य है जो हदीस के अन्दर आया है कि ((ثم أتبعه)) अर्थात् फिर उसके पीछे ही (तुरन्त पश्चात ही शब्दाल के छः रोज़े रखे) और इसलिए कि यह भलाई की ओर शीघ्रता करने के बाब से है जिसके बारे में कुरआन व हदीस के नुसूस के अन्दर रुचि दिलाई गई है और उसके करने वाले की प्रशंसा की गई है, और इसलिए भी कि यह उस दूरदर्शिता का प्रतीक है जो बन्दे के गुण और विशेषता में से है, इसलिए कि अवसरों को छोड़ देना उचित नहीं है; इसलिए कि आदमी को कुछ भी पता नहीं कि दूसरे समय और अन्त में क्या चीज़ पेश आजाए, इस से मेरा मतलब यह है कि आदमी को अपने समस्त कामों में जैसे ही ठीक बात का पता चल जाए उसे सम्पन्न करने और अवसरों से लाभ उठाने में शीघ्रता करना चाहिए।

प्रश्न ५० : क्या मनुष्य के लिए जायज़ है कि वह अपनी पसन्द से शवाल के जिन दिनों का रोज़ा रखना चाहे रखें, या इन दिनों का कोई विशेष निर्धारित समय है ? और यदि मुसलमान ने किसी वर्ष शवाल के इन दिनों का रोज़ा रख लिया तो क्या यह उस पर फर्ज़ होजाता है और हर साल उस पर रोज़ा रखना वाजिब होजाता है ?

उत्तर : अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलौहि व सल्लम से सिद्ध है कि आप ने फरमाया :

((من صام رمضان ، ثم أتبعه بست من شوال كان
كصيام الدهر)).

“जिस व्यक्ति ने रमज़ान का रोज़ा रखा, फिर उसके पश्चात ही शवाल महीने के छः रोज़े रखे तो वह ज़माने भर रोज़ा रखने के समान है।”
(मुस्लिम हडीस नं. ११६४)

इन छः रोज़ों का कोई निश्चित और निर्धारित समय नहीं है, बल्कि पूरे महीने में से मोमिन जो भी दिन चाहे चयन कर ले, यदि चाहे तो उसके शुरू में रोज़ा रखे, और यदि चाहे तो उसके बीच में रोज़ा रखे, और

यदि चाहे तो उसके अन्त में रोज़ा रखे, और यदि चाहे तो उसे पूरे महीने में अलग अलग दिनों में रखे, अल्लाह की प्रशंसा है कि इस मामले में विस्तार है। और यदि उसके लिए शीघ्रता करता है और उसे महीने के शुरू ही में रख लेता है तो भलाई की ओर पहल करने के बाब से यह श्रेष्ठ है, किन्तु अल्लाह की प्रशंसा है कि इसके अन्दर कोई तंगी नहीं है, बल्कि उसके अन्दर मामले में विस्तार (कुशादगी) है, यदि चाहे तो रमज़ान के पश्चात ही लगातार रखे, और यदि चाहे तो अलग अलग दिनों में रखे, फिर यदि वह कुछ साल रोज़ा रखता है और कुछ साल छोड़ देता है तो कोई बात नहीं; इसलिए कि यह नफली रोज़ा है फर्ज़ नहीं है।

प्रश्न ५९ : आशूरा के रोज़ों का क्या हुक्म है ?

उत्तर : जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हिजरत करके मदीना आए तो यहूदियों को मुहर्रम महीने की दसवीं तारीख को रोज़ा रखते हुए पाया, उस समय आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया:

((أَنَا أَحْقَ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمْرَ بِصِيَامِهِ)).

“मैं मूसा अलैहिस्सलाम (की पैरवी करने) का तुम से अधिक योग्य हूँ, फिर आप ने उस दिन रोज़ा

रखा और लोगों को उसका रोज़ा रखने का आदेश दिया।” (बुखारी हदीस नं. २००४, मुस्लिम हदीस नं. ११३०)

और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की मुत्तफक़ अलैह हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने आशूरा के दिन का रोज़ा रखा और उसका रोज़ा रखने का आदेश दिया। तथा आप से उसके रोज़े की फज़ीलत के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया:

((أَحْتَسِبْ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَكْفُرَ السَّنَةُ الَّتِي قَبْلَهُ)).

“मुझे अल्लाह तआला से आशा है कि इसके रोज़े को पिछले साल के गुनाहों का कफ़ारा बना देगा।” (मुस्लिम हदीस नं. ११६२)

किन्तु इसके पश्चात आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यहूद की मुखालफत करने का आदेश दिया इस प्रकार कि दसवीं तारीख का रोज़ा रखा जाए और उस से पहले एक दिन अर्थात् नवीं तारीख का, या उसके पश्चात एक दिन अर्थात् ग्यारहवीं तारीख का रोज़ा रखा जाए।

इस आधार पर श्रेष्ठ यह है कि मनुष्य दसवीं तारीख का रोज़ा रखे और उसके साथ एक दिन पहले या एक दिन बाद का रोज़ा और मिला ले, उसके साथ नवीं तारीख के रोज़े को मिलाना ग्यारहवीं तारीख के रोज़े के मिलाने से श्रेष्ठ है।

अतः इस्लामी भाईयो ! आप के लिए शोभा है कि आप आशूरा के दिन और नवीं तारीख का रोज़ा रखें।

प्रश्न ५२ : शाबान के महीने में रोज़ा रखने का क्या हुक्म है?

उत्तर : शाबान के महीने में रोज़ा रखना और अधिक से अधिक रोज़ा रखना सुन्नत है, यहाँ तक कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं :

“मैं ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को शाबान के महीने से अधिक किसी और महीने में (नफली) रोज़ा रखते हुए नहीं देखा ”।

अतः इस हदीस के आधार पर शाबान के महीने में अधिक से अधिक रोज़ा रखना मुनासिब है।

उलमा (ज्ञानियों) का कहना है : शाबान के रोज़े ऐसे ही हैं जैसे फर्ज़ नमाज़ों के लिए मुअकिदा सुन्नतें हैं,

मानो वह रमज़ान के रोज़ों के लिए प्राक्कथन है, अर्थात् मानो वह रमज़ान के महीने की सुन्ते मुअक्किदा है, इसी कारण शाबान के महीने में रोज़ा रखना मसनून है तथा शब्वाल के महीने में छः दिनों का रोज़ा रखना मसनून है जिस प्रकार कि फर्ज़ नमाज़ से फहले और बाद की मुअक्किदा सुन्तें होती हैं। शाबान के महीने में रोज़ा रखने का एक अन्य फायदा भी है और वह यह है कि नफ्स को रोज़े के लिए व्यवस्थित और अनुकूल करना है ताकि वह रमज़ान के रोज़े के लिए तैयार रहे और उसकी अदायगी सरल होजाए।

प्रश्न ५३ : यदि मनुष्य एक दिन रोज़ा रखता हो और एक दिन रोज़ा इफ्तार करता हो और उसके रोज़े का दिन जुमा के दिन पड़ जाए तो क्या उसके लिए उस दिन रोज़ा रखना जायज़ है?

उत्तर : यदि कोई व्यक्ति एक दिन रोज़ा रखता हो और एक दिन रोज़ा इफ्तार करता हो तो उसके लिए अकेले जुमा, या शनिवार या रविवार या इसके अतिरिक्त किसी अन्य दिन का रोज़ा रखना जायज़ है जब तक कि वह ऐसा दिन नहीं पड़ता है जिसका रोज़ा रखना हराम है, यदि उसका रोज़ा किसी ऐसे दिन पड़ जाता है जिस दिन रोज़ा रखना निषेध (हराम) है तो

उस पर उस दिन का रोज़ा छोड़ देना अनिवार्य है, यदि मान लो कि कोई व्यक्ति एक दिन रोज़ा रखता था और एक दिन रोज़ा इफ्तार करता था, कि उसके इफ्तार का दिन जुमेरात को और रोज़े का दिन जुमा को पड़ गया तो उस के लिए कोई हर्ज की बात नहीं है कि वह ऐसी हालत में जुमा के दिन रोज़ा रखे, इसलिए कि उसने जुमा का रोज़ा इसलिए नहीं रखा है कि वह जुमा का दिन है; बल्कि इसलिए कि वह उस दिन पड़ गया जिस दिन वह रोज़ा रखता था, किन्तु यदि वह दिन जिस दिन वह रोज़ा रखता है किसी ऐसे दिन पड़ जाए जिसका रोज़ा रखना हराम है तो उस दिन का रोज़ा छोड़ देना अनिवार्य है, जैसे कि वह ईदुल-अज्हा का दिन या तश्रीक का दिन पड़ जाए, या जैसे कि कोई महिला हो जो एक दिन रोज़ा रखती हो और एक दिन इफ्तार करती हो और उसे मासिक धर्म या प्रसव स्नाव आजाए जो उसके लिए रोज़ा रखने में रुकावट हो तो ऐसी हालत में वह रोज़ा नहीं रखे गी।

प्रश्न ५४ : सौमे विसाल (लगातार रोज़ा रखना) क्या है? क्या वह मशरूअ है?

उत्तर : सौमे विसाल यह है कि मनुष्य दो दिन तक रोज़ा इफ्तार न करे, लगातार दो दिनों तक रोज़े को

जारी रखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस से रोका है और फरमाया है:

((من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر)).

“जो व्यक्ति रोज़े को लगातार रखना चाहे वह सेहरी के समय तक लगातार रोज़ा रखे।”

सेहरी तक विसाल करना भी केवल जायज़ है, (मश्रूअ) मुस्तहब के अध्याय से नहीं है, बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रोज़ा खोलने में शीघ्रता करने पर बल दिया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया:

((لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر))

“लोग बराबर भलाई में रहेंगे जब तक वह रोज़ा खोलने में शीघ्रता करें गे।”

किन्तु उनके लिए केवल सेहरी तक रोज़े को लगातार जारी रखना जायज़ करार दिया है, चुनांचे जब लोगों ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल आप तो लगातार रोज़ा रखते हैं तो आप ने फरमाया: “मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ।”

प्रश्न ५५ : जुमा के दिन को रोज़े के साथ विशेष करने से मना करने का क्या कारण है? क्या यह आदेश कज़ा के रोज़ों को भी सम्मिलित है?

उत्तर : नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से साबित है कि आप ने फरमाया:

((لَا تَخْصُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصَيَامٍ وَلَا لِيَلَتِهَا بِقِيَامٍ .))

“जुमा के दिन को रोज़े के लिए और उसकी रात को कियाम (तहज्जुद) के लिए विशेष न करो।”

व्यक्तिगति रूप से जुमा के दिन को रोज़े के लिए विशेष करने से मना करने की हिक्मत यह है कि जुमा का दिन सप्ताह की ईद है, वह तीन शरई (धार्मिक) ईदों में से एक है; इसलिए कि इस्लाम में तीन ईदें हैं: रमज़ान के रोज़ों के बाद ईदुल-फितर, ईदुल-अज़हा और सप्ताह की ईद और वह जुमा का दिन है, इसीलिए उस दिन अकेले रोज़ा रखने से मना किया गया है, और इसलिए कि जुमा एक ऐसा दिन है जिस में आदमियों के लिए जुमा की नमाज़ के लिए जाना और दुआ और ज़िक्र में व्यस्त होना मुनासिब है, इस प्रकार वह अरफा के दिन के समान है जिस दिन हाजी के लिए रोज़ा रखना मश्ऱुअ नहीं है; इसलिए कि वह दुआ और ज़िक्र

में व्यस्त होता है, और यह बात ज्ञात है कि जब कई ऐसी इबादतें एकत्र होजाएं जिन में से कुछ को विलम्ब करना सम्भव हो तो जिनको विलम्ब करना सम्भव नहीं है उसे उन पर प्राथमिकता दी जाए गी जिन को विलम्ब करना सम्भव है।

यदि कोई व्यक्ति आपत्ति व्यक्ति करे: जुमा के दिन का सप्ताह की ईद होने का कारण व्यान करना इस बात का तकाज़ा करता है कि उसका रोज़ा साल के दोनों ईदों के समान सामान्य रूप से हराम (निषेध) हो, केवल उस दिन का अकेले रोज़ा रखना ही नहीं।

हम उत्तर देंगे : वह दोनों ईदों से विभिन्न है; इसलिए कि जुमा का दिन हर महीने में चार बार आता है, इसलिए उसके बारे में मनाही निषेधात्मक नहीं है, तथा ईदैन के अन्दर कुछ अन्य अर्थ भी हैं जो जुमा के दिन में नहीं हैं।

इसके विपरीत यदि वह उसके एक दिन पहले या एक दिन बाद भी रोज़ा रखता है तो इस से यह ज्ञात होता है कि उसका उद्देश्य जुमा के दिन को रोज़े के लिए विशेष करना नहीं है; इसलिए कि उसने एक दिन पहले

अर्थात् जुमेरात का भी रोज़ा रखा है, या एक दिन बाद अर्थात् शनिवार का भी रोज़ा रखा है।

जहाँ तक प्रश्नकर्ता के इस प्रश्न का संबंध है कि क्या यह नफली रोज़े के लिए विशेष है या इसमें कज़ा के रोज़े भी आते हैं?

तो दलीलों का स्पष्ट अर्थ यही है कि यह हुक्म सामान्य है और जुमा के दिन को रोज़े के लिए विशेष करना अनेच्छिक है चाहे वह फर्ज़ रोज़े हों या नफली रोज़े, किन्तु यदि मनुष्य काम काज वाला हो उसे काम से छुट्टी न मिलती हो और उसके लिए जुमा के अतिरिक्त किसी अन्य दिन में कज़ा करना सहज न हो तो ऐसी स्थिति में उसके लिए अकेले जुमा के दिन रोज़ा रखना अनेच्छिक नहीं है; इसलिए कि वह ज़रूरतमंद है।

प्रश्न ५६ : यदि मनुष्य नफली रोज़े को किसी रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ के द्वारा फासिद कर दे तो क्या वह गुनहगार होगा? और यदि वह उसे सम्भोग के द्वारा फासिद कर दे तो क्या उस पर कफ़ारा अनिवार्य है?

उत्तर : यदि मनुष्य नफली रोज़ा रखे, फिर खाना या पानी या सम्भोग के द्वारा रोज़ा तोड़ दे तो उस पर कोई गुनाह नहीं है; इसलिए कि जो भी व्यक्ति कोई

नफली इबादत आरम्भ करे तो उस पर उसको पूरा करना अनिवार्य नहीं है सिवाय हज्ज और उम्रा के (कि उनको पूरा करना आवश्यक है) किन्तु श्रेष्ठ उसको पूरा करना है, ऐसी स्थिति में यदि वह नफली रोज़े में सम्भोग कर ले तो उस पर कफारा नहीं है; इसलिए कि उस पर उसको पूरा करना अनिवार्य नहीं है।

लेकिन यदि फर्ज़ रोज़ा हो और रोज़ेदार अपनी पत्नी से सम्भोग करे तो यह जायज़ नहीं है; इसलिए कि फर्ज़ रोज़े को बिना किसी आवश्यकता (कारण) के तोड़ना जायज़ नहीं है, तथा उस पर कफारा उसी समय अनिवार्य है जब वह रमज़ान के दिन में सम्भोग करे और वह उन लोगों में से हो जिन पर रोज़ा वाजिब है, हमारे इस कथन “ और वह उन लागों में से हो जिन पर रोज़ा वाजिब है” पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यदि मान लो कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ यात्रा करे और वह दोनों यात्रा में रोज़े से हों फिर वह उस से सम्भोग कर ले तो उन दोनों पर कोई मुनाह नहीं है और न हीं उन पर कफारा वाजिब है, उस पर और उसकी पत्नी पर केवल यह अनिवार्य है कि वह दोनों उस दिन की कज़ा करें जिसमें सम्भोग हुआ है।

प्रश्न ५७ : ऐतिकाफ का क्या हुक्म है? क्या ऐतिकाफ में बैठने वाले के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति और खाने पीने तथा इसी प्रकार दवा इलाज कराने के लिए निकलना वैध है? ऐतिकाफ की सुन्नतें क्या हैं? तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सिद्ध ऐतिकाफ की सहीह विधि क्या है?

उत्तर : अल्लाह अज्ज़ा व जल्ल की आराधना और वन्दना के लिए एकान्त होने के लिए मस्जिद को लाज़िम पकड़ने को ऐतिकाफ कहते हैं, क़द्र की रात को तलाश करने के लिए ऐतिकाफ करना मसनून है, कुरआन के अन्दर अल्लाह तआला ने इसकी ओर अपने इस फरमान के द्वारा संकेत किया है:

﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾

[البقرة: ١٨٧]

“और स्त्रियों से उस समय सम्भोग न करो जब तुम मस्जिदों में ऐतिकाफ में हो।”(सूरतुल बकरा: ٩٧)

सहीहैन (बुखारी और मुस्लिम) में सिद्ध है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐतिकाफ किया और आप के साथ आपके सहाबा ने भी ऐतिकाफ किया,

और ऐतिकाफ की मश्सूयित (वैधता) बाकी रही है मनसूख नहीं हुइ है, चुनांचे सहीहैन में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि वह कहती हैं:

“नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रमज़ान के अन्तिम दस दिनों का ऐतिकाफ करते थे यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने आपको मृत्यु दे दी, फिर आपकी पत्नियों ने आपके बाद ऐतिकाफ किया”।

तथा सहीह मुस्लिम में अबु सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रमज़ान के पहले दस दिनों का ऐतिकाफ किया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रमज़ान के मध्य दस दिनों का ऐतिकाफ किया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया:

“मैं ने क़द्र वाली रात को ढूँढ़ने के लिए रमजान के पहले दहे का ऐतिकाफ किया, फिर मैं ने मध्य दहे का ऐतिकाफ किया, फिर मेरे पास जिब्रील आए और मुझ से कहा गया कि: यह अन्तिम दहे में है, सो तुम में से जो व्यक्ति ऐतिकाफ करना चाहे वह ऐतिकाफ करे”।

चुनांचे लोगों ने आप के साथ ऐतिकाफ किया। इमाम अहमद रहिमहुल्लाह कहते हैं: मैं किसी भी आलिम का इस बारे में मतभेद नहीं जानता हूँ कि ऐतिकाफ मसनून है।

इस प्रकार ऐतिकाफ नस और इजमाअ के द्वारा मसनून है।

ऐतिकाफ का स्थान वह मस्जिदें हैं जिस में जमाअत के साथ नमाज होती है चाहे वह किसी भी नगर में हो, इसलिए कि अल्लाह तआला का यह फरमान सामान्य है:

﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾

[البقرة: ١٨٧]

“और स्त्रियों से उस समय सम्भोग न करो जब तुम मस्जिदों में ऐतिकाफ में हो।”(सूरतुल बकरा: ٩٧)

श्रेष्ठ यह है कि ऐतिकाफ ऐसी मस्जिद में किया जाए जिस में जुमा की नमाज़ होती है ताकि उसके लिए बाहर निकलने की आवश्यकता न पड़े, यदि इसके अतिरिक्त मस्जिद में ऐतिकाफ करता है तो जुमा की नमाज़ के लिए जल्दी जाने में कोई बात नहीं है।

ऐतिकाफ करने वाले के लिए योग्य है कि वह अल्लाह
अज्ज़ा व जल्ल की आराधना - अर्थात् नमाज़, कुरआन
का पाठ और अल्लाक के स्मरण - में व्यस्त रहे,
इसलिए कि ऐतिकाफ का यही उद्देश्य है, तथा अपने
साधियों से थोड़ी बात चीत करने में को हर्ज नहीं है,
विशेष रूप से जब उस में कोई लाभ हो।

ऐतिकाफ करने वाले पर सम्भोग और उस से पूर्व की
कामुक और भोगेच्छिक चीज़े निषेध (हराम) हैं।

ऐतिकाफ करने वाले के मस्जिद से बाहर निकलने की
हालतों को फुक़हा (धर्म-शास्त्र के ज्ञानियों) ने तीन भागों
में बांटा है :

पहला : जायज़, किसी ऐसे चीज़ के लिए बाहर
निकलना जो शरई (धार्मिक) या स्वाभाविक रूप से
आवश्यक हो, उदाहरणतः जुमा की नमाज़ के लिए
निकलना, तथा खाने और पीने के लिए निकलना यदि
कोई उसके पास खाना पानी लाने वाला न हो, वाजिब
वजू और स्नान के लिए, पेशाब और पाखाने की
आवश्यकता को पूरा करने के लिए बाहर निकलना।

दूसरा : किसी ऐसी नेकी के काम के लिए निकलना
जो उस पर वाजिब नहीं है जैसे कि बीमार की अयादत

करना, जनाज़े में जाना, यदि उसने ऐतिकाफ के आरम्भ में इसकी शर्त लगाई थी तो जायज़ है अन्यथा नहीं।

तीसरा : किसी ऐसी चीज़ के लिए निकलना जो ऐतिकाफ के विपरीत है जैसे कि क्र्य-विक्र्य के लिए, अपनी पत्नी से सम्भोग करने के लिए और इसी के समान अन्य चीज़ों के लिए निकलना, तो यह जायज़ नहीं है चाहे उसकी शर्त लगाई हो या न लगाई हो। और अल्लाह तआला ही तौफीक् देने वाला है।

प्रश्न ५८ : जिस व्यक्ति ने बिना किसी कारण के रमज़ान के महीने के रोज़े की अनिवार्यता से अपरिचित होने के सबब रमज़ान के कुछ दिनों का रोज़ा नहीं रखा तो क्या उस पर कज़ा वाजिब है? तथा उस व्यक्ति के रोज़े का क्या हुक्म है जो अल्लाह की उपासना के उद्देश्य से रोज़ा नहीं रखता है, बल्कि केवल लोगों को रोज़ा रखते हुए देख कर उनके साथ रोज़ा रखता है?

उत्तर : जिस व्यक्ति ने रमज़ान के महीने के रोज़े की अनिवार्यता से अनवगत होने के कारण रमज़ान के कुछ दिनों का रोज़ा नहीं रखा था, उस पर कज़ा वाजिब है, इसलिए कि मनुष्य का किसी चीज़ की अनिवार्यता से अपरिचित होना उस अनिवार्य चीज़ से भार मुक्त नहीं

कर देता है, बल्कि केवल गुनाह को समाप्त कर देता है, इसलिए उस व्यक्ति पर रोज़ा न रखने का गुनाह नहीं है किन्तु उस पर कज़ा वाजिब है। यहाँ पर यह बात स्वीकारने योग्य नहीं है कि कोई व्यक्ति मुसलमानों के मध्य जीवन यापन कर रहा हो और उसे इस बात का ज्ञान न हो कि रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े वाजिब हैं। प्रत्यक्ष रूप से यह फर्जी मस्अला है, किन्तु जो व्यक्ति अभी नया नया इस्लाम में प्रवेष किया हो उसके बारे में सम्भावना है कि वह पूरे महीने के रोज़े की अनिवार्यता से अनभिज्ञ हो।

दूसरे वाक्य का उत्तर, वह व्यक्ति जो दूसरे लोगों को रोज़ा रखते हुए देख कर उनके साथ रोज़ा रखता था तो प्रत्यक्ष रूप से उसका रोज़ा सहीह है, इसलिए कि वह नियत के साथ खाने पीने से रुकता है और वह यह कि वह उसी प्रकार कता है जिस प्रकार अन्य मुसलमान करते हैं और मुसलमान अल्लाह तआला की उपासना के उद्देश्य से ऐसा करते हैं (इस प्रकार उसकी भी वही नियत मानी जाएगी)। किन्तु आवश्यक है कि उसे यह बतलाया जाए कि रोज़ा इबादत है, और मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वह अपने खाना पानी और कामवासना को छोड़ने में अल्लाह के लिए इख्लास

(निःस्वार्थता) का प्रदर्शन करे, जैसा कि हदीस कुदसी में अल्लाह तआला का फरमान है :

((يَدْعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي))

“वह (रोज़ेदार) अपने खाना पानी और शहवत (कामवासना) को मेरे कारण छोड़ देता है।”

प्रश्न ५६ : जिस व्यक्ति को उसका बाप बिना सन्तोष जनक कारणों के ऐतिकाफ करने से रोक दे उसका क्या हुक्म है?

उत्तर : ऐतिकाफ सुन्नत है, और माता-पिता के साथ उपकार और भलाई करना वाजिब है, और सुन्नत के कसरण वाजिब समाप्त नहीं होता है, मौलिक रूप से वह वाजिब के विरोध में नहीं आ सकता है, इसलिए कि वाजिब को उस पर प्राथमिकता प्राप्त है, अल्लाह तआला हदीस कुदसी में फरमाता है:

“जो कुछ मैं ने बन्दे पर फर्ज करार दिया है उस से अधिक प्रिय किसी अन्य चीज़ के द्वारा मेरा बन्दा मेरी निकटता नहीं प्राप्त कर सकता”।

अतः यदि तेरे पिता तुझे ऐतिकाफ न करने का आदेश देते हैं और ऐसी चीज़ें ज़िक्र करते हैं जो इस

बात का तकाज़ा करते हैं कि तो एतिकाफ न करे, इसलिए कि वह तेरे ज़खरतमंद हैं, तो इसका पैमाना उनके ही पास है तेरे पास नहीं, इसलिए कि होसकता है तेरा पैमाना असंतुलित और न्यायहीन हो; इसलिए कि तू एतिकाफ का इच्छुक है, सो तू उनके बतलाये हुए कारणों को उचित कारण नहीं समझता है और तेरे पिता उसे उचित कारण समझते हैं।

अतः मैं तुझे यह नसीहत करता हूँ कि तू एतिकाफ न कर, हाँ यदि तेरे पिता कहें कि तु एतिकाफ न कर और उसका कोई कारण उल्लेख न करें तो ऐसी स्थिति में उनकी आज्ञापालन तेरे लिए आवश्यक नहीं है, इसलिए कि तेरे लिए किसी ऐसी चीज़ में उनकी आज्ञापालन करना आवश्यक नहीं है जिसकी मुखालफत करने में उनका कोई हानि नहीं किन्तु उस में तेरा घाटा है।

प्रश्न ६० : एतिकाफ करने वाला अपने एतिकाफ गृह से कब निकले गा? क्या ईद की रात सूरज ढूबने के पश्चात या ईद के दिन फज्ज़ के बाद?

उत्तर: एतिकाफ करने वाला अपने एतिकाफ से उस समय निकले गा जब रमज़ान समाप्त होजाए, और

रमज़ान ईद की रात सूरज के डूबने के साथ समाप्त होजाता है, जिस प्रकार कि मोतकिफ बीस रमज़ान की रात को सूरज डूबने के साथ अपने एतिकाफ में प्रवेष करता है, क्योंकि रमज़ान का अन्तिम दहा बीस रमज़ान की रात को सूरज डूबने से आरम्भ होता है और ईद की रात सूरज डूबने के साथ समाप्त होजाता है।

प्रश्न ६९ : क्या तीन मस्जिदों (मस्जिदे हराम, मस्जिदे नबवी और मस्जिदे अक्सा) के अतिरिक्त किसी अन्य मस्जिद में एतिकाफ जायज़ है? इसकी दलील क्या है?

उत्तर : तीनों मस्जिदों - मस्जिदे हराम, नबी सल्लल्लाहु अलौहि व सल्लम की मस्जिद और मस्जिदे अक्सा- के अतिरिक्त अन्य मस्जिदों में भी एतिकाफ करना जायज़ है, इसकी दलील अल्लाह तआला का यह आम फरमान है:

﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾

[١٨٧: البقرة]

“और स्त्रियों से उस समय सम्भोग न करो जब तुम मस्जिदों में एतिकाफ में हो।”(सूरतुल बकरा: ١٨٧)

इस आयत में समस्त मुसलमानों को सम्बोधित किया गया है, यदि हम यह कहें कि इस से मुराद केवल तीन मस्जिदें हैं तो अधिकांश मुसलमान इस आयत के मुखातब नहीं होंगे, इसलिए कि अधिकांश मुसलमान मक्का, मदीना और अल-कुद्रस के बाहर रहते हैं।

इस आधार पर हम कहें गे: समस्त मस्जिदों में एतिकाफ करना जायज़ है, और यदि यह हदीस सहीह हो कि “तीन मस्जिदों के अतिरिक्त में एतिकाफ नहीं है” तो इस से मुराद सर्वश्रेष्ठ और अधिक सम्पूर्ण एतिकाफ है, और इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन तीन मस्जिदों में एतिकाफ करना दूसरी मस्जिदों में एतिकाफ करने से अफज़ल है, जिस प्रकार कि तीनों मस्जिदों में नमाज़ पढ़ना दूसरी मस्जिदों से श्रेष्ठ है।

मस्जिदे हराम में नमाज़ पढ़ना एक लाख नमाज़ के बराबर है और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम में नमाज़ पढ़ना एक हज़ार नमाज़ों के बराबर है सिवाय मस्जिदे हराम के और मस्जिदे अक्सा में नमाज़ पढ़ना पाँच सौ नमाज़ों के बराबर है।

यह अज्ञ व सवाब उन नमाज़ों के लिए है जिनको मनुष्य मस्जिदों के अन्दर करता है (अर्थात् जो मस्जिद

के साथ विशेष है) जैसेकि फर्ज़ नमाज़ और कुसूफ़ की नमाज़ को जमाअत के साथ पढ़ना इसी प्रकार तहिय्यतुल मस्जिद। किन्तु मुअकिदा सुन्नतें और अन्य नफली नमाज़ें जो मस्जिद के साथ विशेष नहीं हैं तो उनको घर के अन्दर पढ़ना श्रेष्ठ है, इसलिए हम मक्का के बारे में कहते हैं : आपका अपने घर में मुअकिदा सुन्नतें पढ़ना उन्हें मस्जिदे हराम में पढ़ने से श्रेष्ठ है। यही मामला मदीना का भी है, इसलिए कि नबी سल्लल्लाहु अलौहि व सल्लम ने मदीने के अन्दर फरमाया:

((أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة))

“मनुष्य की सबसे श्रेष्ठ नमाज उसके घर के अन्दर पढ़ी जाने वाली नमाज है सिवाय फर्ज़ नमाज़ के।”

नबी सल्लल्लाहु अलौहि व सल्लम नफली नमाज़ें अपने घर में ही पढ़ा करते थे।

जहाँ तक तरावीह की नमाज़ का संबंध है तो यह उन नमाजों में से है जो मस्जिदों के अन्दर मश्रुअ है, इसलिए कि उसके लिए जमाअत मश्रुअ है।

प्रश्न ६२ : रोज़े की हालत में गुदा द्वारा बीमार के पेट में तरल औषधि चढ़ाने (enema) का क्या हुक्म है?

उत्तर : वह इन्जेक्शन जिसे गुदा दारा क़ब्ज़ दूर करने के लिए बीमारों को चढ़ाया जाता है, उसके बारे में विद्वानों का मतभेद है, कुछ लोग इस बात की ओर गए हैं कि इससे रोज़ा टूट जाए गा, इस आधार पर कि जो चीज़ भी पेट में पहुँती है उस से रोज़ा टूट जाता है, और कुछ लोग इस बात की ओर गए हैं कि इस से रोज़ा नहीं टूटे गा, इस बात के कहने वालों में शैखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या भी हैं वह कहते हैं : यह न तो खाना पीना है और न खाने पीने के अर्थ में है।

मेरा विचार यह है कि: इस बारे में डाक्टरों के विचार को देखा जाए, यदि वह यह कहें कि यह खाने और पीने के समान है तो उस पर खाने और पीने का हुक्म लगाना वाजिब है और उस से रोज़ा टूट जाए गा, और यदि वह यह कहें कि यह शरीर को वह शक्ति नहीं प्रदान करता है जो खाना और पानी प्रदान करता है तो इस से रोज़ा नहीं टूटे गा।

प्रश्न ६३ : क्या रोजेदार के लिए मुसलमानों की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए टेलीफून से बात-चीत करना जायज़ है?

उत्तर : मुसलमानों की कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऐतिकाफ करने वाले के लिए टेलीफून से बात चीत करना जायज़ है, इस शर्त के साथ कि वह टेलीफून उसी मस्जिद में हो जिसमें वह ऐतिकाफ किए हुए है, इसलिए कि ऐसी अवस्था में वह मस्जिद से बाहर नहीं निकला, किन्तु यदि वह मस्जिद के बाहर हो तो वह उसके लिए मस्जिद के बाहर नहीं निकले गा, रही बात मुसलमानों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना तो यदि वह व्यक्ति उससे संबंधित (ज़िम्मेदार) है तो वह ऐतिकाफ न करे ; इसलिए कि मुसलमानों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना ऐतिकाफ से अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए कि उसका लाभ सकर्मक और सामान्य है और जिस चीज़ का लाभ सकर्मक और सामान्य हो वह उस चीज़ से श्रेष्ठ है जिसका लाभ सीमित हो, सिवाय इसके कि सीमित लाभ वाली चीज़ इस्लाम के महत्व पूर्ण और अनिवार्य कामों में से हो।

प्रश्न ६४ : एक व्यक्ति के पास दो बेटे हैं जो ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जिस से स्वस्थ होने की आशा नहीं

है और इस से पहले उन्होंने कभी रोज़ा नहीं रखा है तो ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति पर उन दोनों बेटों के प्रति क्या अनिवार्य है? और उन दोनों के लिए नमाज़ पढ़ने का क्या तरीक़ा है?

उत्तर : जो बीमार ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिस से स्वस्थ होने की आशा नहीं है तो उस के लिए रोज़ा रखना आवश्यक नहीं है, इसलिए कि वह असमर्थ (बेबस) है, किन्तु उस पर अनिवार्य यह है कि वह उसके स्थान पर हर दिन के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाए, यह भी उस समय जबकि वह समझ बूझ रखने वाला और व्यस्क हो।

खाना खिलाने के दो तरीके हैं:

① दूपहर या रात का खाना तैयार करे और उतनी संख्या में मिस्कीनों को खाने के लिए बुलाए जितने दिनों का रोज़ा उसके ऊपर अनिवार्य है, जिस प्रकार कि अनस बिन मालिक रजियल्लाहु अन्हु बूढ़ा होने के समय किया करते थे।

② अनाज वितरण कर दे और मिस्कीन उसे स्वयं बना कर खाए, इस अनाज की मात्रा एक मुद्द गेहूँ या चावल है, मुद्द के संबंध में नबी ﷺ के साअ के मुद्द

का एतिवार किया जाए गा-और वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साअ का एक चौथाई होता है- और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का साअ दो किलो ग्राम और चालीस ग्राम (२.०४०) होता है, इस प्रकार एक मुद्द आधा किलो और दस ग्राम (५९०ग्राम) होगा, अतः व्यक्ति इस मात्रा में गेहूँ या चावल खिलाए गा, तथा उसके साथ गोश्त और सालन भी होना चाहिए, रही बात उन रोज़ों की जो बीत चुके हैं तो उनके बदले भी मिस्कीनों को खाना खिलाए गा।

जहाँ तक उन दोनों के लिए नमाज़ पढ़ने का संबंध है तो यथाशक्ति उनके लिए नमाज़ पढ़ना अनिवार्य है, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इम्रान बिन हुसैन रजियल्लाहु अन्हु से फरमाया:

((صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تُسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تُسْتَطِعْ

فَعَلَى جَنْبٍ))

“ खड़े होकर नमाज़ पढ़ो, यदि इसके सामर्थ न हो तो बैठ कर नमाज़ पढ़ो यदि यह भी न हो सके तो पहलू पर नमाज़ पढ़ो ।”

प्रश्न ६५ : एक व्यक्ति रात के समय अब्दा से मक्का आया, सुबह के समय शैतान ने उसके दिल में वसवासा डाल दिया और उसने अपनी पत्नी से सम्भोग कर लिया तो इसका क्या हुक्म है?

उत्तर : यह व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ उम्रा करने के लिए आया, दोनों ने रात में उम्रा किया और सुबह रोजे से थे, उसी दिन में जिसमें वह दोनों रोजे से थे उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से सम्भोग कर लिया, इसके बारे में हमारा उत्तर यह है कि: उस पर उस दिन के रोजे की क़ज़ा के अतिरिक्त कोई अन्य चीज़ अनिवार्य नहीं है, न तो उस पर कोई पाप है और न ही कफ़ारा है, उस पर केवल उस दिन की क़ज़ा अनिवार्य है, इसलिए कि यात्री के लिए जायज़ है कि वह अपना रोज़ा तोड़ दे, अब चाहे उसे खाने या पानी से तोड़े या चाहे सम्भोग के द्वारा, क्योंकि यात्री का रोज़ा उस पर अनिवार्य नहीं है, जैसा कि अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةُ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَ﴾ [البقرة: ۱۸۵].

“और जो बीमार हो या यात्रा पर हो तो वह दूसरे दिनों में उसकी गिन्ती पूरी करे।”

(सूरतुल बकरा: १८५)

अतः उन भाईयों से जो मक्का में फतवा देते हैं यह अभिलाषा है कि जब कोई प्रश्नकर्ता यह प्रश्न करे कि: उसने रोज़े की हालत में अपनी पत्नी से सम्भोग कर लिया है तो इसका क्या हुक्म है? तो हमारे लिए उचित है कि हम उस से विस्तृत जानकारी प्राप्त करें और उस से पूछें कि क्या तू यात्री है या नहीं? यदि वह उत्तर दे कि वह यात्री है, तो हम उस से कहेंगे : तेरे ऊपर केवल क़ज़ा वाजिब है, किन्तु यदि वह अपने नगर में हो और रोज़े की हालत में अपनी पत्नी से सम्भोग कर ले तो उस पर निम्नलिखित बातें निष्कर्षित होती हैं :

पहला : रोज़े का फासिद होना।

दूसरा : अवशेष दिन खाने और पीने से रुका रहना।

तीसरा : उस दिन के राज़े की क़ज़ा करना।

चौथा : गुनाह।

पांचवाँ : कफ्फारा, और वह है एक गुलाम आज़ाद करना, यदि वह न मिले तो लगातार दो महीने रोज़ा

रखना, यदि उसकी भी शक्ति न हो तो साठ मिसकीनों को खाना खिलाना।

प्रश्न ६६ : कई वर्षों से यह होता चला आरहा है कि कुछ लोग अज्ञान के अन्त तक (सेहरी) खाते पीते रहते हैं, उनके इस कर्म का क्या हुक्म है?

उत्तर : फज्ज की नमाज़ के लिए अज्ञान या तो फज्ज के उदय होने के पश्चात होती है या उस से पहले, यदि वह फज्ज के निकले के बाद होती है तो मनुष्य पर अनिवार्य है कि वह अज्ञान के सुनते ही खाने पीने से रुक जाए; इसलिए कि नबी سल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं:

((إن بلا لا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا))

أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر))

“बिलाल रात के समय अज्ञान देते हैं, चुनांचे खाओ और पियो यहाँ तक कि इन्हे उम्मे मक्तूम की अज्ञान सुन लो, क्योंकि वह अज्ञान नहीं देते हैं यहाँ तक कि फज्ज निकल आए।”

अतः यदि तुझे पता हो कि यह मुअज्जिन फज्ज निकनले के पश्चात अज्ञान देता है तो तू अज्ञान सुनते

ही खाने पीने से रुक जाए, किन्तु यदि मुअज्जिन प्रचलित समय सारणी के आधार पर या अपनी घड़ी के आधार पर अज्ञान देता है तो इस बारे में मामला कुछ आसान है।

इस आधार पर हम इस प्रश्नकर्ता से कहें गे : जो बीत चुका उसकी कज़ा तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है, इसलिए कि तुम्हें निश्चित रूप से यह ज्ञात नहीं है कि तुम ने फज्ज निकलने के पश्चात खाया है, किन्तु भविष्य में मनुष्य के लिए उचित है कि वह सावधानी से काम ले, ज्यों ही अज्ञान सुने खाना पीना बन्द कर दे।

प्रश्न ६७ : क्या मनुष्य के लिए अज्ञान के बाद खाना पीना जायज़ है?

उत्तर : यदि मुअज्जिन फज्ज के निकलने के बाद अज्ञान देता है तो उसके बाद खाना पीना जायज़ नहीं है, इसलिए कि अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿وَكُلُوا وَاشْرِبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا
الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: १८७]

“तुम खाते पीते रहो यहाँ तक कि प्रभात का सफेद धागा रात के काले धागे से प्रत्यक्ष हो जाए। फिर रात तक रोज़े को पूरे करो।”

(सूरतुल बकरा: ٩٦)

और नबी سल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस फरमान के कारण:

((إِنْ بَلَّا يُؤْذِنُ بِلِيلٍ فَكُلُوا وَاشْرِبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا

أَذَانَ ابْنَ أَمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لَا يُؤْذِنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ))

“बिलाल रात के समय अज़ान देते हैं, चुनांचे खाओ और पियो यहाँ तक कि इन्हे उम्मे मक्तूम की अज़ान सुन लो, क्योंकि वह अज़ान नहीं देते हैं यहाँ तक कि फज्ज निकल आए।”

किन्तु यदि मुअज्जिन तहर्री (खोज-बीन) के द्वारा अज़ान देता है, फज्ज को नहीं देखता है, तो सावधानी इसी में है कि अज़ान सुनने के बाद न खाएं, किन्तु तहर्री पर आधारित अज़ान के बाद खाने पीने से निश्चित रूप से रोज़े को फासिद कहना यह मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए कि फज्ज सम्पूर्ण रूप से उदय नहीं हुआ है कि जिस से खाना पीना मना होजाए, किन्तु

इसमें कोई सन्देह नहीं कि सावधानी इसी में है कि मनुष्य फज्ज की अज्ञान सुनते ही खाने पीने से रुक जाए।

प्रश्न ६८ : जो व्यक्ति स्वेच्छा पूर्वक किसी मस्जिद में इमामत करा रहा हो क्या उसके लिए जायज़ है कि वह हरम में अपने ऐतिकाफ की जगह से निकल कर लोगों को नमाज़ पढ़ाने के लिए बाहर जाए?

उत्तर : वह ऐतिकाफ करने वाला जो मस्जिद में स्वेच्छा पूर्वक तरावीह की नमाज़ पढ़ाता है वह अपने ऐतिकाफ की जगह से नहीं निकले गा, क्योंकि वह उस मस्जिद के साथ बाध्य नहीं है, मस्जिद वाले अपने लिए किसी इमाम की व्यवस्था करलें, किन्तु यदि मनुष्य किसी मस्जिद में सरकारी तौर पर नियुक्त हो तो उसके लिए जायज़ नहीं है कि वह ऐतिकाफ करे और उस मस्जिद को छोड़ दे जिसकी उसने हुकूमत के सामने ज़िम्मेदारी स्वीकार की है।

प्रश्न ६९ : शबे क़द्र की निशानियाँ क्या हैं?

उत्तर : शबे क़द्र की निशानियों में से यह है कि वह एक शान्ति पूर्ण रात होती है, मोमिन का हृदय उसके लिए प्रफुल्लित होजाता है, उसके दिल को सन्तुष्टि प्राप्त

हाती है, नेकियों और भलाईयों को करने के लिए उसके अन्दर स्फूर्ति पैदा हो जाती है, उसकी प्रातः सूर्य साफ व उज्ज्वल निकलता है उसकी किरनें नहीं होती हैं।

प्रश्न ७० : जो व्यक्ति रमज़ान के महीने में किसी पराई महिला का चुम्बन करले तो उसका क्या हुक्म है? क्या उस पर कज़ा वाजिब है?

उत्तर : यह व्यक्ति जिसने पराई महिला का चुम्बन कर लिया निःसन्देह उसने रोज़े की हिक्मत का भ्रम नहीं रखा, इसलिए कि इस व्यक्ति ने बेहूदा (हराम) काम किया है और रसूल सल्लल्लाहु अलौहि व सल्लम का फरमान है:

((مَنْ لَمْ يَدْعُ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهَلُ فَلَيْسَ
لِلَّهِ حَاجَةٌ إِنْ يَدْعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ)).

“जो व्यक्ति हराम बात कहना, हराम काम करना और मूर्खता को त्याग न करे तो अल्लाह तआला को इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह अपना खाना पानी त्याग करदे।”

यदि उसने ऐसा उसके साथ जबरन किया है तो उसने हराम काम के साथ साथ मूर्खता भी किया है, सो

उसका रोज़ा निः सन्देह हिक्मत हीन और प्रतिफल हीन है। किन्तु जम्हूर उलमा के निकट उसका रोज़ा फासिद नहीं है अर्थात् उस पर क़ज़ा अनिवार्य नहीं है। प्रश्न को प्रस्तुत करने वाले पर वाजिब है कि वह उस व्यक्ति को नसीहत करे जिसने इस कार्य को किया है और उसे अल्लाह के सम्मुख क्षमा याचना करने का आदेश दे, क्योंकि यह काम हराम है और इस बात का कारण बन सकता है कि उसका हृदय मख्लूक से लग जाये और वह अल्लाह तआला के स्मरण को भुलादे और इस से बहुत बड़ा फित्ना जन्म लेले।

प्रश्न ७१ : एक व्यक्ति ने मक्का में रोज़ा रखा और किसी कारण उसे ताईफ जाना पड़ा, उसने रेडियो से मक्का के अज़ान पर रोज़ा खोल दिया, क्या उस पर कोई चीज़ अनिवार्य है?

उत्तर : यदि उसने ताईफ के अन्दर मक्का के अज़ान पर रोज़ा खोला तो उसने सूर्य ढूबने के पश्चात ही रोज़ा खोला, और उस पर कोई चीज़ अनिवार्य नहीं है, इसलिए कि ताईफ में मक्का से पहले सूर्य ढूबता है।

प्रश्न ७२ : क्या ऐतिकाफ करने वाले के लिए किसी व्यक्ति को शिक्षा देना या भाषण देना जायज़ है?

उत्तर : ऐतिकाफ करने वाले के लिए श्रेष्ठ यह है कि वह विशेष इबादतों में व्यस्त रहे जैसे कि ज़िक्र, नमाज़, कुरआन पढ़ना और इसी के समान अन्य चीज़ें, किन्तु यदि किसी को शिक्षा देने या शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ जाए तो कोई बात नहीं है, इसलिए कि यह भी अल्लाह तआला के ज़िक्र में आता है।

प्रश्न ७३ : नमाज़ क़स्त करने और रोज़ा तोड़ने के संबंध में यात्रा के क्या अहकाम हैं?

उत्तर : यात्रा चार रिकअत वाली नमाज़ों को क़स्त करके दो रिकअत पढ़ने को जायज़ कर देने वाला एक कारण है, बल्कि वह एक ऐसा कारण है जो आवश्यक रूप से या ऐच्छिक रूप से (इसके बारे में मतभेद है) चार रिकअत वाली नमाज़ों को क़स्त करके दो रिकअत पढ़ने का तकाज़ा कर ता है।

उचित बात यह है कि क़स्त मुस्तहब है, वाजिब नहीं है, यद्यपि ऐसे नुसूस पाए जाते हैं जिन से प्रत्यक्ष रूप से वाजिब होने का पता चलता है, किन्तु उसके मुकाबले में दूसरे ऐसे नुसूस भी हैं जो इस बात पर दलालत करते हैं कि वह वाजिब नहीं है।

वह यात्रा जिस में कस्त्र करना, रोज़ा तोड़ देना और तीन दिन तक मोज़ों पर मस्ह करना जायज हो जाता है, उसके बारे में उलमा के मध्य मतभेद है: कुछ लोगों ने उसे यात्रा की मसाफत (दूरी) के साथ संबंधित किया है, और वह लगभग ८९ किलोमीटर है, अतः यदि मनुष्य अपने नगर से इतनी दूरी की यात्रा पर निकलता है या अपने नगर से इतनी दूरी की यात्रा करने का निश्चय करता है तो वह यात्री समझा जाए गा जिसके लिए यात्रा की समस्त रुखसतें जायज़ होगईं।

कुछ विद्वानों का कहना है: यात्रा को दूरी के द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे परम्परा और रीति (उर्फ व आदत) के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, क्योंकि शरीअत ने उसे निर्धारित नहीं किया है, और जिस चीज़ को शरीअत निर्धारित न करे तो उसे निर्धारित करने के लिए परम्परा और रीति का सहारा लिया जाए गा, जैसा कि कवि कहता है:

كُل مَا أتى وَلَم يَجِد

بِالشَّرِعِ كَالحِرْزِ فِي الْعِرْفِ أَحَدٌ

हर वह चीज जिसे शरीअत में परिभाषित और निर्धारित नहीं किया गया है उदाहरणस्वरूप हिर्ज़, तो उसे उर्फ व आदत (परम्परा और रीति) के द्वारा निर्धारित और पीरभाषित करो।

कुछ भी हो जब यात्रा के अहंकाम सिद्ध होजाएँ, चाहे हम यह कहें कि वह दूरी के साथ संबंधित है या उर्फ व आदत (परम्परा) के साथ संबंधित है, मनुष्य के लिए योग्य है कि वह यात्रा के अहंकाम को अपनाए, चाहे वह नमाज़ क़स्त्र करना हो या रमज़ान में रोज़ा न रखना हो या तीन दिन मोज़ों पर मस्त करना हो। किन्तु यात्री के लिए यदि रोज़ा रखना उसके लिए कष्टदायक न हो तो रोज़ा रखना ही श्रेष्ठ है, और यदि रोज़ा रखना कष्टदायक हो तो रोज़ा न रखना ही श्रेष्ठ है।

इस स्थान पर मैं अपने उन भाईयों को जो उम्रा करने के लिए मक्का आते हैं यह याद दिलाना चाहता हूँ कि कुछ लोग दिन में उम्रा करते हैं हालांकि उन पर रोज़ा बहुत कष्ट और कठिनाई का कारण होता है, यहाँ तक कि कुछ लोग बेहोश होजाते हैं और उन्हें उठाकर ले जाया जाता है, यह एक बहुत बड़ी गलती है, इसलिए कि इन लोगों के लिए मशरूअ यह है कि वह रोज़ा तोड़ दें।

यदि कोई कहने वाला कहे: क्या मेरे लिए यह श्रेष्ठ है कि मैं रोज़ा तोड़ दूँ और मक्का पहुँचते ही उम्रा कर लूँ? अथवा यह श्रेष्ठ है कि मैं रोज़े से रहूँ और रात के समय उम्रा करूँ ? तो इसका उत्तर यह है कि पहली सूरत श्रेष्ठ है और वह यह कि रोज़ा तोड़ कर दिन ही में उम्रा कर लिया जाए, इसलिए कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उम्रा करने के लिए आते थे तो उम्रा करने में जल्दी करते थे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मस्जिद के द्वार के पास ही अपनी ऊँटनी को बैठा देते थे और उम्रा अदा करते थे।

इस नगर में या इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर जो लोग रमज़ान में कठिनाई और कष्ट के बावजूद रोज़ा रखते हैं यह उनका अपना इज़्तिहाद है, किन्तु शरीअत ख्वाहिशात के आधार पर नहीं है, बल्कि उसका आधार मार्गदर्शन पर है, आदमी बीमार है उस पर रोज़ा कठिन है फिर भी वह रोज़ा रखता है या आदमी यात्रा पर है उस पर रोज़ा कठिन है फिर भी वह रोज़ा रखता है, तो यह सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत के विपरीत और विरुद्ध है, और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की पसन्द के विरुद्ध है, क्योंकि अल्लाह तआला इस बात को पसन्द करता है कि उसकी खख्ततों (छूठ)

को अपनाया जाए जिस प्रकार कि वह इस बात से घृणा करता है कि उसकी अवज्ञा कि जाए।

अनुवादक

(अताउररहमान ज़ियाउल्लाह) *

*atazia75@gmail.com

विषय सूची

विषय	पृष्ठ
प्राक्कथन	३
रोज़े की शर्तें	७
रोज़े का समय	१८
रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें	२०
रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों से रोज़ा टूटने की शर्तें	३२
जान बूझ कर रोज़ा तोड़ना	३६
रमज़ान के दिन में सम्भोग करना और उस पर निष्कर्षित होने वाली चीज़ें	४०
रोज़े से संबंधित फतावे	४५
प्र० १: रोज़ा के अनिवार्य किये जाने की क्या हिक्मत (उद्देश्य) है?	४५

प्र०२: कुछ लोग रमज़ान के महीने के प्रवेश करने (प्रारम्भ होने) आदि में उम्मत की एकता और अखण्डता की रक्षा करने के लिए इस बात का मुतालबा करते हैं कि समस्त मताले को मक्का के मताले से संबंधित कर दिया जाए, इस विषय में आपका क्या विचार है? ४७

प्र०३: जब रोज़ेदार एक देश से दूसरे देश में जाए और पूर्व देश में शव्वाल के महीने के चाँद देखने की घोषणा कर दी जाए तो क्या वह व्यक्ति उनके अधीन अपना रोज़ा तोड़ देगा? ज्ञात रहे कि दूसरे देश में शव्वाल का चाँद नहीं देखा गया है। ५९

प्र०४: जिस व्यक्ति का कार्य कष्टप्रद है और उसे रोज़ा रखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो क्या ऐसे व्यक्ति के लिए रोज़ा न रखना वैध है? इस विषय में आपका क्या विचार है? ५४

प्र०५: एक छोटी बालिका को मासिक धर्म आगया और वह अनजाने में माहवारी के

दिनों में रोज़ा रखा करती थी, तो उस पर
क्या आवश्यक है? ५५

प्र०६: एक व्यक्ति ने अपनी और अपने
अधीन संतान की जीविका (रोज़ी रोटी)
कमाने के लिए रमज़ान का रोज़ा नहीं रखा
तो इसका क्या हुक्म है? ५६

प्र०७: रोज़ा तेड़ने के लिए वैध कारण क्या
हैं? ५८

प्र०८: एक व्यक्ति रमज़ान की पहली रात को
महीने के सिद्ध होने से पूर्व ही सोगया और
रात को रोज़े की नियत नहीं की, फज्ज के
निकलने के पश्चात उसे ज्ञात हुआ कि आज
का दिन रोज़े का दिन है, तो ऐसी स्थिति में
वह क्या करे? और क्या वह उस दिन की
कज़ा करे गा? ६९

प्र०९: यदि कोई व्यक्ति किसी कारण रोज़ा
तोड़ दे और दिन के बीच ही में कारण
समाप्त होजाए तो क्या वह अवशेष दिन
खाने पीने से रुका रहेगा ? ६३

- प्र० १०:** एक स्त्री खधिर की ग्रन्थि (खून की नलियों में खून का जमाव -THROMBUS) से पीड़ित है और डॉक्टरों ने उसे रोज़ा रखने से मनाही कर दी है, उसका क्या हुक्म है? ६५
- प्र० ११:** मुसाफिर की नमाज़ और उसका रोज़ा किस प्रकार होगा ? ६७
- प्र० १२:** कठिनाई के होते हुए मुसाफिर के रोज़ा रखने का क्या हैम है ? ७२
- प्र० १३:** यात्री के रोज़े का क्या हुक्म है जबकि वर्तमान युग में ट्रॉस्पोर्ट के नवीन साधन उपलब्ध हैं? ७३
- प्र० १४:** यात्री यदि रोज़े की अवस्था में मक्का पहुँचे तो क्या वह उमरा करने के लिए शक्ति जुटाने के लिए रोज़ा तोड़ देगा ? ... ७६
- प्र० १५:** क्या दूध पिलाने वाली स्त्री के लिए रोज़ा तोड़ना जायज़ (वैध) है? तथा वह उसकी क़ज़ा कब करेगी? और क्या वह खाना खिला सकती है? ७६

रोज़े से सम्बन्धित अहङ्काम एवं फतावे

180

प्र० १६: यदि रोज़ेदार दिन का अधिकांश भाग सख्त भूख और प्यास के कारण लेट कर विश्राम में गुज़ारता है तो क्या इससे उसके रोज़े के सही होने पर कोई प्रभाव पड़ेगा? ट९

प्र० १७: क्या रमज़ान में रोज़े के प्रत्येक दिन की नियत करना आवश्यक है या पूरे महीने के रोज़े की एक ही नियत करना काफी है? ट२

प्र० १८: क्या बिना कुछ खाए या पिए केवल रोज़ा तोड़ने का दृढ़ संकल्प कर लेने से रोज़ेदार का रोज़ा टूट जाता है? ट२

प्र० १९: यदि रोज़ेदार भूल कर खा (पी) ले तो उसका क्या हुक्म है? और उसको देखने वाले पर क्या अनिवार्य है? ट४

प्र० २०: रोज़ेदार के लिए सुर्मा लगाने का क्या हुक्म है? ट६

प्र० २१: रोज़ेदार के लिए मिस्वाक करने और सुगन्ध लगाने का क्या हुक्म है? ट७

प्र० २२: रोज़े को फासिद करने वाली चीज़ें

क्या क्या हैं?	८६
प्र०२३: रोज़ेदार के लिए साँस के रोग (दमा) संबंधी इन्-हेलर प्रयोग करने का क्या हुक्म है, क्या इस से रोज़ा टूट जाता है ?	९०४
प्र०२४: क्या उल्टी करने से रोज़ा टूट जाता है?	९०५
प्र०२५: क्या रोज़ेदार के मसूढ़ों से खून निकलने से रोज़ा टूट जाता है ?	९०६
प्र०२६: यदि मासिक धर्म वाली स्त्री फज्ज से पहले पवित्र होजाए और फज्ज निकलने के पश्चात स्नान करे तो उसके रोज़े का क्या हुक्म है ?	९०७
प्र०२७: रोज़ेदार के लिए दाँत उखड़वाने का क्या हुक्म है, क्या इससे रोज़ा टूट जाता है?	९०८
प्र०२८: रोज़ेदार के लिए खून जाँच करवाने का क्या हुक्म है, और क्या इस से रोज़ा टूट जाता है?	९०९

- प्र०२६:** यदि रोज़ेदार हस्तमैथुन द्वारा वीर्य पात करता है तो क्या इस से उसका रोज़ा टूट जाए गा? और क्या उस पर कफारा अनिवार्य है? 90६
- प्र०३०:** रोज़ेदार के लिए सुगन्ध सूँघने का क्या हुक्म है? 999
- प्र०३९:** धूनी सूँघने और दवा की बूँद डालने में क्या अन्तर है? कि धूनी सूँघने से रोज़ा टूट जाता है और दवा की बूँदें डालने से रोज़ा नहीं टूटता है? 992
- प्र०३२:** रोज़ेदार के लिए आँख, कान और नाक के ड्रॉप्स (बूँदें) प्रयोग करने का क्या हुक्म है? 992
- प्र०३३:** जिस व्यक्ति को रोज़े की हालत में स्वपन दोष होगया, क्या उसका रोज़ा उचित है? 998
- प्र०३४:** रोज़ेदार के लिए ठंडक प्राप्त करने का क्या हुक्म है? 995

प्र०३५: यदि रोज़ेदार के कुल्ली करते हुए या नाक में पानी चढ़ाते हुए पानी उसके पेट तक पहुँच जाए तो क्या इस से उसका रोज़ा टूट जाएगा ? ११६

प्र०३६: रोज़ेदार के लिए सुगन्धित चीज़ों को प्रयोग करने का क्या हुक्म है? ११७

प्र०३७: क्या नकसीर फूटने से रोज़ा टूट जाता है? ११७

प्र०३८: हम देखते हैं कि रमज़ान के महीने में कुछ जन्त्रियों में एक खाना ‘इम्साक’ (अर्थात् सेहरी खाने से रुकने का समय) का होता है, जो फज्ज की नमाज़ से लग भगदस या पन्द्रह मिनट पहले रखा जाता है, क्या सुन्नत (हदीस) से इसका कोई असल (सत्यता) है या यह बिदअत है? हमें इसके आदेश से अवगत करायें, पुण्य मिलेगा। ... ११७

प्र०३९: जो व्यक्ति हवाई अड्डे पर ही था कि सूर्य डूब गया और मोअज्जिन ने अज़ान दे दी, और उसने रोज़ा खोल दिया, फिर हवाई

- जहाज़ के उड़ने के पश्चात उसे सूर्य दिखाई दिया, तो क्या वह खाने पीने से रुक जाएगा ? ११६
- प्र०४०: रोज़ेदार के लिए बलग्रम या कफ निगलने का क्या हुक्म है? १२९
- प्र०४१: क्या खाना चखने से रोज़ा बातिल हो (टूट) जाता है? १२२
- प्र०४२: क्या रमज़ान के दिन में हराम बातें करने से मनुष्य का रोज़ा फासिद होजाता है? १२३
- प्र०४३: झूठी गवाही क्या है? क्या उस से रोज़ा टूट जाता है? १२५
- प्र०४४: रोज़े के आदाब क्या हैं ? १२५
- प्र०४५ : क्या रोज़ा खोलने के समय कोई मासूर (नबी सल्लल्लाहु अलौहि व सल्लम से प्रमाण सिद्ध) दुआ है? और क्या रोज़ेदार मुअज्जिन का जवाब देगा या अपना रोज़ा खोलने में व्यस्त रहेगा? १२८

प्र०४६: उस व्यक्ति के लिए शब्दाल के छः
रोज़े रखने के बारे में आप का क्या विचार
है जिस पर कज़ा वाजिब है? १३९

प्र०४७: एक बीमार व्यक्ति ने रमज़ान में
रोज़ा नहीं रखा और महीने के प्रवेश करने
के चार दिन बाद उसका देहान्त होगया, क्या
उसकी ओर से कज़ा किया जाए गा? १३२

प्र०४८ : एक व्यक्ति पर रमज़ान के महीने
के एक दिन की कज़ा वाजिब थी और उसने
कज़ा नहीं किया यहाँ तक कि दूसरा रमज़ान
आगया, अब वह क्या करे? १३४

प्र०४९ : शब्दाल के छः रोज़ों के विषय में
सर्वश्रेष्ठ चीज़ क्या है? १३६

प्र०५०: क्या मनुष्य के लिए जायज़ है कि
वह अपनी पसन्द से शब्दाल के जिन दिनों
का रोज़ा रखना चाहे रखे, या इन दिनों का
कोई विशेष निर्धारित समय है? और यदि
मुसलमान ने किसी वर्ष शब्दाल के इन दिनों
का रोज़ा रख लिया तो क्या यह उस पर

-
- फर्ज होजाता है और हर साल उस पर ९३७
रोज़ा रखना वाजिब होजाता है?
- प्र०५९ : आशूरा के रोज़ों का क्या हुक्म है? ९३८
- प०५२: शाबान के महीने में रोज़ा रखने का
क्या हुक्म है? ९४०
- प्र०५३: यदि मनुष्य एक दिन रोज़ा रखता हो
और एक दिन रोज़ा इफ्तार करता हो और
उसके रोज़े का दिन जुमा के दिन पड़ जाए
तो क्या उसके लिए उस दिन रोज़ा रखना
जायज़ है? ९४९
- प्र०५४: सौमे विसाल (लगातार रोज़ा रखना)
क्या है? क्या वह मशरूअ है? ९४२
- प्र०५५: जुमा के दिन को रोज़े के साथ
विशेष करने से मना करने का क्या कारण
है? क्या यह आदेश क़जा के रोज़ों को भी
सम्मिलित है? ९४४
- प्र०५६: यदि मनुष्य नफली रोज़े को किसी
रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ के द्वारा फासिद कर
दे तो क्या वह गुनहगार होगा? और यदि

वह उसे सम्भोग के द्वारा फासिद कर दे तो
क्या उस पर कफ़ारा अनिवार्य है?..... १४६

प्र०५७: ऐतिकाफ़ का क्या हुक्म है? क्या
ऐतिकाफ में बैठने वाले के लिए
आवश्यकताओं की पूर्ति और खाने पीने
तथा इसी प्रकार दवा इलाज कराने के लिए
निकलना वैध है? ऐतिकाफ की सुन्नतें क्या
हैं? तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम
से सिद्ध ऐतिकाफ की सहीह विधि क्या है?. १४८

प्र०५८: जिस व्यक्ति ने बिना किसी कारण
के रमज़ान के कुछ कदर्नों का रोज़ा नहीं
रखा क्या उस पर क़ज़ा वाजिब है?..... १५२

प्र०५९: जिस व्यक्ति को उसके पिता ने
असंतोष जनक कारणों के आधार पर
ऐतिकाफ करने की अनुमति नहीं दी उसका
क्या हुक्म है ?..... १५४

प्र०६०: ऐतिकाफ करने वाला अपने ऐतिकाफ
के स्थान से कब निकले गा ? १५५

प्र०६१: क्या तीन मस्जिदों के अतिरिक्त

अन्य मस्जिदों में एतिकाफ कर सकते हैं ? .. १५६

प्र०६२: रोज़े की हालत में गुदा के रास्ते से दवा चढ़ाने (म्दमउं) का क्या हुक्म है ? .. १५६

प्र०६३: क्या एतिकाफ करने वाला लोगों की आवश्यकता पूरी करने के लिए टेलीफून से सम्पर्क कर सकता है ? १६०

प्र०६४: एक आदमी के दो बेटे हैं जो ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं जिस से स्वस्थ होने की आशा नहीं है और इस से पहले उन्होंने रोज़ा नहीं रखा है तो उनके प्रति उसके ज़िम्मे क्या वाजिब है ? १६०

प्र०६५: एक व्यक्ति रात को अब्बा से मक्का आया और शैतानी वसवसे का शिकार होकर सुबह उसने अपनी पत्नी से सम्भोग कर लिया, उसका क्या हुक्म है ? १६३

प्र०६६: कई वर्षों से लोग अज्ञान के अन्त तक खाने पीने से नहीं रुकते हैं, उनके इस कर्म का क्या हुक्म है ? १६५

प्र०६७: क्या अज्ञान के बाद मनुष्य के लिए
खाना पीना जायज़ है ? १६६

प्र०६८: जो व्यक्ति किसी मस्जिद में स्वेच्छा
पूर्वक नमाज़ पढ़ा रहा हो क्या उसके लिए
हरम में अपने एतिकाफ की जगह से निकल
कर लोगों को नमाज़ पढ़ाने के लिए बाहर
जाना जायज़ है ? १६८

प्र०६९: शबे क़द्र की निशानियाँ क्या हैं ?... १६८

प्र०७०: जिसने रमज़ान में किसी पराई
महिला का चुम्बन कर लिया उसका क्या
हुक्म है ? क्या उस पर रोज़े की कज़ा
वाजिब है ?..... १६९

प्र०७१: एक व्यक्ति ने मक्का में रोज़ा रखा
और उसे किसी कारण से ताईफ जाना पड़ा,
वहाँ उसने रेडियो से मक्का के अज्ञान पर
रोज़ा खोला, क्या उस पर कोई चीज़ वाजिब
है ? १७०

प्र०७२: क्या ऐतिकाफ करने वाले के लिए
किसी को शिक्षा देना या पाठ कराना उचित

रोज़े से सम्बन्धित अहकाम एवं फतावे



है ? १७०

प्र० ७३ः नमाज़ कस्त करने और रोज़ा तोड़ने
के संबंध में यात्रा के क्या अहकाम हैं? १७९

विषय सूची १७६